खण्ड-206, अंक-1
सोमवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1881
(10 अगस्त, 1959 ई0)

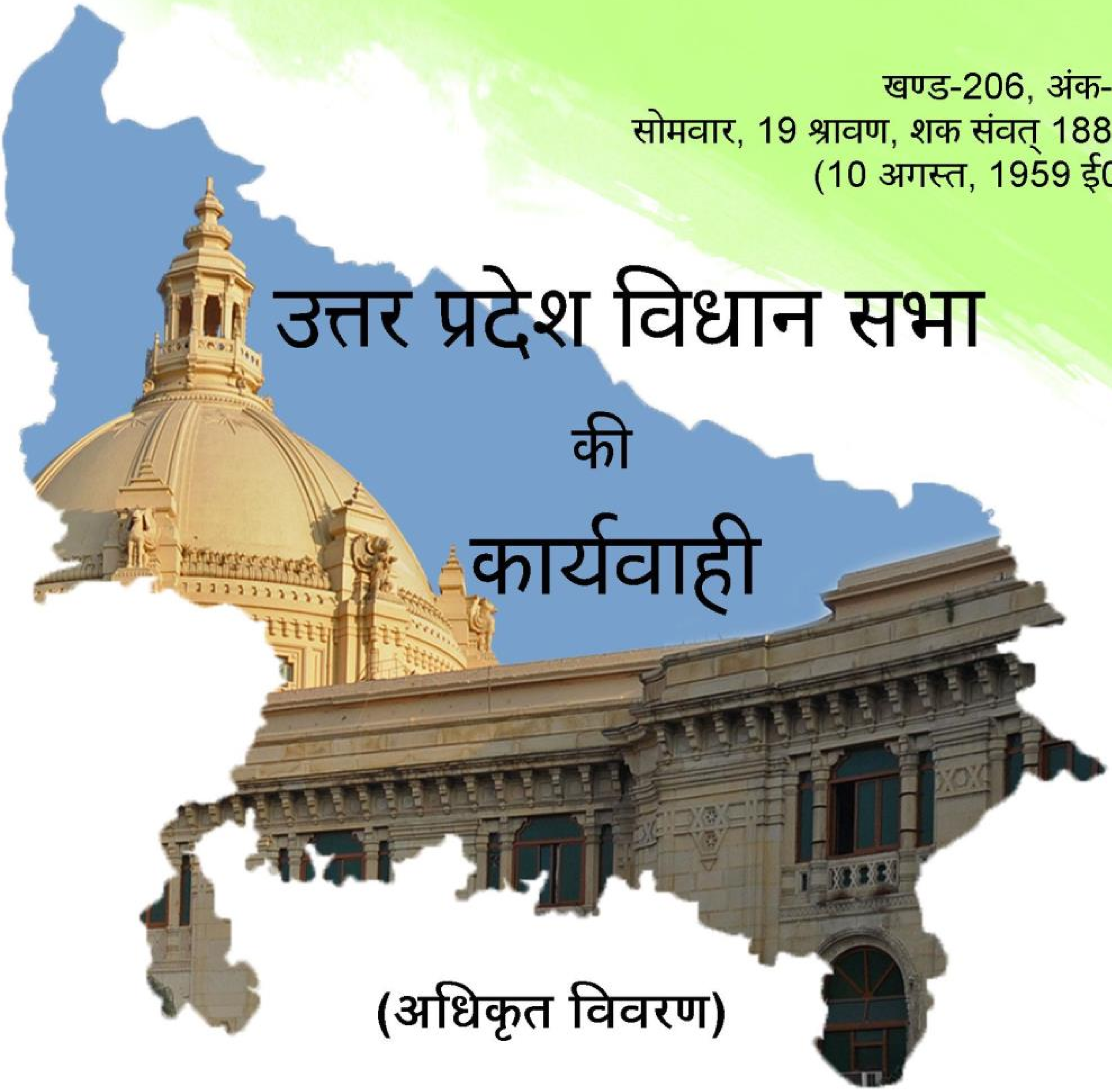

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

सोमवार, १० अगस्त, १९५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–२२
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन ..	२२
विज्ञप्तियों को सदन की मेज पर देर से रखने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग	२३
कांग्रेस पार्टी की अन्तरंग व्यवस्था के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	२३
अविश्वास के प्रस्ताव के विषयों पर चर्चा के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	२३
लखनऊ, कानपुर एवं वाराणसी में बेसिक रीडरों के सुलभ न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य ..	२३–२५
इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट की सदस्यता के लिये निर्वाचन तिथि की सूचना	२५–२६
समाजवादी एकता दल के संबंध में सूचना	२६–२७
कार्यक्रम के बारे में सूचना	२७–२९
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ (पुरःस्थापित किया गया)	२९
उत्तर प्रदेश जिला परिषद विधेयक, १९५९ (विवाद जारी) ..	२९–७५
कार्यक्रम के संबंध में सूचना	७५–७६
नत्थियां	७७–८७

मंगलवार, ११ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	८९–९३
प्रश्नोत्तर	९३–१२०
१९५४-५५ के विनियोग लेखे और १९५६ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट (मेज पर रखी गयी)	१२०
१९५५-५६ के विनियोग लेखे और १९५७ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (भाग २) पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट (मेज पर रखी गयी)	१२०–१२१
सुनखरी खुर्द के काश्तकारों के भूमिहीन होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१२१
देवरिया जिला कोआपरेटिव बैंक के चुनाव में विलम्ब एवं पक्षपात के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का वक्तव्य (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	१२२–१२६

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के उत्तर में श्री राज्यपाल का पत्र ..	१२६
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के संबंध में जानकारी की मांग ..	१२६
माल विभाग की विज्ञप्तियों को सदन की मेज पर रखने में विलम्ब के संबंध में स्पटीकरण	१२६
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ (पुरःस्थापित किया गया)	१२६–१२७
कार्यक्रम के बारे में जानकारी की मांग	१२७
समाजवादी एकता दल को मान्यता प्रदान करने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	१२७–१२९
उत्तर प्रदेश जिला परिषद विधेयक, १९५९ (प्रस्ताव पर, कि विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, विवाद—जारी) ..	१२९–१७६
नत्थियां	१७७–१८३

बुधवार, १२ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	१८५–१८९
प्रश्नोत्तर	१८९–१९४
विभिन्न दिनों की कार्य-सूची में समान संख्या में प्रश्न रखने का सुझाव ..	१९५
बरेली जिले में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को पीटने के संबंध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१९५
जिला बाराबंकी में घाघरा की भयंकर बाढ़ के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१९५
इटावा जिले में चकबन्दी के बाद भूमि का कब्जा न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत न्याय मंत्री का वक्तव्य	१९६–१९८
विशिष्ट दीर्घा का प्रवेश-पत्र न मिलने के संबंध में शिकायत	१९९
कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक के संबंध में जानकारी की मांग	१९९–२००
नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई एक सूचना के संबंध में जानकारी की मांग ..	२००
उत्तर प्रदेश जिला परिषद विधेयक, १९५९ (प्रस्ताव पर, कि विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, विवाद—जारी) ..	२००–२५५
२८ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न २५-२६ से संबद्ध सहारनपुर-बागपत रोड के निर्माणार्थ ली गई जमीन के बारे में विवाद	२५५–२६१
नत्थी	२६२–२६३

बृहस्पतिवार, १३ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	२६५–२६९
प्रश्नोत्तर	२६९–२९२

विषय	पृष्ठ-संख्या
पूर्वी जिलों में अनावृष्टि के कारण जनता में व्यापक असन्तोष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२९३–२९४
सरकार की ओर से कुछ सदस्यों को प्रलोभन देकर अनुचित दबाव डालने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२९४–२९६
नयम ५२ के अन्तर्गत लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र श्री विजय सिंह को पुलिस द्वारा पीटने पर गृह उपमंत्री का वक्तव्य	२९६–२९८
नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये अन्य विषयों के संबंध में जानकारी ..	२९८
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ (विचारोपरान्त पारित)	२९८–३२२
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ (प्रस्ताव कि विधेयक पर बिचार किया जाय--विवाद जारी)	३२२–३३५
३१ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न ११७ से संबंधित विषय पर विवाद (स्थगित)	३३५
नत्थी	३३६

बृहस्पतिवार, २० अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	३३७–३४१
इलाहाबाद और गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट तथा प्रदेशीय शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना	३४१
प्रश्नोत्तर	३४१–३६२
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक की प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	३६२
कांग्रेस प्रेसीडेन्ट के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचनाएं (अनुज्ञा नहीं दी गई)	३६२–३६४
कार्य-क्रम में परिवर्तन पर आपत्ति	३६४
कुछ कार्य-स्थगन प्रस्तावों के संबंध में सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	३६४
नियम ५२ के अन्तर्गत गोरखपुर श्रमिक भर्ती संगठन की समाप्ति के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	३६४–३६६
कार्य-क्रम में परिवर्तन किये जाने पर आपत्ति	३६६–३६८
नियम ५२ के अन्तर्गत श्री गेंदासिंह द्वारा उठाये गये विषय पर सहकारिता मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के संबंध में सूचना	
वीन्स कालेज, वाराणसी में कक्षा ७ के छात्रों की फीस जमा होने के संबंध में जानकारी की मांग	३६८
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना के संबंध में जानकारी की मांग	३६९

विषय	पृष्ठ संख्या
लाउड स्पीकरों से कपड़े फटने की शिकायत	३६९
लखनऊ यूनिवर्सिटी. कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३६९
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (पुरःस्थापित किया गया)	३६९–३७४
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ (प्रस्ताव पर, कि विधेयक पर विचार किया जाय, विवाद जारी) ..	३७४–४१५
नियम ५० के अन्तर्गत ३१ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न ११७ के संबंध में श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न पर विवाद (अगले दिन के लिये स्थगित)	४१५
श्री चरणसिंह द्वारा वक्तव्य न दिये जाने की सूचना	४१५
नत्थियां	४१६–४४९

शुक्रवार, २१ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	४५१–४५५
प्रश्नोत्तर	४५५–४८१
श्री चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित)	४८२–४९०
खतौली मैन्योर मिल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४९०–४९१
तुलाराम बाग हाउसिंग स्कीम, इलाहाबाद के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४९१
बलिया जिले में गंगा की भीषण कटान की ओर ध्यान आकर्षणार्थ नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४९२
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाओं के संबंध में जानकारी की मांग	४९२
नियम ५२ के अन्तर्गत देवरिया जिले में कोआपरेटिव बैंक के चुनाव में कथित हस्तक्षेप के संबंध में सहकारिता मंत्री का वक्तव्य ..	४९३–४९६
लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना	४९६
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ (पारित)	४९६–५०५
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ (प्रस्ताव पर, कि विधेयक पर विचार किया जाय तथा संशोधन पर कि विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय—विवाद जारी)	५०५–५३८
३१ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न ११७ पर श्री त्रिलोकीसिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न के संबंध में विवाद	५३९–५४४
नत्थियां	५४५–५५९

सोमवार, २४ अगस्त, १९५९

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	५६१–५६५
इलाहाबाद व गोरखपुर यनिवर्सिटी कोर्ट तथा सैनिक शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के चुनाव का स्थगन	५६५
प्रश्नोत्तर	५६६–५८४
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९	५८५
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५८५
श्री चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (स्थगित)	५८५–५८८
केन्द्रीय खाद्य मंत्री द्वारा प्रदेश की खाद्य नीति को दोषी ठहराने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५८८–५९०
नियम ५२ के अन्तर्गत नगरपालिका देवरिया की अव्यवस्था के संबंध में वक्तव्य	५९०
नियम ५२ के अन्तर्गत बलिया जिले की बाढ़ के विषय में सरकारी वक्तव्य के संबंध में जानकारी की मांग	५९०–५९१
अल्पसूचित प्रश्नों के संबंध में सूचना	५९१
नगरपालिका देवरिया संबंधी वक्तव्य के विषय में जानकारी ..	५९१–५९२
प्रश्नों के संबंध में शिकायत	५९२
नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के संबंध में जानकारी ..	५९२
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ (विवाद जारी) ..	५९२–६३२
नत्थियां	६३३–६३८

मंगलवार, २५ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	६३९–६४३
प्रश्नोत्तर	६४३–६६८
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ (मेज पर रखा गया)	६६८
अस्वीकृत प्रश्नों के देर से मिलने के संबंध में शिकायत	६६८
आगरा में चावल तथा चीनी के तस्कर व्यापार के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६६८
साहू केमिकल्स फैक्टरी, वाराणसी के मजदूरों को निकाल देने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६६९
नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषयों की सूचनाएं	६६९

विषय	पृष्ठ संख्या
क्वीन्स कालेज, वाराणसी में दर्जा ७ की पढ़ाई बन्द करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६६९–६७१
मंत्री जी के पास सूचना न होने पर नियम ५२ के अन्तर्गत दूसरा प्रस्ताव लेने की प्रार्थना	६७१
तस्कर व्यापार संबंधी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में जानकारी ..	६७१
नियम ५२ के अन्तर्गत नगरपालिका देवरिया की अव्यवस्था के संबंध में वक्तव्य की मांग	६७१–६७२
१९५९–६० का प्रथम पूरक अनुदान	६७२–६७३
१९५५–५६ के अतिरिक्त अनुदान	६७३
कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी	६७३–६७४
पूरक अनुदान प्रस्तुत करने पर आपत्ति	६७४
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९	६७५–७३१
नत्थियां	७३२–७४७

बृहस्पतिवार, २७ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	७४९–७५३
प्रश्नोत्तर	७५३–७७४
श्री सीताराम शुक्ल द्वारा कांग्रेस दल से त्याग-पत्र देने के संबंध में सूचना ..	७७५
श्री रामायण राय को सजा होने के संबंध में सूचना	७७५
साहू केमिकल वर्क्स, दुलहीपुर में मजदूरों की बिला नोटिस छटनी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)	७७५–७७७
विश्वविद्यालय कोर्ट के चुनाव के संबंध में जानकारी की मांग ..	७७७
साहू केमिकल वर्क्स, दुलहीपुर में मजदूरों की बिला नोटिस छटनी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७७७
मिर्जापुर के बर्तन व्यवसाय पर नगरपालिका द्वारा चुंगी बढ़ाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७७७
नियम ५२ के अन्तर्गत २५ अगस्त, १९५९ को विधान परिषद् के सभापति के डाकुओं द्वारा घेरे जाने के बारे में गृह मंत्री का वक्तव्य ..	७७७
नियम ५२ के अन्तर्गत देवरिया नगरपालिका के सदस्य श्री तिलकसिंह के अनशन के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य ..	७७८
नियम ५२ के अन्तर्गत देवरिया जिले के थाना लार, खामपार एवं खुंखुन्दू की सीमा पर पशुओं की खालें गुप्त दलों द्वारा उतारे जाने के संबंध में गृह मंत्री का वक्तव्य	७७९–७८१
नियम ५२ के अन्तर्गत पूर्वी जिलों में गंगा तथा घाघरा की बाढ़ के संबंध में वक्तव्य	७८१–७८४

विषय	पृष्ठ संख्या
लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के ५ स्थानों के लिये निर्वाचन संबंधी सूचना	७८५–७८६
सदन का उपवेशन समाप्त होने की सूचना दस दिन पूर्व देने की प्रार्थना ..	७८७
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ ..	७८७–७९८
कार्यक्रम के संबंध में आपत्ति	७९८
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (विवाद जारी)	७९९–८२८
नत्थियां	८२९–८३५

शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	८३७–८४१
प्रश्नोत्तर	८४१–८६९
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव पर विधान परिषद् की सहमति की सूचना ..	८६९–८७०
चुनाव के संबंध में आपत्ति	८७०
किरावली तहसील में वाटर लागिंग के फलस्वरूप किसानों की भयंकर परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी)	८७०
मिर्जापुर नगरपालिका द्वारा बर्तन व्यवसाय में चुंगी में वृद्धि के फलस्वरूप हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य	८७०–८७१
नियम ५२ के अन्तर्गत २५ अगस्त, १९५९ को रात में विधान परिषद् के सभापति के डाकुओं से घिर जाने के संबंध में गृह मंत्री का वक्तव्य ..	८७१–८७४
सिधौली में लगान वसूली में अत्याचार के विषय में डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा की सूचना पर न्याय मंत्री का वक्तव्य	८७४–८७५
जिला परिषद् विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन	८७५–८७६
खाद्य परिस्थिति पर विवाद	८७६–९२६
नत्थियां	९२७–९३१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल

श्री वराहगिरि वेंकटगिरि

मंत्रि-परिषद्

मंत्री (जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस०-सी, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, उद्योग, श्रम, सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, स्वास्थ्य, माल, सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान-सभा-सदस्य, वित्त तथा वन मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा, हरिजन कल्याण तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा सहकारिता मंत्री।

मंत्री (जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक कर तथा परिवहन मंत्री।

श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, खाद्य मंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, समाज कल्याण मंत्री।

उप-मंत्री

श्री सुल्तान आलम खां, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य, श्रम उपमंत्री।

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य, गृह उपमन्त्री।

श्री महावीरसिंह, विधान-परिषद्-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री।

श्री वीरेन्द्र वर्मा, विधान-सभा-सदस्य, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जयराम वर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन उपमन्त्री।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल, विधान-सभा-सदस्य, राजस्व उपमन्त्री।

श्री दीनदयालु शास्त्री, विधान-सभा-सदस्य, शिक्षा उपमंत्री।

श्री कालीचरण अग्रवाल, विधान-सभा-सदस्य, कृषि उपमंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य।

श्री राजबिहारीसिंह, विधान-सभा-सदस्य।

राजस्व मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य।

गृह-मंत्री के सभा-सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

132513

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	अक्षयवरसिंह, श्री	पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री	कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री	नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री	अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	कोपागंज
७	अब्दुस्समी, श्री	बरौंसा
८	अभयराम यादव, श्री	जसवंतनगर
९	अमरनाथ, श्री	महराजगंज
१०	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	मिर्जापुर
११	अमोलादेवी, श्रीमती	अठेहा
१२	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री	उतरौला
१४	अलीजहीर, श्री सैयद	लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर	मिसरिख
१६	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	भोजपुर
१७	अवधेशप्रतापसिंह, श्री	बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री	रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री	जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	झांसी
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्मशाह, श्री	राबर्ट्सगंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित (आंग्ल-भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री	सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री	गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री	सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री	बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री	बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	कानपुर शहर
३२	उल्फतसिंह, श्री	सहसवान
३३	ऊदल, श्री	कोलासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री	कानपुर शहर
३५	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	शाहाबाद
३६	कमरुद्दीन, श्री	बुधना
३७	कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी	करछना
३८	कमलापति त्रिपाठी, श्री	चन्दौली
३९	कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले	पुवायां
४०	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४१	कल्याणराय, श्री	शाहाबाद

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
४२	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	महाइच
४३	कालीचरण अग्रवाल, श्री	कासगंज
४४	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	कादीपुर
४५	किशनसिंह, श्री	ठाकुरद्वारा
४६	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
४७	केशभान राय, श्री	मगहर
४८	केशव पांडेय, श्री	मनीराम
४९	केशवराम, श्री	बिसौली
५०	कैलाशकुमार सिंह, श्री	इस्लामनगर
५१	कैलाशनारायण गुप्त, श्री	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५२	कैलाशप्रकाश, श्री	मेरठ शहर
५३	कैलाशवती, श्रीमती	छिल्लुपुर
५४	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री	छिबरामऊ
५५	कृपाशंकर, श्री	नगर
५६	खजानसिंह, चौधरी	उन्नाव
५७	खमानसिंह, डाक्टर	मुरादाबाद (देहात)
५८	खयालीराम, श्री	मोहनलालगंज
५९	खुशीराम, श्री	पिथौरागढ़
६०	खूबसिंह, श्री	धामपुर
६१	गंगाधर जाटव, श्री	एतमादपुर
६२	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)	गोंडा (दक्षिण)
६३	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	एटा
६४	गंगा प्रसाद सिंह, श्री	रसरा
६५	गजेन्द्रसिंह, श्री	बिधुना
६६	गज्जूराम, श्री	ललितपुर
६७	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	बांसगांव
६८	गनेशचन्द्र काछी, श्री	भोगांव
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	बिस्वां
७०	गयाप्रसाद, श्री	कुंडा
७१	गयाबख्शसिंह, श्री	इसौली
७२	गयूर अली खां, श्री	भवन
७३	गरीबदास, श्री	कालपी
७४	गिरधारीलाल, श्री	धामपुर
७५	गुप्तारसिंह, श्री	सरेनी
७६	गुरुप्रसादसिंह, श्री	मुसाफिरखाना
७७	गुलाबसिंह, श्री	मसूरी
७८	गेंदादेवी, श्रीमती	खलीलाबाद
७९	गेंदासिंह, श्री	पडरौना (पूर्व)
८०	गोकुलप्रसाद, श्री	चायल
८१	गोपाली, श्री	खुर्जा
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	नारायनी
८३	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	जालौन
८४	गोविन्दसहाय, श्री	नगीना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
८५	गोविन्दसिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री	फरेंदा (पश्चिम)
८७	गौरीशंकर राय, श्री	बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री	बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री	भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री	मोहम्मदाबाद गोहाना
९१	चन्द्रदेव, श्री	पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	निजामाबाद
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री	पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री	बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती	बिजनौर
९६	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री	बछरावां
९७	चरणसिंह, श्री	कोटना
९८	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	कौंच
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री	जलेसर
१००	छत्तरसिंह, श्री	खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री	आगरा (शहर)
१०२	छेदीलाल, श्री	श्रीनगर
१०३	छोटेलाल पालीवाल, श्री	सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री	हैदरगढ़
१०५	जगदीशनारायण, श्री	बिलारी
१०६	जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री	मोहम्मदी
१०७	जगदीशप्रसाद, श्री	हसनपुर
१०८	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री	बरेली (शहर)
१०९	जगन्नाथ, चौधरी	सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथप्रसाद, श्री	धौरहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री	फिरोजाबाद
११२	जगपतिसिंह, श्री	करवी
११३	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	गंगा सलाण
११४	जगबीरसिंह, श्री	अगोटा
११५	जमुनासिंह, श्री	गुन्नौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर	हरौरा
११७	जयदेवसिंह आर्य, श्री	घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री	टांडा
११९	जरगाम हैदर, श्री सैयद	बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहरलाल, श्री	मंझनपुर
१२१	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	कानपुर (शहर)
१२२	जागेश्वर, श्री	किशनपुर
१२३	जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	कांठ
१२४	जुगुलकिशोर, आचार्य	गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री	मेजा
१२६	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	घाटमपुर
१२७	झारखण्डेराय, श्री	घोसी

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१२८	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री	.. खैराबाद
१२९	टीकाराम, श्री	.. बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	.. सादाबाद
१३१	डूंगरसिंह, श्री	.. राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	.. सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर	.. मड़ियाहूं
१३४	तिरमलसिंह, श्री	.. सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री	.. लालगंज
१३६	तेजासिंह, श्री	.. गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकी सिंह, श्री	.. लखनऊ शहर (पूर्व)
१३८	त, श्री एस० जी०	.. कानपुर-शहर
१३९	ददशरथप्रसाद, श्री	.. बलरामपुर
१४०	दाताराम, चौधरी	.. नकुड़
१४१	दीनदयालु करुण, श्री	.. बलरामपुर
१४२	दीनदयालु शर्मा, श्री	.. अनूपशहर
१४३	दीनदयालु शास्त्री, श्री	.. रुड़की
१४४	दीपंकर, आचार्य	.. बड़ौत
१४५	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	.. देवरिया (दक्षिण)
१४६	दुर्योधन, श्री	.. महाराजगंज
१४७	देवकीनन्दन विभव, श्री	.. आगरा (शहर)
१४८	देवदत्तसिंह, श्री	.. टप्पल
१४९	देवनारायण भारतीय, श्री	.. जमौर
१५०	देवराम, श्री	.. शादियाबाद
१५१	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	.. अकबरपुर
१५२	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	.. मुजफ्फरनगर
१५३	द्वारिकाप्रसाद, श्री	.. कन्नौज
१५४	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	.. फरेन्दा (पूर्व)
१५५	धनीराम, श्री	.. लालगंज
१५६	धनुषधारी पाडेय, श्री	.. महुली
१५७	धरमपाल सिंह, श्री	.. तुलसी पुर
१५८	धर्मदत्त वैद्य, श्री	.. सिरौली
१५९	धर्म सिंह, श्री	.. अनूप शहर
१६०	नत्थाराम रावत, श्री	.. बाराबंकी
१६१	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	.. फरीदपुर
१६२	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. करहल
१६३	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	.. हाथरस
१६४	नन्दराम, श्री	.. कुण्डा
१६५	नरदेवसिंह दतियान वी, श्री	.. चांदपुर
१६६	नरन्द्रसिंह भण्डारी, श्री	.. केदारनाथ
१६७	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	.. पिथौरागढ़
१६८	नवलकिशोर, श्री	.. आंवला
१६९	नागेश्वरप्रसाद, श्री	.. गरवारा
१७०	नारायणदत्त तिवारी, श्री	.. नैनीताल

विधान परिषद उ०प्र०

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१७१	नारायणदास पासी, श्री	बीकापुर (पश्चिम)
१७२	निरंजनसिंह, श्री	पीलीभीत
१७३	नेकराम शर्मा, श्री	अतरौली
१७४	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	अतरौलिया
१७५	पब्बरराम, श्री	गाजीपुर
१७६	परमानन्द सिनहा, श्री	सोरांव (पश्चिम)
१७७	परमेश्वरदीन वर्मा, श्री	पुर्वा
१७८	पहलवानसिंह, चौधरी	बांदा
१७९	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	मेरठ (छावनी)
१८०	प्रतापबहादुरसिंह, श्री	फखरपुर
१८१	प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री	लहरपुर
१८२	प्रतापसिंह, श्री	टनकपुर
१८३	प्रभावती मिश्र, श्रीमती	लम्भुआ
१८४	प्रभुदयाल, श्री	बानगंगा (पश्चिम)
१८५	फतेहसिंह राणा, श्री	सरधना
१८६	बंशीधर शुक्ल, श्री	श्रीनगर
१८७	बलदेवसिंह, श्री	महदेवा
१८८	बलदेवसिंह आर्य, श्री	शाहाबाद
१८९	बलवानसिंह, श्री	अकबरपुर
१९०	बसन्तलाल, श्री	लखनऊ (छावनी)
१९१	बादामसिंह, श्री	शिकारपुर
१९२	बाबूराम, श्री	भोजीपुरा
१९३	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	प्रतापगंज
१९४	बालकराम, श्री	तिलहर
१९५	बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री	डोमरियागंज (दक्षिण)
१९६	बिन्दुमती दास, श्रीमती	प्रतापगंज
१९७	बिशम्भरसिंह, श्री	हस्तिनापुर
१९८	बिहारीलाल, श्री	बीसलपुर
१९९	बुलाकीराम, श्री	हरदोई
२००	बुद्धीलाल, श्री	नानपारा
२०१	बुद्धीसिंह, श्री	बहजोई
२०२	बृजवासीलाल, श्री	बीकानेर (पश्चिम)
२०३	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	बिल्हौर
२०४	बेचनराम, श्री	ज्ञानपुर
२०५	बेचनराम गुप्त, श्री	ज्ञानपुर
२०६	बेनीबाई, श्रीमती	मऊ
२०७	बैजूराम, श्री	सिधौली
२०८	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	पडरौना (पश्चिम)
२०९	ब्रजभषणशरण, श्री	देहरादून
२१०	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	कानपुर (शहर)
२११	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	भावापुर
२१२	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१३	भगवतीसिंह विशारद, श्री	भगवन्तनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२१४	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
२१५	भजनलाल, श्री	औरया
२१६	भीखालाल, श्री	हसनगंज
२१७	भुवनशभूषण शर्मा, श्री	इटावा
२१८	भूपकिशोर, श्री	अलीगंज
२१९	मंगलाप्रसाद, श्री	मेजा
२२०	मूंजूरुलनबी, श्री	सहारनपुर
२२१	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	नौगढ़
२२२	मदनगोपाल वैद्य, श्री	अमीसन
२२३	मदन पाडेय, श्री	तिलपुर
२२४	मदनमोहन, श्री	फजाबाद
२२५	मन्नालाल, श्री	मोहमदी
२२६	मलखानसिंह, श्री	सिकन्दराराऊ
२२७	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	मैनपुरी
२२८	महमद अली खां, कुंवर (मेरठ)	दसना
२२९	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	स्वार टांडा
२३०	महमूद अलीखां, श्री (सहारनपुर)	मुजफ्फराबाद
२३१	महमद हुसैन खां, श्री	सम्भल
२३२	महादेवप्रसाद, श्री	फखरपुर
२३३	महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	कवाई
२३४	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ शहर (मध्य)
२३५	महीलाल, श्री	बिलारी
२३६	महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा	बाह
२३७	महेशसिंह, श्री	हरदोई
२३८	माताप्रसाद, श्री	शाहगंज
२३९	मान्धातासिंह, श्री	कोपाचीत
२४०	मिहरबानसिंह, श्री	भरथना
२४१	मकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	रूदौली
२४२	मुक्तिनाथ राय, श्री	गोपालपुर
२४३	मुजफ्फर हसन, श्री	चायल
२४४	मनीन्द्रपालसिंह, श्री	बीसल
२४५	मुबारकअली खां, श्री	उसेहट
२४६	मुरलीधर, श्री	माहुल
२४७	मुरलीधर कुरील, श्री	बिल्हौर
२४८	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	सफीपुर
२४९	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	वाराणसी शहर (उत्तर)
२५०	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	देवरिया (उत्तर)
२५१	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	बानगंगा (पूर्व)
२५२	मुहम्मद हुसैन, श्री	बरेली (छावनी)
२५३	मूलचन्द, श्री	मिसरिख
२५४	मोतीलाल अवस्थी, श्री	कानपुर (देहात)
२५५	मोहनलाल, श्री	महोबा
२५६	मोहनलाल गौतम, श्री	कोयल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२५७	मोहनलाल वर्मा, श्री	..	संडीला
२५८	मोहनसिंह मेहता, श्री	..	दानपुर
२५९	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	..	रायबरेली (उत्तर)
२६०	यमुनासिंह, श्री	..	शादियाबाद
२६१	यशपालसिंह, श्री	..	देवबन्द
२६२	यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव
२६३	यादवेन्द्रदत्त दूबे, राजा	..	जौनपुर
२६४	रऊफ जाफरी, श्री	..	मछलीशहर
२६५	रघुनाथसहाय यादव, श्री	..	किशनपुर
२६६	रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री, उपनाम लाल साहब	..	सादुल्ला नगर
२६७	रघुराजसिंह चौधरी, श्री	..	बुलन्दशहर
२६८	रघुवीरराम, श्री	..	मोहम्मदाबाद
२६९	रघुवीरसिंह, श्री (एटा)	..	जलेसर
२७०	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)	..	बागपत
२७१	रणबहादुरसिंह, श्री	..	हरैया (पश्चिम)
२७२	रमाकांतसिंह, श्री	..	अमेठी
२७३	रमानाथ खैरा, श्री	..	ललितपुर
२७४	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	बरसाथी
२७५	राघवराम पांडेय, श्री	..	गोंडा (दक्षिण)
२७६	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	..	मनकापुर
२७७	राजकिशोर राव, श्री	..	इकौना
२७८	राजदेव उपाध्याय, श्री	..	सिधुवाजोबना
२७९	राजनारायण, श्री	..	कसवार सरकारी
२८०	राजनारायण सिंह, श्री	..	अहरौरा
२८१	राजबिहारी सिंह, श्री	..	कसवार राजा
२८२	राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद
२८३	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती	..	डोमरियागंज (उत्तर)
२८४	राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती	..	मौदहा
२८५	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	शिकारपुर
२८६	राजेन्द्रसिंह, श्री	..	गोंडवा
२८७	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	..	शमसाबाद
२८८	रामअधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर)
२८९	राम अभिलाख, श्री	..	गोंडा (उत्तर)
२९०	रामकिंकर, श्री	..	पट्टी
२९१	रामकुमार वैद्य, श्री	..	अमरोहा
२९२	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	कंतित
२९३	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	..	फर्रुखाबाद
२९४	रामचन्द्र उनियाल, श्री	..	रवाई
२९५	रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद
२९६	रामजीलाल सहायक, श्री	..	सरधना
२९७	रामजीसहाय, श्री	..	सिलहट
२९८	रामदास आर्य, श्री	..	जानसठ

अ.भा.हिन्दी साहित्य सम्मेलन

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२९९	रामदीन, श्री	करहल
३००	रामनाथ पाठक, श्री	दोआबा
३०१	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	सुरहुरपुर
३०२	रामपाल त्रिवेदी, श्री	मलीहाबाद
३०३	रामप्रसाद, श्री	सलोन
३०४	रामप्रसाद देशमुख, श्री	कोयल
३०५	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	लैंसडाउन
३०६	रामबली, श्री	मुसाफिरखाना
३०७	राममूर्ति, श्री	बहेड़ी
३०८	रामरतनप्रसाद, श्री	रसरा
३०९	रामरती देवी, श्रीमती	अकबरपुर
३१०	रामलक्षण तिवारी, श्री	बांसडीह (पूर्व)
३११	रामलखन, श्री (वाराणसी)	चन्दौली
३१२	रामलखन मिश्र, श्री	बांसी (पश्चिम)
३१३	रामलखन सिंह, श्री	रारी
३१४	रामलाल, श्री	नगर
३१५	रामवचन यादव, श्री	माहुल
३१६	रामशरण यादव, श्री	मोहनलाल गंज
३१७	रामसनेही भारतीय, श्री	बबेरू
३१८	राम समझावन, श्री	केराकत
३१९	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	एतमादपुर
३२०	रामसुन्दर पांडेय, श्री	नत्थूराम
३२१	रामसूरत प्रसाद, श्री	पिपराइच
३२२	रामस्वरूप यादव, श्री	जसराना
३२३	रामस्वरूप वर्मा, श्री	भोगनीपुर
३२४	रामहेत सिंह, श्री	छाता
३२५	रामायण राय, श्री	पडरौना (दक्षिण)
३२६	रामेश्वरप्रसाद, श्री	बछरावां
३२७	रुकनुद्दीन खां, श्री	कोंहडौर
३२८	रूमसिंह, श्री	खेरा बजेहरा
३२९	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	काशीपुर
३३०	लक्ष्मणराव कदम, श्री	गरोथा
३३१	लक्ष्मणसिंह, श्री	रानीखेत (दक्षिण)
३३२	लक्ष्मीनारायण, श्री	पहाड़पुर
३३३	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	फतेहाबाद
३३४	लखमीसिंह, श्री	इगलास
३३५	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	माट
३३६	लायकसिंह, चौधरी	शिकोहाबाद
३३७	लालबहादुर सिंह, श्री	केराकत
३३८	लुत्फअली खां, श्री	हापुड़
३३९	लोकनाथ सिंह, श्री	कटेहर
३४०	ब्रजरंगबिहारीलाल रावत, श्री	हैदरगढ़
३४१	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	जमानिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३४२	वसी नकवी, श्री	रोखा
३४३	वासुदेव दीक्षित, श्री	खागा
३४४	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	मोदीनगर
३४५	विजयशंकर सिंह, श्री	मुहम्मदाबाद
३४६	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	शाहाबाद
३४७	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	देवप्रयाग
३४८	विशालसिंह, श्री	भिटौली
३४९	विश्रामराय, श्री	आजमगढ़
३५०	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	करांद
३५१	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	फतेहपुर (सीकरी)
३५२	वीरसेन, श्री	हापुड़
३५३	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	कैराना
३५४	वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री	बहराइच (दक्षिण)
३५५	वीरेन्द्रशाह, राजा	कालपी
३५६	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	महोबा
३५७	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	घाटमपुर
३५८	शंकर लाल, श्री	कादीपुर
३५९	शकुन्तला देवी, श्रीमती	हरौरा
३६०	शब्बीरहसन, श्री	खजुहा
३६१	शमशुल इस्लाम, श्री	निधपुर
३६२	शम्भूदयाल, श्री	संडीला
३६३	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	हरद्वार
३६४	शिवगोपाल तिवारी, श्री	सफीपुर
३६५	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	सिधुवाजोबना
३६६	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	खीरी
३६७	शिवमंगलसिंह, श्री	बांसडीह (पश्चिम)
३६८	शिवमूर्ति, श्री	फूलपुर
३६९	शिवराजबली सिंह, श्री	फतेहपुर
३७०	शिवराजबहादुर, श्री	नवाबगंज
३७१	शिवराजसिंह यादव, श्री	बिसौली
३७२	शिवराम, श्री	अफजलगढ़
३७३	शिवराम पांडेय, श्री	डेरापुर
३७४	शिववचन राव, श्री	सलेमपुर (दक्षिण)
३७५	शिवशंकरसिंह, श्री	डलमऊ
३७६	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	इकौना
३७७	शीतलाप्रसाद, श्री	तरबगंज
३७८	शोभनाथ, श्री	राबर्टसगंज
३७९	श्याममनोहर मिश्र, श्री	लखनऊ (छावनी)
३८०	श्यामलाल, श्री	माट
३८१	श्यामलाल यादव, श्री	मुगलसराय
३८२	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	किथोर
३८३	श्रीकृष्ण गोयल, श्री	उझानी
३८४	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	खैरागढ़
३८५	श्रीनाथ, श्री	मोहम्मदाबाद गोहाना

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३८६	श्रीनाथ भार्गव, श्री	मथुरा
३८७	श्रीनिवास, श्री	गांगिरी
३८८	श्रीपालसिंह, कुंवर	शाहगंज
३८९	संग्रामसिंह, श्री	सोरांव (पूर्व)
३९०	सईद अहमद अन्सारी, श्री	ज्वालापुर
३९१	सजीवनलाल, श्री	हसनगंज
३९२	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	दादरी
३९३	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९४	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	सरजू
३९५	सियादुलारी, श्रीमती	करवी
३९६	सीताराम, डाक्टर	सिलहट
३९७	सीताराम शुक्ल, श्री	हरैया (पूर्व)
३९८	सुक्खनलाल, श्री	हसनपुर
३९९	सुखरानी, श्रीमती	फतेहपुर
४००	सुखरामदास, श्री	टांडा
४०१	सुखलाल, श्री	औरैया
४०२	सुखीराम भारतीय, श्री	फूलपुर
४०३	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	मऊ
४०४	सुनीता चौहान, श्रीमती	सलोन
४०५	सुन्दरलाल, श्री	फरीदपुर
४०६	सुरथबहादुर शाह, श्री	निघासन
४०७	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	हमीरपुर
४०८	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	पुवायां
४०९	सुरेश प्रकाशसिंह, श्री	बिसवां
४१०	सुल्तान आलम खां, श्री	कायमगंज
४११	सूरतचन्द्र रमोला, श्री	टेहरी
४१२	सूर्यबली पांडेय, श्री	हाटा
४१३	सोहनलाल धुसिया, श्री	बांसी (पूर्व)
४१४	हमीदुल्ला खां, श्री	चारदा
४१५	हरकेशबहादुर, श्री	पट्टी
४१६	हरदयालसिंह, श्री	जलालाबाद
४१७	हरदयाल सिंह पिपल, श्री	हाथरस
४१८	हरदेवसिंह, श्री	देवबन्द
४१९	हरिदत्त कांडपाल, श्री	रानीखेत (उत्तर)
४२०	हरिश्चन्द्र सिंह, श्री	दातागंज
४२१	हरिहरबख्श सिंह, श्री	पाली
४२२	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	सीतापुर
४२३	हरीसिंह,	कियौर
४२४	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	मुरादाबाद शहर
४२५	हिम्मतसिंह, श्री	डिबाई
४२६	हुकुमसिंह बिसेन, श्री	कसरगंज
४२७	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	मंझनपुर
४२८	होरी लाल यादव, श्री	कन्नौज

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४२९	(रिक्त)	..	शाहजहांपुर
४३०	(रिक्त)	..	शिवपुर
४३१	(रिक्त)	..	चुनार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उदयाचल सभा

म

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।
श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

पुस्तकाध्यक्ष

श्री बृजेन्द्रनारायणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष पदुआ प्रेस सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी,
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री

शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़).
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० अगस्त, १९५९

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

सातवीं कक्षा में निश्शुल्क शिक्षा देने की प्रार्थना

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सातवें क्लास के छात्रों की मुफ्त पढ़ाई का आदेश जारी करने का विचार कब तक है ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—धनाभाव के कारण इस समय ऐसा कोई आदेश जारी करने का विचार नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार का आदेश जारी करने का सरकार कब तक विचार रखती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो यही उत्तर दिया कि अभी विचार नहीं है। निकट भविष्य में भी यह आशा नहीं की जा सकती है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में सरकार ने वादा किया था कि १९५८-५९ में सातवें और आठवें क्लास की फीस माफ कर दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा डेफिनिट वादा नहीं था। यही कहा गया था कि यदि साधन उपलब्ध हो सके तो विचार किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को यह मालूम है कि छठां क्लास पास लड़के फीस न मिलने के कारण अधिकांश संख्या में सातवें क्लास में नाम नहीं लिखा पाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी सूचना तो नहीं है कि फीस न देने की वजह से सातवें दर्जे में न पढ़ते हों।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

*१---**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या खाद्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि राज्य के किस-किस जिले में 'कोरीडोर' क्षेत्र घोषित किया गया है, उस क्षेत्र की आबादी कितनी है, क्या-क्या पाबन्दियां लगायी गयी हैं और उस क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---यू० पी० फूडग्रेन्स (रिसट्रिक्शन्स आन बार्डर मूवमेंट) आर्डर, १९५९ U. P. Foodgrains (Restrictions on Border Movement) Order 1959 के अन्तर्गत आने वाले जिलों की सूची आबादी सहित संलग्न है। इस आदेश के मातहत गेहूं, चावल, और धान को सीमावर्ती क्षेत्र में, न बाहर से लाया जा सकता है और न एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है। इस क्षेत्र की आवश्यकता पूरा करने के लिये आर्डर में ही काफी व्यवस्था की गई है। उदाहरणस्वरूप आर्डर निम्नलिखित हालतों में लागू नहीं होता---

सीमावर्ती क्षेत्र में एक ही गांव या शहर के अन्दर अथवा सीमावर्ती क्षेत्र में एक गांव से निकटतम गल्ले की मंडी को, गल्ला ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र का निवासी अपने निजी इस्तेमाल के लिये २० सेर तक गल्ला किसी एक समय में ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिलाधीशों एवं आर० एफ० सीज० को परमिट द्वारा गल्ला ले जाने के लिये अनुमति देने का अधिकार है। इनके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोल दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७ पर)

*२---**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित)---इस प्रकार का क्षेत्र घोषित करने का कारण क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---स्पष्टतः उपर्युक्त आर्डर उत्तर प्रदेश राज्य से निकटवर्ती राज्यों को अवैध रूप तथा चोरी से गल्ला ले जाने पर रोक लगाने के अभिप्राय से जारी किया गया।

[१० अगस्त, १९५९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

भेड़ तथा ऊन विकास केंद्र

*१---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में भेड़ तथा ऊन के विकास कन्द्र कितने और कहां-कहां हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)---उत्तर प्रदश में भेड़ तथा ऊन के ७९ विकास केन्द्र हैं जिसकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७८-७९ पर)

*२---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी उक्त प्रकार की असरकारी संस्थायें कितनी हैं, जिन्हें सरकार सहायता तथा परामर्श देती है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जहां तक सरकार को ज्ञात है ऐसी उक्त प्रकार की असरकारी संस्थायें प्रदेश में नहीं हैं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसी जगह पर भेड़ तथा ऊन के विकास के केन्द्र खोले जाने के लिये कोई आधार रहते हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जी हां ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह आधार क्या हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---इसका मुख्य आधार यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भेड़ें हैं और भेड़ों की तरक्की हो सकती है । चूंकि यह काम अभी सब जगह नहीं चलाया जा सकता इसलिये उन क्षेत्रों को चुना जाता है जहां भेड़ों की तादाद ज्यादा हो और जहां की जलवायु उनके लालन-पालन के अनुकूल हो ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की करेगी कि इन कन्द्रों में कुल कितनी भड़ें पाली जा रही हैं और कितना ऊन निकलता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस वक्त भेड़ों की गिनती और कितना ऊन है यकायक बताना मुश्किल ह । लेकिन कोशिश की गयी है कि विदेशों से भेड़े मंगवायी जांय । उनको यहां रखने की कोशिश की गयी है । बहुत-सी भेंड़ें मर भी गयी हैं और फिर बार-बार मंगवायी गयी हैं । हम कह सकते हैं कि इस एक्सपेरीमेंट से ऊन की काफी अच्छी तरक्की हुई है और अच्छा ऊन पैदा करने के हम अब काबिल बन गये हैं ?

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सीमान्त इलाकें, पांगो, जौलजोबी और मंसियारी आदि जहां का मुख्य उद्योग भेड़ पालना और ऊन का व्यापार है वहां इन केन्द्रों में से कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---लिस्ट सामने रखी हुई है ।

श्री प्रताप सिंह---मेरे पास तो नहीं है । मैं तो सिर्फ यह जानमा चाहता हूं कि सीमांत इलाके में जहां भेड़ पालना और ऊन का व्यापार करना मुख्य उद्योग है ये जितने केन्द्र खोले गये हैं उनमें से वहां कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि लिस्ट बड़ी है । आप को अलग प्रश्न पूछ लेना चाहिये, यह पूरक प्रश्न में नहीं आयेगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन ७९ विकास केन्द्रों में कुल कितना ऊन सालाना पैदा होता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह हर साल एक ही तरह की नहीं होती । भिन्न-भिन्न मिकदार में होती है और उसक लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि तिब्बत से ऊन आना करीब-करीब बन्द हो रहा है, विशेष कोई ऐसा एफर्ट करने जा रहे हैं जिससे कि अच्छी नस्ल की भेंड़ें पाली जांय और ऊन अधिक पैदा हो सके ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह समस्या हमारे सामने है कि तिब्बत से ऊन का आना चूंकि कम हो गया है इसलिये हमारे यहां ऊन की दस्तकारी घाटे में न होने पाये, उसकी तरफ विशेष ध्यान और विशेष प्रयत्न हो रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी ने जो अभी फरमाया कि विशेष ध्यान है उस तरफ तो अब तक क्या कदम उठायें हैं, कोई सालिड रूप उसका आ सका है ? अगर हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और अगर नहीं तो क्या उस कमेटी में उन स्थानों के लोगों को रखा जायगा ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—अब तक यह किया है कि जो हमारे फार्म हैं वहां पर दो प्रकार का कार्य हम करते हैं, एक तो यह कि प्रजनन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । जहां तक कि पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हमने विलायती भेड़ों को मंगाया है और उनके द्वारा प्रजनन इस प्रकार की भेड़ों का कर रहे हैं ताकि उसकी नस्ल बढ़ सके । जहां तक कि प्लेन्स का सवाल है वहां पर बीकानेरी और अजमेरी भेड़ों का मंगाया है । उनके द्वारा प्रजनन कार्य को बढ़ा रहे हैं । साथ-साथ ऊन किस तरह से काटा जाय और किस प्रकार से उसकी तरक्की की जाय यह सब बातें चल रहीं हैं । अनुसन्धानशालायें भी हमने पहाड़ी इलाकों में और नीचे के हिस्से में खोल रखी हैं ।

लोहे का जिलेवार कोटा

*३—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७–५८ व १९५८–५९ में प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितना-कितना लोहा दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०–८१)

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह समस्त कोटा जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा परमिट पर वितरण के लिये दिया गया था और उसमें लोहे की सरिया भी सम्मिलित है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें एलाटमेंट तो हम कर देते हैं मगर कठिनाई इस बात की होती है कि जहां से लोहा आता है वह उनके यहां कुछ प्रायरिटीज बनी रहती हैं जहां पर कि लोहे के कारखाने हैं । तो बाज दफे तो वह इनकार कर देते हैं या ऐसा माल दे देते हैं कि जो जिस जिले का इंडेंट है उसके मुताबिक नहीं होता है, दूसरा सामान भेज देते हैं । यह कठिनाई जरूर है सामने । हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसको हल किया जाय ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार भविष्य में ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि जिलों से जिस प्रकार के कोटे की लिस्ट आये उसी के अनुसार कोटा भेजा जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह अपने अधिकार में पूरी बात होती तो हम कभी के इसको कर लिये होते । असल में यह हमारे अधिकार-क्षेत्र के बाहर की बात है और गवर्नमेंट आफ इंडिया भी सीधे उसमें हाथ नहीं रखती है बल्कि आयरन एंड स्टील कंट्रोलर जो कलकत्ते में रहते हैं उनके द्वारा यह काम होता है और जो लोहे के कारखाने हैं वह भी गड़बड़ पैदा कर देते हैं । मगर फिर भी हम इसको सोच रहे हैं कि किस तरह से इस सारे मामले को सुधारा जाय । यह सारा मामला विचाराधीन है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें कोटा प्राप्त करने वालों से आयी हैं कि आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर से जो प्रायरिटी फिक्स होती है उसमें पक्षपात किया जाता है और उत्तर प्रदेश वालों को ठीक समय से लोहा नहीं मिल पाता है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कदम उठाया है अब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन चीजों की तो निरन्तर उनसे बातचीत होती रहती है और बहुत-सी बातों में जिसमें हम उनसे सहमत नहीं होते, आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर से, तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखते हैं और कई बार लिखा भी है। इसकी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा इंडेंट होता है वही वह दिया करें। मगर अभी तक बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ है सिवाय इसके कि सेंट्रल के मिनिस्टर को जब हमने पत्र लिखा था तो उन्होंने २ हजार टन सरिया जो चादरें, टिन शीट्स और आयरन बार्स थे वह दे दिया जो कि यू० पी० के लिये कोई ज्यादा नहीं हुआ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहे का कोटा किस नीति और सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित किया जाता है, आबादी के आधार पर या नगरपालिका के अव्वल, दोयम या सोयम दर्जे के हिसाब से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—असल में जो लोहा आता है वह ऐग्रीकलचर कोटा आता है, नान ऐग्रीकलचर कोटा आता है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम के लिये कोटा आता है और कोटा आफ स्टील, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिये कोटा आता है। स्माल स्केल और स्टील प्रोसेसिंग के लिये अलग से कोटा चला जाता है। बाकी तीन कैटेगरी ऐग्रीकलचर, नान ऐग्रीकलचर और गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिये मैटिरियल रिसोर्सेज कमेटी यहां पर हर विभाग के लिये अलग-अलग बांट देती है। प्लानिंग के लिये भी यहां से अलग चला जाता है। इर्रीगेशन के लिये, पी० डब्ल्यू० डी० के लिये भी अलग से कोटा चला जाता है। पब्लिक के लिये कोटा रहता है जो बहुत थोड़ा होता है। उस पब्लिक कोटे को हम जिलेवार वहां की आबादी और वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बांट देते हैं। मगर इसके मायने यह नहीं कि जो बांट दिया जाता है वह उनको मिल ही जाय। उनको कठिनाई होती है और वह उनको नहीं मिल पाता है। इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं कि कैसे यह मामला सुलझाया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लोहे का कोटा जो सूबे भर में दिया गया उसमें से कितना फ्री सेल के लिये दिया गया और कितना परमिट के लिये दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने जो लिस्ट मुक्तिनाथ राय जी को दी है उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट का अलग-अलग कोटा ब्यौरेवार नहीं है। मगर जो पब्लिक कोटा मैंने बताया है वह है ४,७७० टन और यह सारे सूबे के ५१ जिलों में वितरित होता है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रत्येक जिले में जबकि परमिट से या सप्लाई आफिस से प्रयोग के लिये लोहा नहीं मिलता तब भी ब्लैक मार्केट से जितनी संख्या में चाहें उतनी संख्या में लोहा मिलता है तो वह लोहा कहां से आता है जो ब्लैक मार्केट में बिकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह लोहा कारखानों से आता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब लोहे के कारखानों से लोहे का कोटा सरकार द्वारा मन्जूर होता है और वे बिना सरकार की इजाजत के नहीं बेच सकते तो यह ब्लैक मार्केट में बिकने के लिये कहां से आता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं ने बतलाया कि जो कोटे होते हैं हमारी तरफ से नहीं आते हैं। वह तो सीधे कारखानों से आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर देते हैं। हमारे लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होता है। उसके ऊपर हम बराबर कोशिश करते हैं कि उसको बढ़ायें लेकिन वह बढ़ता नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सही है कि प्लानिंग कमेटी के सामने या अन्तरिम जिला परिषद् के बहुत से प्लानिंग के कार्य सरिये के न पहुंचने के कारण रुके पड़े हैं? इसके सम्बन्ध में आप प्रकाश डालेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक इस बात का सम्बन्ध है उसमें तो लगभग पिछले साल से ज्यादा इस साल किसी को ५०० टन, किसी को एक हजार टन और किसी को ज्यादा बांटा है। इसलिये १९५८-५९ में प्लानिंग के काम रुकने का सवाल नहीं था क्योंकि इर्रीगेशन, पी० डब्लू० डी० और खासतौर से प्लानिंग को उस साल ज्यादा कोटा दिया है।

मुर्गी-पालन विकास केंद्र

*४—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी मुर्गी पालन विकास केन्द्र कहां-कहां हैं?

श्री कालीचरण अग्रवाल—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८२ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मुर्गी पालन विकास केन्द्र सरकार कौन से आधार पर खोला करती है?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जिन स्थानों पर हमको उपलब्ध सामग्री मिल जाती है और जहां हम समझते हैं कि मुर्गी पालन का कार्य हम कर सकते हैं वहां खोलते हैं और साथ-साथ हमारे पास केन्द्र खोलने की एक नियत तादाद है उसे हमको बांट देना पड़ता है फैला कर।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि सरकार के आने के बाद इस प्रदेश में मुर्गी वालों की तादाद में काफी बढोत्तरी हुई है?

श्री मोहन लाल गौतम—जितनी बढोत्तरी हम करना चाहते हैं, उतनी अफसोस है कि नहीं हो पायी है और मेरा पुराना खयाल है कि अन्न की कमी केवल इन से ही पूरा नहीं होगी बल्कि मछली पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन से होगी और इसलिये हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह कौन-सी उपलब्ध सामग्री है जिसके प्राप्त होने से वहां मुर्गी पालन केन्द्र खुल सकते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—कोशिश तो यह होती है कि जहां कुछ पहले से अंदाजा हो, कुछ जगह हो। फिर यह भी देखना पड़ता है कि उस जगह खाने वाले ज्यादा न हों। तो इसको सूबे भर में फैला कर खोलना पड़ता है ताकि बीमारी आगे भी बढ़ सके और इस काम में आगे तरक्की हो सके इसलिये यह सूबे भर में फैला कर बांटा गया है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ और १९५८-५९ में कितनी बढ़ोत्तरी अंडों के उत्पादन में हुई है?

श्री अध्यक्ष—केन्द्र की सूचना आप दे दें।

श्री कालीचरण अग्रवाल—केन्द्रों की पूरी सूचना नहीं है कि उत्पादन कितना बढ़ा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप के जरिये बतलाना चाहता हूं कि १९५७–५८ में हम लोगों ने १३ केन्द्रों में मिला कर ४०,८५४ अंडे पैदा किये जिनमें से ३१,६६९ अंडे बच्चों के लिये रखे गये और ६,४८५ अंडे खाने के लिये बेंचे गये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—विकास खंडों के अलावा अगर कोई निजी तौर से मुर्गी पालना चाहता है तो उसको भी सरकार कोई सहायता देती है? यदि हां, तो क्या-क्या?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, सहायता देती है और वह पहले तो १०,००० या ५,०००रुपया दी जाती थी लेकिन अब हमारा यह खयाल हो रहा है कि अगर सहकारी समिति बनायी जाय और उनको यह सहायता दी जाय तो शायद १०, ५ आदमियों को रोजगार भी मिल सके।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन सहकारी समितियों को किस रेट पर मुर्गियां दी जाती हैं?

श्री कालीचरण अग्रवाल—अभी तो सहकारी समितियों को दी नहीं गयीं, लेकिन संभवतः दो रुपये के रेट पर मुर्गी दी जायं।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि यह बीमारी बढ़ सके, तो कृपया बतलायें कि वह कौन-सी बीमारी है जो वह बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिये यह मुर्गी पालन केन्द्र खोले जाते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे अफसोस है कि मैं अपनी बात समझा नहीं सका। मेरा मतलब मुर्गीपालन के इंफेक्शन से था। अंग्रेजी मुहावरे के अनुवाद में यह गलती हो गयी।

कृषि फार्मों को पेट्रोल सप्लाई के लिये सुझाव

*५—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में कितने राजकीय कृषि फार्म हैं जहां अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा बनाई गई बहुधन्धी सहकारी समितियों से ही कृषि फार्म के उपयोग में आने वाला पेट्रोल खरीदा जाता है? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस प्रकार कितना पेट्रोल प्रतिवर्ष खरीदा जाता है?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६—**श्री मदन पांडेय**—क्या यह सही है कि जून सन् १९५५ तथा जनवरी, सन् १९५७ में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा जो यह सुझाव दिया गया था कि जितने बड़े परिमाण में पेट्रोल राजकीय फार्म में प्रयोग होता है उसे देखते हुए कृषि फार्म को पेट्रोल सप्लाई कम्पनी से संपर्क स्थापित कर पम्प लगवा लेना चाहिये। उसको क्यों नहीं स्वीकार किया गया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २५–५–५९ को मैंने यह प्रश्न भेजा था और उसको लगभग डेढ़ महीने से ऊपर हो रहे हैं, इतने अधिक दिनों के बाद यह "सूचना एकत्र की जा रही है" यह बताने का क्या कारण है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इसका सम्बन्ध कृषि विभाग से भी है और वहां से भी सूचना एकत्रित करायी जा रही है। इसके अलावा १० में से ९ डिवीजन्स की रिपोर्ट आ चुकी है, एक की शेष है, इसलिये उत्तर नहीं दिया गया।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न नम्बर ६ में १९५५ और ५६ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर यह सूचना मांगी गयी थी कि पेट्रोल सप्लाई कम्पनी से सम्पर्क स्थापित कर पम्प लगवा लेना चाहिये, तो क्यों नहीं संपर्क स्थापित करके पम्प लगवा लिया गया, इसमें सूचना एकत्र कराने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस सम्बन्ध में दो रायें हैं और उस विषय में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं, इसलिये कोई उत्तर आपको नहीं दिया जा सका।

नत्थी खेड़ा सहकारी बीज भंडार में गलत वजन का मन

*७—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारी बीज भंडार नत्थी खेड़ा, जिला झांसी में अक्तूबर, १९५८ में १३ छ० अधिक वजन के मन पकड़े गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*८—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मनों से ही कृषि बीज भंडार, तालबेहट, जिला झांसी से लगभग ३ हजार मन बीज सहकारी बीज भंडार ने ६-१०-५८ से ९-१०-५८ तक लिया था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

*९—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त १३ छ० अधिक वजन के मन कहां से आये थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि २८ जुलाई से आज तक मेरे २२ प्रश्न थे जिनमें १० में यह उत्तर मिला कि सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सब से पहले २८ फरवरी को मैंने यह प्रश्न दिया था उसकी सूचना आजतक एकत्रित न हो सकने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह बताना मुनासिब समझता हूं कि हिन्दुस्तान भर की सहकारिता के आधार पर स्टेट कोआपरेटिव मिनिस्टर्स और अधिकारियों की कांफ्रेंस मैसूर में हो रही थी और यहां के सभी अधिकारी वहां गये थे, इस वजह से कुछ कठिनाई हुई सूचना एकत्र करने में।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि २८ फरवरी को प्रश्न दिये थे, ३० मार्च की तारीख निर्धारित हुई थी उत्तर देने के लिये और उसके बाद आजतक भी सूचना एकत्रित की जा रही है, तो ६-६ महीने में जवाब न मिले तो कौन से रास्ते हैं जिससे हम सूचना प्राप्त कर सकें ?

श्री मोहनलाल गौतम—वाकई इसमें विलम्ब हुआ और मैं कोशिश करूंगा कि इतनी देर न हो और जल्दी यह सूचना दे दी जाय।

लखनऊ में लाइवस्टाक सुपरवाइजरों का चुनाव

*१०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९५८ में जो Live-stock Supervisors का चुनाव लखनऊ में हुआ उसके लिये कितने उम्मीदवार लखनऊ बुलाये गये और उनमें से कितने छांटे गये ? इन सब उम्मीदवारों की योग्यता व परीक्षा में कौन-कौन सा डिवीजन था ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—नवम्बर, सन् १९५८ ई० में Live-stock Supervisors के चुनाव के हेतु १९७५ प्रार्थी बुलाये गये थे और उसमें से ८० प्रार्थी चुने गये। उनकी योग्यतायें और डिवीजन संलग्न सूची में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त विभागीय पशु सेवकों (Stockmen) में से २० पशु सेवकों को भी प्रशिक्षण हेतु चुना गया। इस प्रकार कुल १०० प्रार्थी इस प्रशिक्षण में चुने गये।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३ पर)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रार्थियों की योग्यता की जांच के लिये कोई लिखित इम्तहान हुआ था ? अगर नहीं हुआ था तो क्या वजह है कि जब बी० एस०-सी० के ६ आये तो एक ही लिया गया जबकि इंटर और हाई स्कूल के लिये गये और फर्स्ट डिवीजन वाले कम लिये गये और थर्ड डिवीजन वाले ज्यादा लिये गये ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—यह जो लाइव स्टाक आफिसर्स का, सुपरनाइजर्स का चुनाव हुआ करता है उसके हेतु हम केवल यह नहीं देखते हैं कि उसकी एजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स कितनी हैं। हमको यह भी देखना होता है कि जिस प्रकार का यह कार्य करते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, जनरल नालिज भी हो। हमने जो न्यूनतम योग्यता रखी थी वह हाई स्कूल विद ऐग्रीकल्चर और साइंस रखी थी, लेकिन उसमें हेल्थ, ऐप्टीट्यूड और जनरल नालिज भी जरूरी थी। खाली कोट-पैंट वालों या डिवीजन वालों को ही नहीं लेना था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जबकि सिर्फ ८० को चुनने की बात थी तो १,९७५ आदमियों को क्यों दौड़ाया गया और हजारों रुपया बरबाद कराया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये तरीका यह है कि एक कमेटी बनी थी जिसमें कुछ आफिसर्स, एक एम-एल० ए०, बोर्ड आफ एनिमल हस्बैंडरी के एक मेम्बर, यह सब उसके लिये थे और इनका सेलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक हद तक हो जाता है और उसके बाद यह यहां आते हैं और उसके बाद इनको लिया जाता है, यह तरीका है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य भी देखना पड़ता है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस बोर्ड में कोई मेडिकल आफिसर भी बैठता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—मेडिकल आफिसर नहीं बैठता, जो एनिमल हस्बैंडरी के आफिसर हैं वही जाते हैं। वही देखते हैं कि अगर किसी बैल को बधिया करना है तो उसके पैर पकड़ने की ताकत भी होनी चाहिये।

श्री राजनारायण—मंत्री जी ने यह कहा कि यह भी देखा जाता है कि उसमें बैल के पैर पकड़ने की ताकत है या नहीं तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बैल की पूंछ पकड़ने की ताकत देखी जाती है ? (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पैर पकड़ने की आदत की क्वालिफिकेशन्स किन-किन विभागों में है,?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अपोजीशन में ज्यादा है।

कोआपरेटिव फार्मिंग से सम्बन्धित सेमिनार्स पर व्यय

*११---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, १९५९ में कहां-कहां Co-operative Farming में seminars लगाये गये और इन पर D. A. व T. A. में सरकार का कितना खर्च हुआ? क्या इस सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा हुई थी? अगर हां, तो वह क्या है?

श्री कालीचरण अग्रवाल---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजनारायण---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब ६-६ महीने प्रमुख और छोटे-छोटे प्रश्नों के उत्तर एकत्र करने में विलम्ब हो रहा है तो क्या इसका प्रमुख कारण यह है कि आज वर्तमान मंत्रिमंडल में निराशा छाई हुई है और अफसरों को विश्वास नहीं हो रहा है और वे जल्दी उत्तर नहीं दे रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पढ़ लिया होता तो शायद यह प्रश्न न पूछते। प्रश्न यह है कि 'क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, १९५९ में कहां-कहां Co-operative Farming में Seminars लगाये गये और इन पर D.A. व T.A. में सरकार का कितना खर्च हुआ? क्या इस सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा हुई थी? अगर हां, तो वह क्या है?" तो यह बताना कि कोआपरेटिव फार्मिंग के कितने सेमिनार्स हुये और यह पता लगाना कि हर एक में अलग-अलग कितना टी० ए० और डी० ए० में खर्चा हुआ उन लोगों पर जोकि इसमें लगे, इस तरह से यह कोई छोटा सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष---पहले आप यह देख लें कि यह प्रश्न २५ मई को सरकार के पास गया था इसलिये इसमें ६ महीने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अभी एक पहले सवाल आया था उसमें ६ महीने हो गये थे और ऐसा कई बार हो चुका है।

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो सेमीनार्स हो रहे हैं प्रत्येक जिले में उसके टी० ए०, डी० ए०, इन सब का हिसाब जिला परिषद् की बैठक में भी आता है?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सूचना के लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक आ जायगी और आ जाने पर क्या एक प्रति मुझे भेजने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---वह तो हाउस में आयेगी। कब तक यह सूचना आयेगी, इसका उत्तर मन्त्री जी दे दें।

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा मैंने पहले अर्ज किया, यह सब इतने विस्तार का प्रश्न हो जाता है कि जितने लोग वहां गये हों, उन सब का टी० ए०, डी० ए० वहां कितने दिन तक दिया गया, यह इतना बड़ा प्रश्न है कि इसमें समय लग जाना स्वाभाविक ही है।

श्री राजनारायण---माननीय मंत्री जी के धन्यवाद को "हां" माना जाय या "नहीं"?

श्री अध्यक्ष--आप के बतलाने के लिये धन्यवाद उन्होंने दिया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--अगर कोई जी० ओ० निकला तो क्या मंत्रीजी उसे पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस समय चूंकि सहकारिता की नयी नीति आ रही है और बहुत से नये प्रश्न हो रहे हैं, इसलिये इन सब का आधार शिक्षा है कि लोगों की समझ में आ जाय कि यह क्या चीज है। यह जनरल है कि सभी लैविल पर और सभी विषयों पर सेमीनार हों। इससे भी बड़ी योजना बन रही है और शायद उसके लिये सप्लीमेंटरी बजट भी लाना पड़े।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--जो सेमीनार किये गये उनके लिये कोई राजाज्ञा भी थी या नहीं, यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--राज्य ने ही कराये और राज्य की ही आज्ञा से हुए।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--जिस जी० ओ० के अनुसार ये सेमीनार्स हुये उस में इनके टी० ए०, डी० ए० के बारे में राजाज्ञा थी ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये कोई राजाज्ञा नहीं होती, जैसा जिस आफिसर को एडमिसीबुल होता है वैसा मिलता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि भविष्य में जब इस तरह के सेमीनार्स हों तो उन्हें पता रहे कि हर जगह कितना खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह मुश्किल काम है। कभी हम सेमीनार करते हैं रबी आन्दोलन के लिये और कभी खरीफ आन्दोलन के लिये, इत्यादि। उनमें जैसे आफिसर आते हैं उनका, मान लीजिये ४ विषयों पर सेमिनार है, अलग-अलग खर्चा निकालना सम्भव नहीं है। जहां तक कोआपरेटिव का सवाल है, हमारा विचार है कि हम यह कोआपरेटिव यूनियन के मार्फ़त करावें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--इन सेमीनार्स में जो नान-आफ़ीशल डेलीगेट्स आये थे उनके लिये क्या सरकार की ओर से यह आज्ञा है कि उन्हें टी० ए०, डी० ए० दिया जाय ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--उनका भुगतान सहकारी समितियों द्वारा ही हुआ है।

राजकीय सहकारी फार्म भरारी का बकाया रुपया

*१२--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सहकारी फार्म, भरारी का कितना-कितना रुपया किन-किन व्यक्तियों व संस्थाओं पर बाकी है और उसकी वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--व्यक्तियों तथा संस्थाओं जिन पर रुपया बाकी है उनका विवरण संलग्न सूची "अ" में दिया है। बकाया रुपये को वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है जैसा कि संलग्न नोट "ब" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८४ पर)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लक्ष्मी व्यायाम मन्दिर झांसी का अभी तक दावा क्यों नहीं हो सका और जो राय उनको मिलनी थी वह मिली या नहीं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, झांसी पर सिर्फ ४,३६६ रुपये १ आना बाक़ी था। उसमें से कुछ हमको मिल गया है और २,००५ रुपये बाक़ी हैं। यह कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्दी वसूल हो जाय और नोटिस देने के लिये भी वकील को झांसी लिखा गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कराने पर विचार कर रही है ताकि उनकी प्रापर्टी डिस्पोज आफ न हो जाय?

श्री कालीचरण अग्रवाल--मुनासिब समझा जायगा तो जरूर किया जायगा।

*१३--श्री ऊदल--[६ अगस्त, १९५९ को प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

मिर्जापुर जिले में सहकारी बीज भंडारों के बकाया की वसूली

*१४--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में सहकारी बीज भंडारों का कितना रुपया कृषकों पर ३१-३-५९ को बकाया था?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--६,०५,५३४ रु० (छः लाख पांच हजार पांच सौ चौंतीस रुपया)।

*१५--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार उपरोक्त कर्जों के write off करने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो वसूल किये जाने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--उपरोक्त बकाया को write off करने का कोई विचार नहीं है। बकाया की वसूली हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :--

१--सालसी कार्यवाही (arbitration) के फलस्वरूप प्राप्त डिग्रियों की कुर्की जिलाधीश द्वारा कराई जा रही है। इस कार्य के लिये कुर्क अमीनों की संख्या बढ़ाई गयी है तथा सहकारी सुपरवाइजरों को भी वसूली के हित में अमीनों के अधिकार कुछ समय के लिये दिये गये हैं।

२--दिसम्बर, १९५८ से जून, १९५९ के महीनों में वसूली के लिये विशेष आदेश जारी किये गये और इस काम को अप्रैल से जून तक पुनः महत्व देने के लिये फिर आदेश जारी किये गये और अब उसका समय ३१ जुलाई, १९५९ तक बढ़ा दिया गया है।

श्री गेंदासिंह--क्या इसमें पैनाल्टी की रक़म भी शामिल है? यदि हां, तो कितनी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--पैनाल्टी और ब्याज की सभी को शामिल है, लेकिन कितनी है, इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री देवनारायण भारतीय--जो ६ लाख के ऊपर बकाया है वह सन् ५८ का है या पिछले वर्ष का है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--१९४८-४९ से १९५८-५९ तक का बाकी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह रुपया इसलिये वसूल नहीं हो रहा है कि इसमें ज्यादातर डिफल्टर सत्तारूढ़ दल के लोग हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--मेरे खयाल में उनमें सभी लोग हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के भी हों, लेकिन उनमें अन्तर करने का हमारा इरादा नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव--जब सरकार का इरादा स्वयं इस रकम को राइट आफ़ करने का नहीं है तो वह किसानों की उस साल की बक़ाया को माफ़ करने पर विचार करेगी जिस साल फसल की बाढ़ या सूखा से क्षति हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह बड़ा भारी प्रश्न है। जिस तरह से फसल खराब होने पर सरकारी बीज भंडारों की तकावी की माफी हो सकती है उस तरह से सहकारियों में मुश्किल है। सहकारी समितियां दूसरों से लेकर देती हैं और अगर माफ कर दें तो लावें कहां से ? हां, पैनाल्टी और व्याज के माफ करने पर सोचा जा सकता है।

श्री गेंदासिंह--तो क्या सरकार पैनाल्टी और व्याज की माफ़ी पर विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा-- पहले भी १९५३ में आदेश जारी हुये और अब भी हुये कि ३० जून तक १९४८-५२ की बकाया जमा करने वालों पर पेनाल्टी व सूद माफ़ कर दिया जायगा तथा १९५६-५७-५८ के बक़ायादारों का पैनाल्टी बशर्ते कि उन को लगान में ५० फीसदी छूट मिली हो।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--गल्ला वसूली न हो सकने के कारण क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--उसका कारण यही है कि कुछ गैरजिम्मेदार लोगों ने यह प्रचार किया कि अगर तुम न दोगे तो माफ हो जायगा।

*१६-१७--**श्री मुक्तिनाथ राय**--[न्याय मंत्री से सम्बन्धित होने के कारण पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कपास की खेती के लिये अग्रगामी योजना

*१८--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में कपास की खेती पुनः आरम्भ करने की अग्रगामी योजना (पायलेट प्रोजेक्ट) प्रत्येक वर्ष प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रारम्भ की गई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--१९५७-५८। हमीरपुर और इलाहाबाद में।

१९५८-५९--उपरोक्त दो जिलों के अतिरिक्त, इस वर्ष झांसी, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, और उन्नाव व हरदोई जिलों में यह योजना चलाई गई।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कपास की अग्रगामी योजना को चालू करने का निर्णय कपास की स्थायी समिति की बैठक में लिया गया था ?

श्री कालीचरण अग्रवाल-- इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कपास की कोई स्थायी समिति प्रदेश में है ?

श्री मोहनलाल गौतम--ज्ञात ही नहीं है बल्कि गवर्नमेंट द्वारा वह नामजद भी की जाती हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जो योजना कपास की बनी है उसके विषय में सरकार ने जो पैम्फलेट्स छापे हैं, क्या सरकार उनको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--जो साहित्य होगा वह मेज पर रख दिया जायगा।

सीतापुर जिले में जूट केन्द्र

*१९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूट विकास योजना के अन्तर्गत जिला सीतापुर में कितने केन्द्र ३१ मार्च, १९५९ तक स्थापित किये जा चुके हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—सात।

*२०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन केन्द्रों में ३१ मार्च, १९५९ तक प्रत्येक वर्ष में कितने एकड़ जूट की बोवाई की गई और कितने मन जूट (वजन में) केन्द्रों पर आया या केन्द्रों द्वारा अन्य स्थान पर भेजा गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—केन्द्रों में जूट की बोवाई नहीं होती। निकटवर्ती क्षेत्रों में जूट के क्षेत्रफल के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़ में)
१९५६–५७	९,६१७
१९५७–५८	११,२००
१९५८–५९	९,९५०

उत्पादित जूट केन्द्रों में नहीं आता न वहां से बाहर भेजा जाता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त ७ केन्द्रों में से सीतापुर में कहां कहां स्थापित हुए तथा उक्त केन्द्रों द्वारा खेती के विकास के लिये क्या-क्या कार्य हुए ?

श्री कालीचरण अग्रवाल— इन केन्द्रों में बहुत-सा काम होता है। जूट के उत्पादन के सम्बन्ध में निरीक्षक लोग किसानों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। सम्पूर्ण केंद्र को क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है जिसकी देख रेख कामदार करता है, वह किसानों से सहयोग स्थापित करता है और नक्शे बनाता है। ये केन्द्र जहांगीराबाद, सहेबा, बासुआ, खानगांव और सेबदा स्थानों में खोले गये हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि केन्द्रों में निरीक्षक लोग देखते हैं कि कहां-कहां किस प्रकार से जूट की उन्नति हो सकती है। किसानों को उन्नतिशील बीज भी दिया जाता है, किसानों के पास जाकर सलाह देते हैं, इसके अलावा किसानों को जूट की खेती करना भी सिखाया जाता है कि वह किस प्रकार लाइन में की जाती है, किस प्रकार से उसको बोया जाता है, जिससे उस की ज्यादा पैदावार हो। किस प्रकार से उसका रेशा अच्छा हो सकता है। इस प्रकार से किसानों की हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा जाता है और उनको जो भी असुविधा होती है उसके दूर करने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ५७–५८ के मुकाबले में ५८–५९ में जूट क्षेत्र में कमी होने का क्या करण है ?

श्री मोहनलाल गौतम— असल बात यह है कि प्राइस की कमी ही इसका मुख्य कारण है। जब जूट की प्राइस कम हो गयी, और यह एक आल इंडिया प्राब्लम था, जो हमारे काबू के बाहर की चीज थी, तो उसका पैदा करना अलाभकारी हो गया इसलिये जूट कम बोयी गयी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जूट के बोने का एरिया इसलिये घट गया कि बाजार में इस साल बीज की कमी पड़ गयी थी और किसी भी दाम पर बीज मुहइया नहीं हो सका ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस प्रकार की सूचना तो सरकार के पास नहीं है। यह जरूर है कि ५७–५८ में जूट की कीमत इतनी गिर गयी कि हमारे सामने यह प्रश्न पैदा हो गया कि लोग किसी तरह से इस काम में ला रहे। हमने कोशिश की लेकिन उतना बीज बोया ही नहीं गया।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)— क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये केन्द्र कब से खुले हुए हैं और सरकार ने इस बात की जांच कराने का कोई प्रयास किया है कि इन केन्द्रों के खुलने से जूट की खेती में सन्तोषजनक प्रगति हुई है?

श्री कालीचरण अग्रवाल—यह योजना जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया सब से पहले सन् ५६–५७ में ये क्षेत्र कायम किये गये थे और प्रगति के सम्बन्ध में जो कुछ आंकड़े अभी हमने आप के सामने प्रस्तुत किये हैं उससे मालूम होता है कि यथा सम्भव जो प्रगति हो सकती है वह हमने की है। इसके अलावा गांठों का उत्पादन ५८–५९ में २६,२६८ है। ५६–५७ में २८,२७५ गांठें तैयार हुईं, इसके बाद कीमत गिर जाने से ५७–५८ में २४,०४० गांठें तैयार हुईं लेकिन तीसरे साल यानी ५८–५९ में २६,२६८ गांठें तैयार हुईं, इससे हम समझते हैं कि इसमें हमने प्रगति की है।

श्री रामस्वरूप वर्मा— क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो उनके लिये विक्रय केन्द्र तथा स्थायी मूल्य के लिये कोई योजना बनाने का विचार रखते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम— इसके लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रयत्न किया जा रहा है।

खाद्यान्नों का भाव घोषित करने का प्रभाव

*२१—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस साल रबी की फसल नाज की मंडियों में कब से आनी शुरू हुई और सरकार ने गेहूं वगैरह के भाव कब घोषित किये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—रबी की फसल अप्रैल से मन्डियों में आनी शुरू हुई, २ मई, १९५९ को गहूं के भाव घोषित किये गये।

*२२—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**— क्या यह सही है कि मई, १९५९ में सरकार द्वारा नाज के भाव के घोषित किये जाने के बाद किसानों ने गल्ला मन्डियों में भेजना बन्द या कम कर दिया था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी— मई, १९५९ में गेहूं के भाव घोषित होने के पश्चात् मन्डियों में गेहूं की आमद में अवश्य कमी हुई परन्तु अन्य खाद्यानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल— क्या सरकार को यह मालूम है कि इस भाव के घोषित करने में देरी होने की वजह से ही स्थापित स्वार्थों को इस बात का अवसर मिल गया कि उन्होंने सरकार की नीति को विफल कर दिया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस सम्बन्ध में दो विचारधारायें हैं। कुछ लोग तो उलटा यह कहते हैं कि हमने मंडी में जाने में बहुत जल्दी कर दी, देर से जाते तो शायद कुछ भाव गिरता। तो दोनों प्रकार की विचारधाराओं को हमने पूरी तरह से तौला और ऐसे समय में हम बाजार में गये जिससे दोनों में से किसी के द्वारा हमारे विरुद्ध आरोप नहीं किया जा सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आमद में जो कमी हुई वह कितनी कमी हुई और क्या यह कमी अभी तक बदस्तूर जारी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कमी का कारण भी यही है, जैसा कि मैंने कहा था कि चना पिछले साल से दुगुना आया, गेहूं भी शुरू में तो ठीक चला परन्तु बीच में उस की आमद पिछले साल से कहीं ८० प्रतिशत, कहीं ६० प्रतिशत और कहीं ४० प्रतिशत रह गई और बाद में फिर कुछ सुधरी लेकिन उस के बाद आशा थी कि अच्छी हो जाती लेकिन बरसात आ गई और देहातों से कच्चे रास्ते होने के कारण माल आना बन्द हो गया और आमद में ज्यादा तरक्की नहीं हुई।

श्री जगवीरसिंह---क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि गेहूं की आमद मंडियों में कम नहीं हुई बल्कि व्यापारियों ने अपने खातों में गेहूं की जगह दूसरी चीजों की आमद दिखलाई और इस हरकत के कारण आमद गेहूं की कम मालूम पड़ी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--- थोड़ा बहुत ऐसा हुआ भी और जैसा कि मैंने बताया कि मेरठ रीजन में इस चीज के लिये काफी प्राजिक्यूशन भी हुये, और रीजन्स में भी हुये और इसका ब्यौरा मैं पहले बता चुका हूं।

श्री राजनारायण--- क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि गेहूं का मूल्य निर्धारित करने के लिये किसानों की लागत और उनकी सेवाओं का भी अनुमान लगाया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, सब बातों पर विचार किया गया है, परन्तु एक तरफ यदि उपभोक्ताओं को अधिक दामों पर गेहूं मिलता है तब भी शिकायत होती है और किसानों को अधिक दाम दिलाये जायं तो उपभोक्ताओं को अधिक दाम पर मिलेगा और अगर सस्ता दिलाया जाय तो किसान को कम दाम मिलेंगे। हम ने बीच की चीज रखी है, जिससे उपभोक्ताओं को २ सेर ७-८ छटांक तक मिल जाय और किसानों को भी मुनासिब दाम मिल जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने जो भाव निर्धारित किये हैं वे गेहूं की पैदावार का खर्च जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पड़ता है वह प्रतिमन उससे अधिक रखा गया है या कम ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सरकारी फार्मों के आंकड़ों से तुलना करना तो कठिन है क्योंकि वहां पर कोई कामर्शियल बेसिस नहीं होता बल्कि डेवलपमेंट की दृष्टि से वहां काम होता है, वहां भी लगभग १४-१५ रुपया मन का हिसाब आता है, वैसे किसान को तो २५ रुपया मन भी दिया जाय तब भी उसका पर्ता नहीं आयेगा लेकिन जैसी परिपाटी है उसके अनुसार भाव बिलकुल ठीक ही रखे गये हैं।

*२३---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[हटा दिया गया।]

सस्ते अनाज की दुकानें

*२४---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने प्रदेश में अनाज की कितनी fair price shops गत वर्ष खुलवाई थीं और गत फसल के उपरान्त उनमें से कितनी बन्द कर दी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रदेश में सस्ते गल्ले की कुल ४,८५९ दुकानें थीं। नई फसल आने पर लगभग २,२५९ दूकानें, जिन पर विक्रय की मात्रा २५ प्रतिशत या उससे कम हो गई थी, बन्द हो गई थीं। बन्द की गई दूकानों में से १,७४१ दूकानें पुनः संचालित करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दूकानों पर जो आटा मिलता है वह हर एक आदमी के लिये लेना लाजमी है या हर आदमी अपनी इच्छानुसार आटा या गेहूं ले सकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुछ शहरी क्षेत्रों में यह आवश्यक है कि वह आटा ही लें क्योंकि हमारे लिये देहाती क्षेत्रों तक आटा पहुंचाना कठिन होता है इसलिये वहां के लिये हम गेहूं सुरक्षित रखना चाहते हैं।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई आदेश हर जिले को गया है कि २५ प्रतिशत गेहूं और २५ प्रतिशत चावल दिया जायगा लेकिन इसका पालन नहीं हुआ है, क्या ऐसी कोई शिकायत उनके पास आई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—देहाती क्षेत्रों के लिये इस तरह की बात है कि २५ प्रतिशत चावल, २५ प्रतिशत गेहूं और ५० प्रतिशत मेलो दिया जाय लेकिन इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

किसानों को ऋण संबंधी सुविधायें देने के लिए मार्गेज बैंक

*२५—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत बजट सेशन के बाद अप्रैल, मई या जून के महीनों में किसानों को ऋण दिलाने की सुविधायें विस्तार करने के लिये कितने जिलों में मार्गेज बैंक खोले गये ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२६—**श्री सजीवनलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह बैंक प्रदेश के सारे जिलों में कब तक खुल जायेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना एकत्र की जा रही है।

खाद्य सलाहकार समितियों के कार्य

*२७—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रत्येक जिले में एक-एक खाद्य सलाहकार समिति का निर्माण किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन सलाहकार समितियों का अधिकार क्षेत्र क्या है और इन समितियों में सरकार द्वारा कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं ? यदि हां, तो वह किस आधार पर मनोनीत किये जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सलाहकार समिति बनाने का उद्देश्य यह है कि अगर जिले में कोई ऐसी शिकायत हो जैसे कि आम तौर पर शिकायत होती थी कि कोई दुकानदार जो सरकारी राशन का गेहूं है उसको बाहर किसी तरह से बेच देता है या जिसके लिये वह नहीं दिया गया है उनको दे देता है, तो इस प्रकार के दुरुपयोग को रोका जाय। सलाहकार समिति की बातों को काफी महत्व दिया जाता है और सेंट परसेंट करीब-करीब उनकी बातों को माना जाता है। यही सब देखभाल करने के लिये ये नियुक्त की गई है। हर तरह की सलाह ये दे सकती हैं। उसमें चार आदमी जिला अधिकारी मनोनीत करते हैं जिन्हें कि उस कार्य से अधिक दिलचस्पी होती है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किसी जिले से सरकार के पास यह शिकायत आई है कि जो सदस्य मनोनीत किये गये हैं—खासतौर से आजमगढ़ में वह सब कांग्रेस के हैं और विरोधी दल के लोगों ने लिखा है कि ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाय जो उसमें दिलचस्पी रखते हों जैसे व्यापारी वगैरह ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—किसी जिले से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। रामसुन्दर पांडेय जी मिले थे, उन्होंने कहा था तो मैंने कह दिया कि एकाध आदमी ऐसे हो सकते हैं जिनका संबंध उससे हो वह वह संतुष्ट हो गये।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रांत में बहुत ऐसे जिले हैं जहां सलाहकार समिति की अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसमें यह है कि तीन महीने के अन्दर एक मीटिंग हो जानी चाहिये संभवतः अब हो रही होगी।

टिड्डियों का आक्रमण

*२८—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १५ जून, १९५९ तक प्रदेश में किन-किन जिलों में टिड्डियों का आक्रमण हुआ ? इस आक्रमण से क्या क्या-हानि पहुंची और सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिये क्या-क्या किया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—निम्नलिखित जिलों में:—

(१) आगरा, (२) मथुरा (३) मैनपुरी, (४) इटावा, (५) जालौन, (६) झांसी, (७) हमीरपुर, (८) कानपुर, (९) फतेहपुर, (१०) रायबरेली, (११) प्रतापगढ़, (१२) वाराणसी, (१३) इलाहाबाद, (१४) जौनपुर, (१५) आजमगढ़, (१६) बलिया, (१७) गाजीपुर।

कुछ नहीं।

टिड्डियों के दलों के ठहरने अथवा बैठने की सूचना प्राप्त होते ही कृषि रक्षा सेवा दल ने उन्हें नष्ट कर दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो रक्षा दल हैं वह हर जिले में मौजूद थे और उन्हें सूचना तुरन्त मिल गई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—हर जिले में होने की बात नहीं थी। लेकिन जब टिड्डी चलती है तो उसकी सूचना पहले से मिल जाती है इसलिये उसके लिये काफी इंतजाम उस वक्त हम कर सके इसका हमें संतोष है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि टिड्डियों ने किन्हीं जिलों में तनिक भी नुक्सान नहीं किया, ऐसी सूचना उनके पास है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। वह बैठीं लेकिन इलाज किया गया, दवा छिड़की गई और नुक्सान नहीं हुआ। बहुत थोड़ा हुआ ऐसी हमारे पास सूचना है।

उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी नियमावली, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में राजस्व विभाग की विज्ञपित संख्या १६०—सी एच १—अ—२८०—५८, दिनांक १७ अप्रैल, १९५९ के अधीन प्रख्याप्ति संशोधनों को उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

विज्ञप्तियों को सदन की मेज पर देर से रखने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने २७ जुलाई को न्याय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था विज्ञप्तियों के बारे में। वह अभी तक नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—आप शायद मौजूद न होंगे। यहां दे दिये गये सदन में।

श्री मोतीलाल अवस्थी—न्याय मंत्री द्वारा नहीं आया है। अन्य मंत्रियों द्वारा आये हैं।

श्री अध्यक्ष—देर के बारे में बता दें माननीय न्याय मंत्री।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—कल बता देंगे ?

कांग्रेस पार्टी की अन्तरंग व्यवस्था के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं उसमें से एक कांग्रेस पार्टी की अन्तरंग व्यवस्था से संबंधित है। इसलिये मैंने उसको अस्वीकृत कर दिया और न मैं पढ़ कर सुनाता हूं। किसी विशिष्ट पार्टी की व्यवस्था के बारे में कोई गड़बड़ी हो तो दूसरे को या इस सदन को मैं समझता हूं उस पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, फाइल चोरी के बारे में हमने किया है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आप कृपया शांत रहें।

अविश्वास के प्रस्ताव के विषयों पर चर्चा के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय चन्द्र जीत यादव जी ने दूसरा कामरोको प्रस्ताव दिया है और उसको भी मैंने इसलिये अस्वीकृत कर दिया है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस के समय उस विषय पर पूरी तरह से बहस हो गई और राय ले ली गई। उसको फिर से, उसमें जो चर्चायें हुई हैं, उनको उखाड़ना मैं समझता हूं यह विषय कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। उसके ऊपर पुनः विचार विनिमय नहीं हो सकता। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

लखनऊ, कानपुर एवं वाराणसी में बेसिक रीडरों के सुलभ न होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह-मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में प्रस्ताव आये हैं जिनमें से पहला राजनारायण जी का है। जिसको मैं पहले लेता हूं और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास कोई सूचना हो तो इस संबंध में दे दें।

"कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में इस समय कक्षा २ व ३ की बेसिक रीडर की किताब दुकानों पर सुलभ नहीं है। कानपुर में जिस किताब की कीमत साढ़े १२ आना छपी है उसको १८ आने पर कुछ किताबें चोर बाजारी में बिक रही हैं।

[श्री अध्यक्ष—]

स्कूलों के खुल जाने पर भी किताबों के न मिलने से विद्यार्थियों तथा अभिभावकों में बड़ा क्षोभ व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर वस्तु स्थिति पर प्रकाश डालने के लिये प्रश्न उठाता हूं"

माननीय शिक्षा मंत्री इस विषय में सूचना आज देना चाहें तो आज दें दें। और अगर जानकारी न हो तो दूसरे रोज दे दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मैं आज ही दे रहा हूं।

यह बात सही है कि बेसिक रीडरों की कमी बाजार में हो गई है। अनुमान लगाया गया था कि ७३ लाख बेसिक रीडरों की आवश्यकता होगी और गत फरवरी में ही उनके आर्डर्स दे दिये गये थे छापने के लिये। करीब ३२, ३३ लाख पुस्तकें छप चुकी हैं बाकी अभी छप रही हैं। छपने में देरी के दो कारण हैं—एक तो जिस कागज पर छपती है बेसिक रीडर वह सुपर कैलेन्डर कागज कहलाता है २४ पाउन्ड का और उसका कोटा देर में मिला। दूसरा यह कि इसके आवरण पृष्ठ की छपाई में विलम्ब हो गया, तीन रंगी यह पृष्ठ छपता है। अब उम्मीद यह की जाती है इस अगस्त के महीने के तीसरे सप्ताह के शुरू होते ही पूरी किताबें बाजार में आ जायंगी। जहां तक कुछ महंगे दामों में बेचने का प्रश्न है इसकी जांच करा रहा हूं। पर यह सम्भव हो सकता है कि क्योंकि किताबें बाजार में कम हैं तो कुछ लोगों ने इसके दाम बढ़ाकर बेचा हो। इसकी शिकायत सरकार के पास अभी तक नहीं आयी थी। अब इसकी जांच की जा रही है। आशा करता हूं कि इस महीने के तीसरे सप्ताह के शुरू होते यह तमाम पुस्तकें बाजार में पहुंच जायंगी और कमी नहीं रह जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—बेसिक रीडरों को ठीक समय पर छापने में जो दिक्कत हुई है उसका यह भी कारण है कि सरकार ने ऐसे लोगों को किताबें छापने को दी हैं जिनके पास प्रेस नहीं हैं और वे उन्हीं किताबों को कुछ कमीशन ले देकर दूसरी जगह छपवा लेते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह कोई नई बात नहीं है। कुछ प्रकाशक होते हैं जिन्हें पब्लिशर्स कहा जाता है। जिनके पास प्रेस नहीं होते और कुछ प्रेस वाले होते हैं जो प्रकाशक होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी किताबें दी गयी हैं और दी जाती रही हैं जो कि पुराने पब्लिशर्स हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं लेकिन जिनके पास प्रेस नहीं है तब भी किताबों को पब्लिश करते रहे हैं—उनको भी दी गयी हैं।

श्री राजनारायण—जिन विद्यार्थियों को इन दो महीनों तक किताबें नहीं मिल पाई हैं उनकी शिक्षा व पढ़ाई की व्यवस्था किस ढंग से चल रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब बेसिक रीडरों की कमी तो है ही और उससे कुछ पढ़ाई लिखाई में कठिनाई भी अवश्य हुई होगी। लेकिन अपने नियंत्रण के बाहर की बात थी। फरवरी में कागज के कोटे के लिये आर्डर्स दिये गये थे लेकिन उसके मिलने में देरी हुई तो प्रकाशकों और प्रेस वालों को बहुत मेहनत करके वह कागज दिलवाया गया। मैं समझता हूं कि जितना विलम्ब हो चुका वह हो चुका। अब ४—६ रोज के अन्दर उनको ये पुस्तकें मिल जायंगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—इन किताबों का एप्रूवल कब हुआ था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि फरवरी में दे दिया गया था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आवरण-पत्र सप्लाई करने की जिम्मेदारी सरकार की थी लेकिन सरकार पूरे आवरण पत्र इन किताब छापने वालों को नहीं दे सकी, लेकिन अब आगे जल्दी दे दिये जायं इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया का जो प्रेस है देहरादून में वहां ये कवर छपते हैं। हमेशा वे कवर छाप कर देते रहे हैं लेकिन इस बार कवर छापकर देने में कुछ विलम्ब हो गया। विलम्ब इस कारण हुआ कि भारत सरकार का कुछ और काम हो गया। अब वे कवर छाप रहे हैं और वे पूरे हो जायंगे। यह दिक्कत भविष्य में न हो इसकी व्यवस्था पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सरकार द्वारा प्रेस्क्राइब्ड जो पुस्तकें हैं बेसिक रीडरें उन पर छपे हुए दाम बाजार की छपी हुई पुस्तकों से कहीं अधिक हैं तो क्या सरकार इस बात के लिये आइंदा के लिये कोशिश कर रही है कि बाजार की पुस्तकों से इन बेसिक रीडरों के दाम अधिक न हो पायें ?

श्री अध्यक्ष—इसकी मैं इजाजत नहीं देता। इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री राजनारायण—सरकार इन बेसिक रीडरों पर खुद रॉयलटी लेती है जिससे कीमत ज्यादा हो जाती है और तभी छापने की दिक्कत पड़ रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार रॉयलटी लेती है क्योंकि वह पुस्तकों के छापने का काम प्रेसेज व पब्लिशर्स को देती है। मूल्य निर्धारित होने के २–३ आधार हैं। एक तो प्रकाशन का क्या मूल्य हो। दूसरे प्रकाशक को जो लाभ दिया जाय वह १५ प्रतिशत निर्धारित होता है। फिर कुछ लाभ पुस्तक विक्रेता को भी दिया जाता है तो १५ प्रतिशत लाभ पुस्तक बिक्रेता को मिलता है और १० प्रतिशत रॉयलटी सरकार लेती है।

श्री राजनारायण—सरकार किताबों को सस्ता करने के लिये जो १० प्रतिशत रॉयलटी लेती है उसे कम करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह आपका सुझाव है। आप सरकार को लिखकर भेज दें।

इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट की सदस्यता के लिये निर्वाचन तिथि की सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे एक सूचना देनी है कि इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट की सदस्यता के लिये ५–५ सदस्य और प्रदेशीय शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के लिये २ सदस्यों के निर्वाचन हेतु क्रमशः १५, १३ और १० उम्मीदवारों के प्राप्त नामांकन पत्र सूक्ष्म परीक्षा के उपरान्त ठीक पाये गये हैं। उपर्युक्त से संबंधित नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय १२ अगस्त, १९५९ के सायंकाल ५ बजे तक के लिये नियत है। उस समय तक निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो १७ अगस्त, १९५९ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक निर्वाचन होगा।

इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट और उत्तर प्रदेशीय शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति की सदस्यता के लिये जिन उम्मीदवारों के नाम प्राप्त हुए हैं उनकी एक सूची मैं समझता हूं सब के पास पहुंच गयी होगी। इसलिये मैं नाम सुनाने की आवश्यकता नहीं समझता। अब सिर्फ मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा कि १७ अगस्त मैंने मुकर्रर की है, तो क्या १७ अगस्त को असेम्बली बैठेगी ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—१७ को नहीं बैठेगी १९ को बैठेगी। १४ से १८ तक तो छुट्टी रहेगी।

श्री अध्यक्ष—तो २० को मैं रख दूं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—तो १७ की जगह २० अगस्त में इसको करता हूं ।

समाजवादी एकता दल के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मैं और देता हूं । मेरे पास श्री दीपंकर जी, नेता समाजवादी एकता दल, की ओर से १५ नाम आये थे कि हमने १५ सदस्यों की एक पार्टी बनायी है उसको रेकगनाइज किया जाय । मैंने नाम उस रोज पढ़ कर सुना दिये थे । अब उसमें से दो सदस्यों, श्री छेदीलाल और श्री बंशीधर शुक्ल, ने अपने नाम वापस ले लिये और वे कहते हैं कि हमारी सदस्यता इस पार्टी की नहीं रहेगी । दूसरे श्री रामबली जी ने अपना नाम वापस ले लिया था, फिर कहा कि हम इनकी पार्टी में शामिल रहना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि इसके पहले कि मैं कोई निश्चय करूं मैं नाम पढ़ देता हूं और मैं आज साढ़े ३ बजे अपने दफ्तर में आ जाऊंगा तो उस वक्त मुझे बता दें कि कौन-कौन सदस्य इसमें रहना चाहते हैं क्योंकि रोज-रोज अगर ऐसे परिवर्तन होते रहे तो मुझे कोई अन्दाजा लग नहीं सकता कि पार्टी कितने सदस्यों की है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आपके कार्यालय से ही क्यों न लिख कर पूछ लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब तो मुझे बात करनी है उक्त सदस्यों से । उनके नाम हैं:—

१—श्री जगन्नाथ लहरी ।
२—श्री टीकाराम पुजारी ।
३—स्वामी विश्वेश्वरानन्द ।
४—श्री रामसिंह ।
५—श्री रामबली ।
६—श्री रामनारायण त्रिपाठी ।
७—श्री छेदीलाल ।
८—आचार्य दीपंकर ।
९—श्री अमरनाथ मिश्र ।
१०—श्री अब्दुलरऊफ लारी ।
११—श्री मदन पांडेय ।
१२—श्री दुर्योधन
१३—श्री बंशीधर शुक्ल ।
१४—श्री बलवानसिंह ।
१५—श्री शोभ नाथ ।

अब अगर मुझे कोई सूचना नहीं आयी तो जो सूचना अब तक आ गयी है उसी के आधार पर मैं समझूंगा कि पार्टी कायम हो रही है । इसके ऊपर कल निर्णय दूंगा।

श्री राजनारायण—मैं एक निवेदन कर रहा था । आपने नाम तो पढ़ कर सुना दिये मगर उसमें से बहुत से सम्मानित सदस्य यहां नहीं हैं । हमारे पास भी कुछ ऐसी सूचना है कि इसमें से और बहुत से टूटेंगे क्योंकि हमने पत्र लिखा था अपनी पार्टी के चन्दे के बकाये के लिये जिसके जवाब में ७ तारीख का लिखित आया है कि इस इस ढंग से चन्दा नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप भी साढ़े ३ बजे आ जाइये ।

श्री राजनारायण—आपके कार्यालय से उनसे लिख कर क्यों न पूछ लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—आप मेरे पास साढ़े ३ बजे आ जाइये ।

श्री राजनारायण—अच्छी बात है ।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसलिये सुना दिया कि यहां पर कोई सदस्य मौजूद हों तो मुझे बता दें और जो मौजूद न हों तो उनके बारे में आप कहेंगे ।

कार्यक्रम के बारे में सूचना

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—आपकी आज्ञा से मैं सदन के उपनेता से यह जानना चाहूंगा कि इस सप्ताह का कार्यक्रम क्या है । श्रावणी की छुट्टियों के सिलसिले में कोई बात कही गयी है तो वह क्या है और यह भी जानना चाहूंगा कि जो जिला परिषद् विधेयक पेश किया गया है उस पर वाद-विवाद के लिये कितने दिन का समय नियत किया गया है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जिला कौंसिल बिल चल रहा है वह १०, ११, १२ तक चलेगा और १३ तारीख को कोर्ट फीस और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर विचार होगा ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, १३ तारीख को तो असरकारी दिवस है क्या उस दिन यह दोनों बिल चलेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह आगे दे देंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति द्वारा तय हुआ करता है । हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली और यह कार्यक्रम कैसे तय हो गया और हमारे असरकारी दिवस भी काट लिये गये हैं और साल भर से यह होता चला आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—वह तो इसी सेशन में दिये जायंगे । सवाल यह है कि जो कार्यक्रम रखा है उसकी उन्होंने सूचना दी है । समय के नियंत्रण के संबंध में सदन को अधिकार है और सदन निश्चय करता है । कार्य परामर्शदात्री समिति के सामने जब आता है तो समय निर्धारित होता है कि कितना समय किसी काम में लगेगा, लेकिन अंतिम फैसला सदन का होता है । यदि सदन यहां निश्चय कर दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । फिर कार्य परामर्शदात्री समिति में उसके भेजने की जरूरत नहीं रहती है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप देखें कि सदन के कार्यक्रम के संबंध में नित्य प्रति परिवर्तन आ रहे हैं । इसलिये श्रीमन्, क्यों न यह सदन आज से ही स्थगित कर दिया जाय । हमारा तर्क यह है कि यह सही है कि इस सदन में बहुमत का.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप नई बहस छेड़ना चाहते हैं । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसमें कोई .....

श्री अध्यक्ष—आप कोई न कोई रास्ता निकाल लें ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं कह रहा था कि लोग रिट में जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप रिट में चले जाइये तो यह बीच में उसके द्वारा रुक सकता है ।

श्री राजनारायण--वह ५० रुपये वाली बात गड़बड़ कर रही है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मान्यवर, जहां तक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल का सवाल है उस संबंध में सरकार के व्हिप से बात हो गई थी कि इसके लिये चार दिन रखे जायं। एक दिन बहस हो गई थी और १०, ११, १२ और रखा जाय और इस सिलसिले में सब ही दलों से सलाह ले ली गई थी। उन्होंने यह भी सूचना दी थी कि कोर्ट फीस के संबंध में अर्डिनेन्स है और एक दूसरा आर्डिनेन्स है, बिजली दर के बारे में उनको वह १३ तारीख को पेश करना चाहते हैं। इसके संबंध में कितना समय लगेगा यह निश्चय नहीं हुआ था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल के बारें में निश्चित बात हो गई थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो १३, १४ तारीख के असरकारी दिवस हैं और इन दिनों में जो काम आने वाला था वह सितम्बर से चला आ रहा है। एक साल हो गया है और यह अंत में डाला जायगा और फिर भी एक महीने आगे बढ़ जायगा। जो प्रस्तावक महोदय हैं, वह पूरी तैयारी कर चुके होंगे। इसी बीच में दूसरे बिल आ जायेंगे और यह आगे को बढ़ जायंगे। जब-जब असरकारी दिवस निश्चित होते हैं तो उनको टाल दिया जाता है, इससे बड़ी दिक्कत होती है। यह सरकारी नीति रहा करती है कि वह ऐसे प्रस्ताव नहीं आने देती है। जरा आप इस पर ध्यान दें, और संकल्पों को भी आनें दें।

श्री अध्यक्ष--यह प्रस्ताव जो १३ और १४ के लिए हैं, जब गैर सरकारी दिन आयेंगे तो पहले वही लिये जायेंगे और फिर दूसरे लिये जायंगे क्योंकि सरकार के ऊपर कई गैर सरकारी दिनों का कर्जा बाकी है। वह कर्जा किस्तों में अदा होगा।

श्री उग्रसेन--तब तक यह सरकार ही नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष--फिर जो दूसरी सरकार आयेगी वह देगी। आप की सरकार को कर्ज देना पड़ेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगली तारीखों में अगला काम मुकर्रर है।

श्री अध्यक्ष--वह आगे बढ़ जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह तो सभी क्रम बदल जायगा।

श्री अध्यक्ष--वह तो होगा ही।

श्री राजनारायण--जैसा कि माननीय अवस्थी जी ने कहा यह प्रश्न फिर उठ जायगा क्योंकि यहां पर जितने विरोधी दल हैं, उन सब के नेताओं ने यह लिख कर दिया है कि माननीय चरणसिंह का भाषण पहले हो, त्याग-पत्र वाला, उसके बाद पूरक बजट पर बहस हो।

श्री अध्यक्ष--ऐसा ही होगा। इसमें आप को मौका मिल गया छुट्टी होने की वजह से। १९ को पूरक बजट पेश होगा उसके ऊपर २१ को बहस रख देंगे।

श्री राजनारायण--२१ को तो श्री चरण सिंह का भाषण होना है।

श्री अध्यक्ष--भाषण के बाद पूरक बजट पर बहस हो जायगी।

श्री राजनारायण--एक मैं अपने बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी नेता विरोधी दल ने यह कहा कि सभी दलों की राय ले ली गयी थी। हमसे उन्होंने पूछा था तो मैंने निवेदन कर दिया था कि सात दिन से कम सामान्य विवाद नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यह सारा ग्रामीण जनता से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष--यानी आप सहमत नहीं थे ?

श्री राजनारायण--उन्होंने कहा कि शायद सरकारी पक्ष चार दिन पर राजी हो जाय लेकिन अन्त में बात आयी थी कि पांच दिन से कम नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--तो आप उससे सहमत नहीं हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, सब दलों के अनेक सदस्यों का सुझाव यह है कि सलोनो एक बहुत महत्व का त्यौहार है । यह रिवाज भी अपने प्रदेश में है कि लोग इस त्यौहार पर इस प्रदेश के लोग ससुराल में जाते हैं । तो वहां से लौट कर आने में १९ को कठिनाई होगी । इसलिये वह यह चाहते हैं कि १९ के बजाय २० से अधिवेशन प्रारम्भ किया जाय । क्या सरकार उनके सुझाव पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दो बजे के बाद मैं बता सकूंगा ।

श्री राजनारायण--पांच दिन की छुट्टी हो रही है तो छः दिन की हो जाय ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--मेरा यह निवेदन है कि जो चौधरी चरणसिंह २१ तारीख को बोलने वाले हैं उनको कितना समय मिलेगा ? दस मिनट मिलेगा या पांच मिनट मिलेगा ? अगर १५ मिनट या एक घंटा मिले तो यह हम लोगों के पक्ष में होगा । फिर सदस्यों को भी एक घंटा मिलेगा क्योंकि वह तो अब सदस्य ही रह गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--उनको काफी समय मिलेगा । जितना उनका वक्तव्य होगा वह पूरा बोलेंगे ।

श्री टीकाराम पुजारी--हमारे लिए कम क्यों किया जाता है ! मैं भी सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर के बैठें ।

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुर.स्थापित करने की सदन अनुज्ञा देता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कोर्टफीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८५-८७ पर)

*उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब स्वायत्त शासन मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, विवाद जारी होगा। माननीय आचार्य दीपंकर पिछले दिन भाषण दे रहे थे ।

---

*३० जुलाई, १९५९ को सदन की मेज पर रखा गया ।

† ५ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् विधेयक १९५९ पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैं यह निवेदन कर रहा था कि यद्यपि घोषणा यह की गई थी कि जिला परिषद् के इस विधेयक को लाकर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी देहात की जनता को और छोटे कस्बों की जनता को एक बहुत बड़ा जनतांत्रिक अधिकार प्रदान कर रहे हैं। परन्तु कदम-कदम पर इस प्रकार से उसको जकड़ दिया गया है और इस तरह की बन्दिशें उस पर लगा दी गई हैं कि वह स्वतंत्रता और जनतंत्र जो उनको प्रदान होने वाला है वह कुंठित हो जाता है और खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो सदस्य निर्वाचित हो गया है वह सदस्य भी असमर्थ घोषित किया जा सकता है और उसको बरखास्त किया जा सकता है। मेम्बरी से अलग हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से अध्यक्ष जो चुना गया है जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा, यदि वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता तो उसको भी बरखास्त किया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि कर्त्तव्य का पालन न करने और बरखास्त करने वाली बात जिस तरह से रखी गई है और उसका निर्णय करने का अधिकार भी जिन सूत्रों के हाथ में रखा गया है उससे यह अन्देशा होता है कि जिस तरह से आज धीरे-धीरे हमारा पूरा का पूरा शासन-यन्त्र जिला परिषदों से लेकर प्रादेशिक स्तर तक नौकरशाही के हाथों में आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा है, उसको देखते हुए यह जिला परिषद् के अध्यक्ष या उसके सदस्य किस वक्त अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो जायेंगे यह कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका निर्णय करने का अधिकार जिला परिषद् के सदस्यों को नहीं दिया गया है। इसका निर्णय भी दूसरे ही व्यक्तियों और अधिकारियों को करना है। ऐसी स्थिति में हमेशा ही एक नंगी तलवार जनतंत्र के ऊपर लटका दी गई है।

इसके अलावा इस जिला परिषद् विधेयक में बहुत बड़ी तादाद में टेम्पोरेरी कर्मचारियों के रखे जाने का इ में उल्लेख है अगर बड़ी तादाद में टेम्पोररी कर्मचारी रखे जाते हैं तो आज जो राजकर्मचारियों में और खासतौर पर नान-गजटेड अ र छोटे कर्मचारियों में एक आतंक है, लगातार अस्थायी बने रहने का, वह जिला परिषदों में भी इसी तरह से होगा। इसी तरह से कर्मचारियों को नियुक्त करने और निरीक्षण करने का अधिकार माननीय विधायकों को न दिया जाना और राज्य सरकार के हाथ में ही जिस प्रकार से तमाम नियुक्तियां करने का अधिकार दिया गया है उससे जिला परिषद् जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसके अधिकार बिल्कुल कुंठित हो जाते हैं। इसी तरह से नियम बनाने का अधिकार भी जिला परिषद् को नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो कर लगाये जाते हैं और कर में जो असेसमेन्ट गलत हो जाता है यदि एक व्यक्ति पर ५ रुपया टैक्स लगना चाहिये और उस पर पांच सौ रुपया टैक्स लग जाता है तो उसके खिलाफ अपील करने का मौका मिलता है। तो जब तक वह देय धन को अदा नहीं कर देता है, जब तक वह पूरी की पूरी ५०० रुपये की रकम पहले अदा नहीं कर देता है तब तक उसको अपील करने का अख्तियार नहीं होता है। यह चीज ऐसी है जिससे जिला परिषद् के देहाती क्षेत्रों में बड़ा आतंक मचने की सम्भावना है। इस वजह से जहां इस कर का सवाल है अगर इसमें किसी व्यक्ति को अपील करने का अवसर मिलता है तो उसके ऊपर यह बन्दिश नहीं लगनी चाहिये कि वह पहले प्रदेय धन को अदा कर दे तो इसके बाद उसको अपील करने का अख्तियार होगा।

इसी प्रकार से दीवानी अदालत के तथा दूसरे न्यायालय के क्षेत्रों में भी बहुत से ऐसे आइटम हैं जो जिला परिषद् के अनुसार पृथक् कर दिये गये हैं। अगर किसी व्यक्ति की सम्पति का रांग असेसमेन्ट या गलत मूल्यांकन किया गया है और वह न्याय चाहता है तो वह न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता। इसी प्रकार से इसमें यह भी कहा गया है कि बड़ी आसानी से बल प्रयोग भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के घर में दाखिल हुआ जा सकता है। राज कर्मचारी घर के मालिक को इत्तला दिये बगैर उसके घर में दाखिल हो सकता है। मैं समझता हूं बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य कर्मचारियों से अपनी

सम्पति को छिपाने के लिये बहुत तरीके अख्तियार करते हैं फिर भी यह कहां तक उचित होगा कि राज्य कर्मचारी पूर्व सूचना के बगैर किसी के घर में इस तरह से प्रवेश करें। यह जनतंत्र के अधिकारों का हनन है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसके घर में उसकी जानकारी के बगैर प्रवेश पाने के लिये आवश्यक है तो उच्च धिकारियों की या किसी न्यायालय की पूर्व स्वीकृति उस राज्य कर्मचारी को लेना चाहिये उसके बाद उसको किसी के घर में प्रवेश करने का अख्तियार होना चाहिये, वरना यह आतंक कारक परम्परा पैदा होगी। यदि कोई राज्य कर्मचारी किसी व्यक्ति को गिराना चाहता है तो वह इस प्रकार से दूसरे के घर में बिना उसकी इजाजत के या पूर्व जानकारी के बगैर दाखिल हो सकता है।

एक बात यह है कि कर वसूली के लिये जिस प्रकार से प्रावीजन किया गया है वह चेन्ज करके उसी तरह से किया गया है जैसे कि मालगुजारी वसूल की जाती है। यह कर भी उसी मालगुजारी की तरह से वसूल किया जायगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि आज देहातों में जो टैक्स लगता है उस कुल टैक्स में से आधा टैक्स ऐसा है या २०,२५ फीसदी टैक्स ऐसा है जो शिकायतों के ऊपर लगाया जाता है। किसी ने किसी का काम नहीं किया या किसी ने सलाम नहीं किया तो और कुछ न करके उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। इस तरह से आज बराबर देहातों की जिन्दगी में हो रहा है। इसके बाद वह कर वसूल होता है और वह मालगुजारी के तरीके पर वसूल अब होगा। अगर कोई व्यक्ति उस कर के खिलाफ अपील करता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जिला परिषद् की किसी कमेटी को यह अख्तियार नहीं दिया है कि अगर किसी ने असेसमेन्ट कर दिया है या अगर किसी टैक्स आफिसर ने उस टैक्स पर पर कोई अपना फैसला दे दिया है तो जिला परिषद् उसके ऊपर विचार करे लेकिन अरसे के बाद वह अख्तियार नहीं रहता है। मैं निवेदन करता हूं कि जिलाधीश को इतनी पावर दी गई है इस विधेयक में कि अगर कोई योजना चालू है जिस पर काम हो रहा है तो वह उसको स पेन्ड कर सकते हैं रद्द कर सकते हैं और जो योजना चालू नहीं हुई है उसको वह शुरुआत भी करा सकते हैं। जिला परिषद् के यह चुने हुये सदस्य कुछ नहीं कर सकेंगे। यह पावर बिलकुल गलत है। जिला मजिस्ट्रेट को इस तरह का अख्तियार दिया गया है जो नहीं होना चाहिये। जिला परिषद को दोबारा गौर करने के लिये जिलाधीश कोई भी चीज भेज सकता है। लेकिन जो स्कीम चालू है उसको वह अपनी मरजी से सस्पेन्ड कर सकता है और चालू भी कर सकता है। इस तरह से जिला परिषद् के अधिकारों पर कुठाराघात होना किसी एक व्यक्ति के द्वारा अनुचित है।

एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिला परिषद् अगर चूक कर दे और गुटबाजी में इस तरह की चूक होती भी है तो उस हालत में अगर किसी परिषद् में मुखालिफ पार्टी है या यह कहिये कि रूलिंग पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी की परिषद् है तो उस हालत में वह लाजिमीतौर पर चूक करेगी। उस परिषद् को लाजिमीतौर पर डिजाल्व (भंग) किया जायगा। इस प्रकार से इस विधेयक में जिला परिषद को तोड़े जाने का अधिकार देना बिल्कुल गलत है।

चुनाव की जो प्रणाली इस विधेयक में रखी गयी है यदि वही रखी गयी तो बड़ी घातक बात होगी। जिला परिषद का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर ही होना चाहिये। यह कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को पहले अख्तियार था कि वे अपना नुमाइन्दा जिला दूसरी बात बोर्ड में भेज सकते थे। उनका यह अधिकार इस विधेयक में छीना गया है। अगर आप उनको नये अधिकार नहीं देना चाहते तो कम से कम उनके पुराने अधिकारों को आपको छीनना नहीं चाहिये। एक मेरठ जिले में साढे तीन हजार प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं। यह जिला परिषद् द्वारा शोषित किये जा सकते हैं, साढ़े सात रुपया जो महंगाई सरकार ने कर्मचारियों को दी है यह भी उनको नहीं दी गयी है, लेकिन इस तरह के हमलों के बावजूद जो जिला परिषद उन पर शासन करेगी और उन के लिये नियम बनायेगी वहां उनके प्रतिनिधि नहीं रह सकते। तो इसलिये इसमें प्राइमरी अध्यापकों और दूसरी संस्थाओं को अपने प्रतिनिधि भेजने का अख्तियार होना चाहिये। इसी तरह से सरकार कर अधिकारी, इंजीनियर, ओवरसियर, एकाउन्टेन्ट और कैशियर आदि की नियुक्तियां भी जिला परिषद् की

[आचार्य दीपंकर]

स्वीकृति से अध्यक्ष के जरिये कराये। अगर अध्यक्ष, जिला परिषद की सिफारिश से उनकी नियुक्ति नहीं कर सकता तो वह काम भी अच्छी तरह से उन से नहीं ले सकता।

एक बात यह कि जो अधिकारी व कर्मचारी जिला परिषद् के हैं उनको जिला परिषद् और अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये। नियुक्तियां दूसरे करें और वे अपने कामों के लिये दूसरों के प्रति उत्तरदायी हों अथवा उस के लिये प्रेरित किये जायं, यह उचित न होगा।

कर्मचारियों की कार्यवाही और देखभाल करना और उनके निर्णयों में हेर फेर करना और उनमें तरमीम करने का अधिकार भी जिला परिषद् को होना चाहिये।

कर अधिकारी जब कर निर्धारित करता है, अगर उसके फैसले के बाद भी कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिये जिला परिषद् के पास आता है और चाहता है कि उसके असेसमेन्ट पर पुनर्विचार होना चाहिये तो जिला परिषद् को इसका अधिकार होना चाहिये।

इन तमाम बातों पर विचार करते हुए अध्यक्ष तमाम कार्यों की देखभाल और निरीक्षण करेगा। अलग-अलग जो उप समितियां हैं उनकी नियुक्तियों का भी जिला परिषद् को पूरा अधिकार होना चाहिये। उपसमितियों के अधिकार अगर उनको पूरी तरह से प्रेषित नहीं होते हैं और उनके इनीशियेटिव को जिला परिषद् डेवलप नहीं करती है तो यह सारा कार्य अव्यवस्थित हो जायगा।

इसी तरह से जिलाधीश और कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि परिषद् की आय और व्यय का जो हिसाब हो उसको देख कर उसमें अगर वह समझें तो हेर फेर कर दे सकते हैं। उनको यह भी अख्तियार होना चाहिये कि जिला परिषद् के पास उसको पुनर्विचार के लिये प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन उसकी अंतिम स्वीकृति का अधिकार न जिलाधीश को होना चाहिये और न कमिश्नर को। उसकी अंतिम स्वीकृति का अधिकार केवल जिला परिषद् को होना चाहिये।

निर्माणकार्य के हर आइटम के संबंध में अपने सुझाव दे कर वह पुनर्विचार के लिये लौटा सकते हैं लेकिन उसको ससपेन्ड करने या चालू करने का अधिकार उनके हाथ में नहीं होना चाहिये। इन तमाम बातों के साथ-साथ में आपके जरिये सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी गोविन्द सहाय कमेटी। उसकी रिपोर्ट निकली जिसमें बहुत से सुझाव दिये गये कि किस प्रकार से जिला परिषदों का और दूसरी संस्थाओं का कार्य चल सकता है। उसमें ऐसे बहुत से सुझाव दिये गये हैं जिनसे जनतन्त्र को लाभ हो सकता है और जनता के अख्तियार बढ़ सकते हैं और उस तरीके से डेमाक्रैसी भी हमारे नीचे के स्तर पर उसके साथ हो सकती है, लकिन पता नहीं सरकार ने जो रिपोर्ट निकाली उसका क्या किया। उसको पढ़ा गया या नहीं? उसके जो सुझाव थे उनको क्यों नहीं माना गया और मैं समझता हूं उन सुझावों के आधार पर जो गोविन्द सहाय कमेटी की रिपोर्ट में हैं जरूरी तौर पर जिला परिषद् विधेयक को भी इस नये तरीके से सुधारा जाय, इस विधेयक की आलोचना से, मेरा यह आशय नहीं है कि जिला परिषदो के चुनाव में देरी की जाय। मैं समझता हूं काफी अरसा हो चुका है चुनाव किये और जो टेम्पोरेरी ढांचा पेश किया गया है उससे कोई मसला हल हो नहीं सकता है, इसलिये नीचे की जनता को अधिकार देते हुए और बालिक मताधिकार के आधार पर उसमें चुनाव की व्यवस्था रखते हुए जल्दी से जल्दी इस विधेयक को संशोधित किया जाय और संशोधन करके फिर पेश किया जाय और जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाय, यह अपील मैं आपके जरिये से सरकार से करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। इस विधेयक की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि शासन के जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण की योजना

RA 2061 132513

है और बहुत दिनों से बलवन्तराय कमेटी की मांग थी और यहां चर्चा चल रही थी कि प्रदेश के स्तर पर तो शासन विकेन्द्रित है लेकिन जिले के स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे छोटे स्तर पर कुछ काम हो सके । जिला बोर्ड भी १०–११ वर्ष के पुराने हो चुके थे और पारसाल जो अंतरिम जिला परिषद बनी उस समय कहा गया कि जिला स्तर पर हम एक ढांचा एसा प्रस्तुत करना चाहते हैं जो जिला परिषद् के नाम से विख्यात होगा और उसमें जनतंत्र प्रणाली को प्रयोग करने का एक अच्छा अवसर जनता को मिल सकेगा और यह विधेयक उसी तरफ एक प्रयोग है ।

मान्यवर, इसमें दो तीन बातें बड़ी मौलिक हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है इसका जो गठन है इसके अन्दर २५ और ६४ सदस्य.....

एक सदस्य—श्रीमन्, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—(गिनने के पश्चात्) कोरम है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—तो कम से कम २५ और ज्यादा से ज्यादा ६४ की परिषद् बनेगी आबादी के लिहाज से । तीन तरह के मेम्बर होंगे । एक तो जो कोआप्ट किये जायंगे, दूसरे पंचायतों से चुने जायंगे और तीसरे ऐसे होंगे जो पदेन होंगे, जिले के अधिकारियों में से होंगे । इसमें थोड़ा मेरा अपना विचार यह है कि जो पंचायतों से चुनाव की व्यवस्था है वह अप्रत्यक्ष रूप से इनडाइरेक्ट एलेक्शन हुआ जिले के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव करा करक उसमें जो विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के सदस्य नहीं रखे गये हैं तो ऐसा लगता है अप्रत्यक्ष चुनाव कराने से वह ठीक जनतांत्रिक ढांचा नहीं बन सकेगा । इसलिये यह आवश्यक मालूम होता है कि जब अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जा रहा है तो उसमें जिले के स्तर पर जो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के सदस्य हैं उनका भी कहीं स्थान होना चाहिए । साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि अगर कहीं वोट का प्रश्न हो तो वे चाहें वोट दें या न दें इसके बारे में मैं बहुत उत्सुक नहीं हूं लेकिन चूंकि जिला स्तर पर सारी योजनायें कार्यान्वित होती हैं और प्रत्येक सदस्य को जिले के उत्थान और विकास में रुचि है इसलिये उसका रहना जिले की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिससे योजना का काम करने में सुविधा होगी । आजकल यह शिकायत होती है कि अफसरों का ज्यादा आधिपत्य रहता है जिला स्तर पर इसलिये अगर वहां विधान सभा, विधान परिषद् और लोकसभा के सदस्य रहेंगे तो उनका प्रभाव रहने की वजह से जो नौकर-शाही का प्रभाव है वह नहीं जम पायेगा और जो नये लोग आयेंगे उनको भी बल मिलेगा । इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि विधान सभा, विधान परिषद् और लोकसभा के सदस्य भी किसी न किसी रूप में उसमें रखे जांय । एक चीज और है—अगर उनका सीधा चुनाव होता तो विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के सदस्यों को लेने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन जब अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों से सदस्य चुने जांयगे और सरकार की ओर से पदेन सदस्य रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के सदस्यों को लेने में कोई कठिनाई आवे ।

एक बात में अध्यक्ष की अवस्था जोकि कम स कम ३५ वर्ष रखी गई है उसके बारे में कहना चाहता हूं । कुछ सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में कहा था कि जब २१ साल का आदमी असेम्बली में हो सकता है और १८ साल में वह बालिग हो जाता है तो कोई कारण नहीं है कि इस तरह की वहां के अध्यक्ष के लिये कोई उम्र की कैद लगाई जाय, इस सम्बन्ध में जबकि मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के सदस्य रखे जांय तो यह आवश्यक है कि वह अध्यक्ष अच्छी श्रेणी का और प्रतिभासम्पन्न होना चाहिये ताकि अपने कार्य को ठीक चला सके । खास तौर से जबकि हमने उसकी शिक्षा के बारे में, योग्यता के बारे में कोई शर्त नहीं रखी है यह आवश्यक है कि वह अनुभवी आदमी होना चाहिये

[श्री दीपनारायण मणि [त्रिपाठी]]

नहीं तो कार्य में बड़ी कठिनाई पड़ जायगी। भारतीय संविधान की धारा ५८ के अनुसार जहांतक मुझे स्मरण है भारतीय राष्ट्रपति के लिये कम से कम ३५ वर्ष की अवस्था होनी चाहिये। इसी तरह से किसी म्युनिसिपलिटी के चैयरमैन की आयु कम से कम ३० वर्ष होनी चाहिये। इसलिये यह आवश्यक है कि जब हमने शिक्षा के बारे में कोई शर्त नहीं रखी है, वहां पर अनुभव के आधार पर कोई एसा आदमी होना चहिये—जबकि मने विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा क सदस्यों को उसमें रखने का सुझाव दिया है—जो योग्य हो और अपने कार्य को ठीक प्रकार से चला सके। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर २५ वर्ष कुछ अधिक मालूम होते हों तो उसे ३० वर्ष कर दिया जाय लेकिन ३० वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। किसी ने यह भी कहा कि यहां पर मंत्री, उपमंत्री के लिये कोई उम्र की कैद नहीं है लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यहां पर जो मंत्री या उपमंत्री होते हैं वह मुख्य मंत्री के अधीन रहते हैं लेकिन वहां पर अध्यक्ष को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने होंगे और अगर वह अनुभवशील नहीं होगा तो कार्य में बड़ी कठिनाई पड़ जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि अवस्था की कोई अवश्य सीमा होनी चाहिये और वह ३० से कम नहीं होनी चाहिये। अगर ३५ पर किसी को आपत्ति हो। अगर अनुभव का भी आधार नहीं रहा तो जो शक्ति दी गई है अध्यक्ष को उसमें बड़ी दिक्कत पड़ेगी।

दो एक बातें मुझे और कहनी हैं। एक बात जिला बोर्ड के क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में है। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई ह कि जो हमार विकास क क्षत्र हैं उसके आधार पर हम परिसीमन करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से ब्लाक क्षेत्र ऐसे हैं जो मनमाने ढंग से बने हुये हैं विकास की दृष्टि से और उसमें ठीक-ठीक वहां के विधायकों का कोई सम्पर्क नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे जिला परिषदों का परिसीमन करायें तो विधान सभा के सदस्यों के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, डबिल मेम्बर और ट्रबिल मेम्बर कांस्टीटुयेंसी को ध्यान में रख कर करायें बजाय इसके विकास क्षेत्रों को ध्यान में रखकर करायें। क्योंकि ब्लाक्स जो बने हुए हैं वे मनमाने ढ़ंग पर बने हुए हैं। इसलिये उनको आधार न मानकर विधान सभा के क्षेत्रों को आधार मान कर बनाये जायं। उसी के अनुसार चुनाव कराये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा नहीं तो जो परिषद् बनेगी वह बेमेल की बनेगी। माननीय मंत्री जी इस चीज को ध्यान से देखें।

इसमें नियोजन समिति की जो व्यवस्था की गयी है वह इस प्रकार से है कि उसमें परिषद् के सभी सदस्य होंगे, जिला स्तर के सभी अधिकारी होंगे, विधान सभा के, विधान परिषद् क और लोक सभा के सदस्य उसमें होंगे। अभी तक नियोजन समिति सरकारी आदेश के अनुसार बनती थी लेकिन अब वह एक ऐक्ट के द्वारा बनायी जायगी, अब वह बदल रही है, उसकी शक्ति बढ़ रही है। अगर विधान के सदस्य और परिषद् के सदस्य एक कांस्टीटुयेंसी से न हुए तो दिक्कत होगी और जिला अधिकारियों को उसमें हाथ डालने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिये कि परिषद् ने एक निर्णय किया और नियोजन समिति ने दूसरा निर्णय किया तो जो अधिकार जिला अधिकारियों को दिये गये हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन अगर परिषद् में भी वही सदस्य हों जो नियोजन समिति में हों तो दोनों में मेल अच्छा बैठेगा और जो निर्णय लिये जायेंगे उनको कार्यान्वित करने में ठीक रहेगा और नियोजन का काम ठीक से चल सकेगा। इसलिये परिषद् और नियोजन समिति में एक तरह के सदस्यों की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसमें हरिजन जाति के लिये भी व्यवस्था की गयी है और इसमें यह रखा गया है कि १९४८ की आबादी को देखते हुए उनकी संख्या निश्चित की जायगी यह ठीक ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ धीरे-धीरे कम करते रहने का भी हमारा विचार है। लेकिन उसके बारे में हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसके लिये अलग-अलग हरिजन और नान-हरिजन सब लोग चुनाव साथ लड़ सकें तो ठीक होगा। पहले जिले

के स्तर पर इस प्रथा को हम कायम करें और फिर उसके आधार पर सारे हिन्दोस्तान में हम ऐसा कर सकते हैं। आज जब कि हमारे यहां जातिवाद और सम्प्रदायवाद बड़े जोरों से बढ़ता जा रहा है, ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से वर्ग विहीन समाज की रचना हम करना चाहते हैं, उसमें दिक्कत हो रही है। तो अगर ऐसी व्यवस्था की जा सके कि निजी रूप से किसी भी जाति का खड़ा हो सके तो ज्यादा अच्छा होगा।

गांव सभा की जो व्यवस्था है वह ऐसे लोगों की व्यवस्था है जिनमें शिक्षा दीक्षा का अभाव है और उनमें अभी जनतंत्र-प्रणाली का प्रशिक्षण भी नहीं कर पाये हैं। इसकी ट्रेनिंग परिषद् में होनी चाहिये। १०-१५ गांवों को मिलाकर ग्रुप बनाये जायें। इस प्रकार ग्रुप कमेटियों की योजना बना कर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय जिसमें आधुनिक योजनाओं के बारे में ट्रेनिंग दी जाय, जैसे अन्न उपजाओ योजना है, या और भी बहुत-सी सहकारिता से काम करने की योजनायें हैं। अगर इस प्रकार की योजना बन सकेगी तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ब्लाक्स हैं उसी ब्लाक्स के आधार पर, उसी स्तर पर छोटी-छोटी समितियां बनें और उनके लिये अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था हो तो परिषद् ज्यादा उपयोगी होगी। अगर प्रत्यक्ष चुनाव हो जैसा कि विधान सभा और लोक सभा का होता है तब तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है लेकिन आज जो वर्तमान व्यवस्था परिषद् की है उसमें कोई ऐसी योजना आनी चाहिये। मैं बहुत स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मेरा सुझाव है कि छोटे-छोटे क्षेत्रों को लेकर विकास की दृष्टि से, आर्थिक उत्थान की दृष्टि से क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जिला परिषदें छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये भी योजनायें कार्यान्वित करेंगी। इसलिये जिले को कई हिस्से में बांट कर यह काम करना चाहिये जैसा कि बलवन्त राय मेहता कमेटी ने भी कहा है कि जिले को जिला न मान कर उसके अन्दर जितने ब्लाक्स हैं उतने हिस्से में उसे बांट देना चाहिये जिससे वे अलग-अलग बैठ कर इंडिपेंडेंटली अपना काम करें। लेकिन इसमें कठिनाई पड़ सकती है इसलिये इन दिक्कतों को दूर करने के लिये जिला स्तर पर कुछ समितियां बननी चाहिये, जैसे जिले के कई ब्लाक्स को एक साथ मिला कर जिले में तीन, चार या पांच हिस्से कर दिये जायं तो अच्छा होगा, यह माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था इसमें रखी गयी है कि सदस्य क अलावा बाहर से भी आदमी इसके लिये लिये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था उत्तम है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि चुनाव की दृष्टि से ३०, ३५ वर्ष का अनुभवशील आदमी नहीं मिलता है। तो इसमें बाहर से लोगों के लेने की जो व्यवस्था की गयी है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

इसमें दो समितियों का निर्माण हो सकेगा---वित्त समिति और स्वास्थ्य समिति। एक तीसरी शिक्षा समिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, उसका इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। आशा की जाती है कि नियमों, उपनियमों के द्वारा ऐसी समितियां बन सकेंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां आपने दो समितियों के लिये इसमें व्यवस्था की है वहां इस शिक्षा समिति के लिये भी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। कारण यह है कि इस समय शिक्षा का बड़ा भारी काम जिला परिषदें कर रही हैं। उदाहरण के लिये मैं आपको देवरिया जिले की ही बात बतलाऊं। वहां २,२०० अध्यापक हैं, ७, ८ सौ प्राइमरी स्कूल हैं, डेढ़ दो सौ जूनियर हाई स्कूल हैं। इसमें है कि डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल उसका अध्यक्ष होगा, निरीक्षक होगा, सुपरिंटेंडेंट आफ एजूकेशन। और वह होगा सरकार से उधार लिया हुआ, वह बोर्ड की सर्विस का आदमी नहीं होगा। तो कठिनाई यह पड़ेगी कि वह जवाबदेह तो सरकार को होगा क्योंकि उसकी सर्विस सरकार से उधार ली हुई होगी। इसलिये जिला परिषद् को शिक्षा की ठीक व्यवस्था करने में कठिनाई पड़ेगी और शिक्षा का स्तर भी गिरता जायगा। जैसा कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के स्कूलों में है, डिप्टी इंस्पेक्टर के अलावा

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

सुपरिंटेंडेंट एजूकेशन जिला परिषद् का आदमी होना चाहिये जो जिला स्तर पर वहां की शिक्षा संस्थाओं को देखे। क्योंकि आजकल अगर उसकी आपने शिकायत की तो अधिक से अधिक उसका कहीं को तबादला हो सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि डिप्टी इंस्पेक्टर के अलावा जिला परिषद् का एजूकेशन सुपरिन्टेंडेंट भी होना चाहिये जो जिला स्तर पर सब शिक्षा संस्थाओं को अच्छी तरह से देख सके। और यह तभी हो सकेगा जब कि आप शिक्षा समिति की व्यवस्था भी इसके अन्दर पेश करें। जिला बोर्ड ऐक्ट की धारा ७३-ए में इस तरह की शिक्षा समिति के लिये व्यवस्था है जिसमें अध्यापकों के प्रतिनिधि भी रखने की बात है। श्रीमन्, आप देखें कि जहां पर २,३०० अध्यापक हों, वहां शिक्षा के मसले पर उनका परामर्श लेने में बड़ी कठिनाई पड़ सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो शिक्षा समिति पहले थी उसको पुनर्जीवित करना बहुत आवश्यक है और उसमें ऐसी धारा होनी चाहिये कि हर ५०० अध्यापक के ऊपर उसका एक प्रतिनिधि उस समिति में रहेगा। अगर यह व्यवस्था हो जाय तो बहुत अच्छा रहेगा। वे तो शिक्षा के मामले में व्यवस्था, अपनी सर्विस कंडिशन्स, अपनी तनख्वाह व पेन्शन के बारे में ही बातें करते हैं जोकि उनका ऐडवाइजरी कैरेक्टर है। अगर इस प्रकार की शिक्षा समिति नहीं बनती है तो जो अध्यापक मंडल की पुरानी मांग है उसका आदर नहीं होता। इसलिये ५०० अध्यापकों पर इस तरह की एक समिति रहे तो उनका परामर्श भी मिल सकेगा और सारी समस्याओं का हल निकल सकेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है, सम्भवतः बिल बनाते वक्त इसका ध्यान नहीं रहा परन्तु अब हमें विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अध्यापकों पर सहानुभूति रखकर इसको जरूर रखने की कृपा करेंगे।

इसके अतिरिक्त मुझे एक, दो बातें अभी और आप की सेवा में रखना है। जो नियोजन समिति है उसकी बैठक ३ मास के बाद होगी, उसके लिये जो उप-समितियां बनेंगी, उसका कुछ रुपया तो मिलेगा प्रदेश से, कुछ नियोजन के केन्द्र से मिलेगा, उसका बजट अलग होगा। ऐसी अवस्था में ऐसा मालूम पड़ता है कि नियोजन समितियां कुछ निर्णय लेंगी और परिषद् कुछ और निर्णय लेंगी। इसलिए इन दोनों समितियों के मिले जुले सदस्य होने चाहिये ताकि मेल-जोल से काम चल सके। इसलिए आवश्यक है कि यह दोनों यूनिट एक ही हों।

आगे सेक्शन ११० में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ की व्यवस्था है, वे जिला बोर्ड के अन्तर्गत होंगे और उन पर सरकार का नियंत्रण रहता है लेकिन गांवों में जो हमारे स्कूल हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, बहुत तादाद विद्यार्थियों की है, इसलिये वहां यह व्यवस्था बहुत नाकाफी है। इसलिए अगर प्रत्येक ५० या १०० स्कूलों पर एक-एक डाक्टर की व्यवस्था जिला मेडिकल आफिसर के अन्डर में की जाय ताकि वह उन १०० गांवों के बच्चों का स्वास्थ्य देख सकें और हर तीन चार मास बाद रिपोर्ट दे सके।

इसमें कुछ टैक्सेज की भी व्यवस्था है, यह परिषद् टैक्स वसूल करेगी। प्रापर्टी टैक्सेज वगैरह हैं परन्तु टैक्सेज कई प्रकार के हैं, कुछ तो प्रदेशीय स्तर पर वसूल होते हैं, कुछ पंचायतें वसूल करती हैं और अब कुछ जिला परिषदें भी लगायेंगी तो लोगों को काफी टीका टीप्पणी करने का अवसर मिल जाता है। जब भी हम जन-मत संग्रह के लिये जाते हैं तो लोग टैक्सेज की बात करते हैं कि अलग-अलग संस्थायें टैक्स लगाती जाती हैं। इससे लोगों के दिमाग में एक दुर्भावना सी शासन के प्रति उत्पन्न होती है जो कि न होनी चाहिये। इसलिये यह जिला बोर्ड का जो ३१ नया पैसा प्रति एकड़ का टैक्स है यह भी लैंड रेवेन्यू की तरह अगर प्रदेशीय स्तर पर वसूल किया जाय और जो अन्य कर हैं उनमें जोड़ कर ले लिया जाय और फिर जिस तरह से नियोजन आदि में पैसा दिया जाता है उसी तरह से जिला परिषदों को भी उनका हिस्सा मिल जाया करे। इस तरह से जिला स्तरों की आय भी निश्चित हो जायगी और परिषदें ठीक से कार्य कर सकेंगी जैसे नियोजन समितियां

निश्चित आय के अनुसार कार्य करती हैं। यदि ऐसा न किया जायगा तो लोगों में शासन के प्रति एक दुर्भावना पैदा होगी और तरह-तरह की कठिनाई टैक्स की वसूली में पैदा हो सकती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि सेस वगैरह की तरह लैंड रेवेन्यू में ही १-२ पैसा बढ़ाकर प्रदेशीय स्तर पर वसूली कर ली जाय और फिर ग्रान्ट के रूप में जिला बोर्डों को रकम दे दी जाय जैसे नियोजन समिति को दी जाती है।

अध्यापकों का वेतन आज वहां तीन तीन, चार चार मास तक नहीं मिलता है, बहुत से कारण हो जाते हैं, कभी सरकारी ग्रान्ट समय से नहीं मिलती, कभी कुछ और कारण हो जाते हैं। मैं चाहूंगा, श्रीमन्, जैसे कि शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण काम है तो उनको ठीक-ठीक एक तारीख को या दो तारीख को या एक सप्ताह के अन्दर वेतन मिल सके। इस प्रकार से उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अभी पंचायतों को अधिकार है टैक्स लगाने का। लेकिन वह वसूल नहीं हो पाता। वह जिला अधिकारियों को लिखते हैं और क्या-क्या दिक्कतें होती हैं यह सबको मालूम है। इसलिये आमदनी निश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेशीय स्तर पर जो भी हमारे टैक्स वसूल होते हैं, परिषद् के टैक्स भी इनके साथ ही वसूल किये जांय। लोकल टैक्सेज के बारे में एकाध बात कही गयी है। जैसे घाटों के बारे में है, मवेशीखानों के बारे में है। यह तो ठीक है। वह तो स्थान-स्थान पर आवश्यकता के अनुसार होते हैं। अभी भी जिला बोर्ड लेते हैं। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो चार जो मैंने सुझाव दिये हैं जब यह प्रवर समिति में जायं तो माननीय मंत्री जी उनका ध्यान रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इसके लिये कुछ समय निर्धारित हो जाता तो बड़ा सुन्दर होता।

श्री अध्यक्ष--इसमें अगर सब लोगों की यही राय है तो मैं कर दूंगा। किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

कुंवर श्रीपाल सिंह--२० मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय। २० मिनट के बाद अगर आप किसी को चाहें तो और समय दे दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--कोई नियम तो है नहीं, श्रीमन्।

एक सदस्य--यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिये समय निर्धारित नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मैं निर्धारित कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन २० मिनट का अन्दाज भाषण का रखें तो अच्छा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, यह जो जिला परिषद् बिल है और इधर से जो प्रस्ताव आया कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिला परिषद बिल के बारे में मंत्री महोदय ने अपने भाषण में प्रस्तावना के स्वरूप में यह कहा था कि इस बिल को बनाने का हमारा लक्ष्य राज्य के अन्दर एक नवीन प्रयोग सत्ता के विकेन्द्रीकरण करने का है। श्रीमन्, गणतंत्र का मूलभूत आधार सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता ही है। इरादा तो अच्छा था, परन्तु प्रस्तावना में जो बात मंत्री महोदय ने कही उससे श्रीमन्, मेरे मन पर एक प्रतिक्रिया पड़ी और बिल को देखने के बाद भी यही प्रतिक्रिया पड़ी कि जिस मन्तव्य की ओर इस बिल के द्वारा जाने का प्रयास कहा जाता था उस ओर गये नहीं। मैं मोटी मोटी दो-चार बातों का उल्लेख करूंगा।

किसी भी गणतंत्र के अन्दर विकेन्द्रीकरण सत्ता के प्रयोग का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए जो जनमत से चुनकर आए हों जिसका स्पष्ट अर्थ है डाइरेक्ट इलक्शन बाई एडल्ट

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

सफरेज । जब फ्रेन्चाइज को लिमिट कर दिया जाय तो हमको और आपको अनुभव है कि १९२१, १९११ और १९३५ के लिमिटेड फ्रेन्चाइज में जो अंग्रेजों के राज्य-काल में स्थानीय निकाय और माननीय सदन चलते थे उनके अन्दर किस प्रकार भीषण करप्शन था । यह हम और आप सब जानते हैं । मुझे लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पर कुछ ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है । हम सब को मालूम है कि म्युनिसिपैलिटी के जब लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पर चुनाव होते थे तो किस प्रकार शराब, वोटरों को पकड़ना, उनको बन्द करना, सब प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेज चलती थीं । म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के चुनाव में देख लें, स्थान-स्थान पर पढ़ने को मिला कि आज इतने मेम्बर गायब हो गये । यह जो सारे दोष हैं यह लिमिटेड फ्रैन्चाइज में हमेशा आते हैं । यह सत्य है कि हमारे यहां अशिक्षा है और एडल्ट फ्रेन्चाइज का थोड़ा बहुत दोष असेम्बली के चुनाव में दिखाई पड़ता है-लेकिन यह अशिक्षा का ही अभिशाप है । लेकिन किस प्रकार दूसरा रूप प्रारम्भ में शुरू हुआ था जातीयता के दोष वे आज घटते जा रहे हैं, स्थान-स्थान पर जहां वृहत फ्रेन्चाइज हैं वे स्वयं घटते जा रहे हैं, वृहत् फ्रेन्चाइज के ऊपर कोई वोट नहीं खरीद सकता । १९४८-४९ में जिला बोर्ड के चुनाव हुए थे और वे एडल्ट फ्रेंचाइज पर हुए थे और चेयरमैन का भी ऐसे ही चुनाव हुआ था उस समय यह शिकायतें नहीं आयी थीं कि जातीयता चली हो, मैल-प्रैक्टिसेज इलेक्शन की बहुत कम मात्रा में चली । तो जब एक चीज सिद्ध है, जनतंत्र का मूलभूत सिद्धान्त है उसको काटने की क्या जरूरत है ? इसके बारे में मंत्री जी ने अपनी प्रस्तावना में कोई उत्तर नहीं दिया । इसलिये मैं चाहता हूं कि जब आपका और हमारा लक्ष्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण है तो उसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि कुछ लोग ही उसका अनुभव कर सकें । परन्तु सत्ता का अनुभव व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय में होना चाहिये । इसलिये आवश्यक है कि एडल्ट फ्रेन्चाइज के ऊपर चुनाव होना चाहिये ।

दूसरा कारण यह है कि इनडायरेक्ट चुनाव की नींव बनायी गई है वे पंचायतें बनायी गई हैं । पंचायतों के अन्दर ओपिन वोटिंग होने के दुष्परिणाम सभी को मालूम हैं । आज गांव का सभापति विलेज बुली ही होता है यह मैं नहीं कहता कि सब जगह ऐसे ही आदमी आते हैं, लेकिन अधिकता ऐसे ही लोगों की है, बहुत सी जगह बिरादरी के आधार पर प्रधानों का चुनाव हुआ है । आज यही लोग, जो इस प्रकार के शुद्ध भाव से प्रेरित हैं उन्हीं के द्वारा अगर जिला परिषद् बनेगी तो वही दोष जिला-परिषद् में भी होगा । इस-लिये और आवश्यक है जो इसकी पद्धति है यह बदली जाय । डायरेक्ट टेरीटोरियल बेसिस पर अडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धात पर चुनाव हों । जब आप परिष को सत्ता दे रहे हैं तो उसका अध्यक्ष भी डायरेक्टर इलेक्शन पर आना चाहिये मेम्बरों के चुनने का परिणाम और जहां लिमिटेड फ्रेन्चाइज होगी उसके वही दुष्परिणाम होंगे । इसलिये अध्यक्ष सीधे जनता से चुनकर आना चाहिये । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आपने बदल दिया है, म्युनिसि-पैलिटी में आपने बदल की है, बदलने का कोई कारण आपने नहीं दिया । बहुत बार ऐसा हुआ है बहुमत सदस्यों का एक है, चेयरमैन अलग है शासन चलता नहीं । ऐसा हुआ, और ज्यादातर यह हुआ कि बहुमत मेम्बरों का आया है सत्तारूढ़ी दल का और चेयरमैन दूसरा आया, इन की ही पार्टीबाजी के कारण चेयरमैन नहीं चल सका । अगर यह स्थिति हो तो चेयरमैन के खिलाफ नो-कांफीडेंस का प्रस्ताव मत आने दीजिये । क्योंकि जो जनता से चुन कर आया है उसे ८ मेम्बर गुटबाजी कर के अविश्वास के प्रस्ताव के जरिये निकाल दें तो यह जनता के मत की अवहेलना है । चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होना चाहिये । जनता का प्रतिनिधि होने के कारण जनता से सीधा आना चाहिये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मंत्री महोदय ने अपनी प्रस्तावना में यह कहा कि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शंस हों लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं । इसी तरह से अगर

अंग्रेजी सरकार कहती कि हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान को सत्ता दें लेकिन सत्ता देने के लिये रिसोर्सेज नहीं हैं तो मंत्री महोदय के दल के अखबार क्या कहते। मैं तो समझता हूं कि रिसोर्सेज हैं लेकिन प्रयोग करने की इच्छा चाहिये। यह जो आपने मंगल दल बनाये हैं जैसे समाज कल्याण, महिला मंगल, युवक मंगल दल ये क्या करते हैं सिवा इसके कि हारे हुए कांग्रेसियों का मंगल करने के और किसी का मंगल नहीं करते। इनमें लगे हुए पैसे को इधर लगाया जाय। मेरी समझ में तो यह सिद्धान्त ही गलत है कि प्रजातन्त्र तो हम चलाना चाहते हैं लेकिन उसको चलाने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है—यह सिद्धान्त कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिये आपके पास रिसोर्सेज हों या न हों यह तर्क मानने योग्य नहीं होगा कि जिला परिषद् का जो बिल लाया गया है उसमें डारेक्टर इलेक्शंस न रखे जायं क्योंकि रिसोर्सेज नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इसमें केवल बहाने बाजी है, वास्तविकता कुछ नहीं है।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

जिला परिषद् के बारे में उधर से कहा गया कि मैं भी समझता हूं कि जिला परिषद् के जो रिसोर्सेज रखे गये हैं वे बहुत कम हैं। आपने भी वही चाल खेली है जो अंग्रेज स्थानीय निकायों के साथ खेला करते थे काम तो बहुत ज्यादा लाद दिया और पैसे की स्कीम्स अपने हाथ में रखीं और जब वे कोई काम न कर सकें तो बदनामी उनकी हो। आप भी इनको अपने अधीनस्थ एक प्रकार का अनपेड सर्वेन्ट रखने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के हर देशों में जहां काउंटी कौंसिल्स वगैरह होती हैं उनके लिये सरकारी आमदनी में से, विशेषकर उन टैक्सों की आमदनी में से जो उस क्षेत्र से सम्बन्धित हों एक अंश ईयर मार्क करके ब्लाक ग्रान्ट के रूप रखा जाता है। आप कहते हैं कि एक कोष बना देंगे बाकी वे टैक्सेज लगायें तो टैक्सेज तो इतने लगे हुए हैं कि लोगों को टैक्स देने की कैपेसिटी कहां रह गयी है। नतीजा यह होगा कि जिला परिषद् के सदस्य टैक्स लगाने से घबरायेंगे और लगायेंगे तो उलटे सीधे लगायेंगे और अन्त में आप कहेंगे कि ये लोग काम नहीं करते। काम कर ही कहां से सकते हैं जब पैसा उनके पास होगा नहीं और काम आप ज्यादा लाद देंगे।

मेरा यह सुझाव है कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकार को इनकम टैक्स का हिस्सा मिलता है उसी प्रकार से जिला परिषदों को सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मालगुजारी का एक हिस्सा ईयर मार्क कर देना चाहिये तब आप अपेक्षा कीजिये कि वे कार्य कर सकेंगी। लेकिन यह कोई मानी नहीं रखता कि आप उनके लिये रिसोर्सेज कोई न रखें, काम उन पर ज्यादा लाद दें और आप उनसे कहें कि टैक्स लगाइये। आज की स्थिति में टैक्स कहां लग सकता है? आपके बड़े-बड़े इकोनामिस्ट्स experts ने अपने भाषणों में, स्टेटमेंट्स में कहा है और श्री मोरार जी देसाई ने कहा है तथा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि इस देश में टैक्सेबिल कैपेसिटी समाप्त हो गयी, तो जब टैक्सेबिल कैपेसिटी समाप्त हो गयी तो कहां तक टैक्स लगायेंगे, इस सूखे कंकाल पर, कहां तक टैक्स की कुल्हाड़ी चलायेंगे। लिहाजा एक परसेंटेज आफ इनकम उनको ईयर मार्क कर देना चाहिये। तीसरी बात जो मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कही वह यह कि कुछ वेतन पाने वाले अधिकारियों के ऊपर अनुशासन का या दंड की कार्यवाही करने का अधिकार परिषद् के अध्यक्ष को होगा और उसकी अपील कमिश्नर के यहां होगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि पुराने कमिश्नर और आज के कमिश्नर में फर्क क्या रह जायगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का गार्जियन पुराना कमिश्नर होता था। उसके हर काम का मालिक कमिश्नर होता था और आज भी जिला परिषद् का अध्यक्ष मातहत होगा कमिश्नर के। यह तो, श्रीमन्, वही हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ था उसी को झाड़-पोंछ कर, थोड़ी इधर-उधर सफेदी करके आपने कह दिया कि यह हमारा जिला परिषद् विधेयक है। एक रेडिकल डिपार्चर चाहिये था, एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता थी, जिला परिषद् को विकेन्द्रीकरण का सेन्टर होना चाहिये था। आप यह नहीं कर रहे हैं बल्कि हर स्थान पर जिला परिषद् को आप सरकारी नौकरों के अधीनस्थ कर रहे हैं। श्रीमन्, मुझको यह देख कर आश्चर्य हुआ कि एप्वाइंटमेंट तक के मामले में

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

जिला परिषद् के अध्यक्ष और जो एप्वाइंटिंग कमेटी होगी, जिसमें कार्याधिकारी आप ही का नियुक्त किया होगा, उसमें यदि कोई मतभेद है तो सरकार को अधिकार होगा कि अपनी ओर से किसी की नियुक्ति कर दे। यह तो ऐसा ही हुआ जैसा कि हिन्दी में एक कहावत है कि अन्धा बांटे रेवड़ी और घूम घूम अपने को दे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बार-बार "आप" कह रहे हैं। मैं समझता हूं, शायद उनका तात्पर्य मुझसे नहीं बल्कि सरकार से है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं श्रीमन् के द्वारा मंत्री जी से कह रहा हूं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जो वे कह रहे हैं वह आपके द्वारा मुझसे कह रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जब बाढ़ आती है तो पानी को रोकने के लिये स्पर बनाया जाता है, तो हमारे मंत्री जी ने भी स्पर के स्वरूप आपको रक्खा है। तो कार्याधिकारी की नियुक्ति सरकार करे, तमाम उसके टर्म्स आफ सर्विस सरकार बनाये। एग्जीक्यूटिव अफसर अधीन अध्यक्ष के मगर एप्वाइंटिंग अथारिटी सरकार है। यह तो ऐसा ही होगा जैसे भारत सरकार हमारे मुख्य मंत्री से कहे कि चीफ सेक्रेटरी अन्डर तो तुम्हारे रहेगा लेकिन उस एप्वाइंट हम करेंगे, आपको कोई उससे शिकायत हो तो हमको लिखिये। अगर ऐसा ही है तो फिर अध्यक्ष को एलिमिनेट क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं आप सीधे से कह देते कि एग्जीक्यूटिव अफसर काम चलायेगा? एक आदमी को आप अध्यक्ष की पोजीशन दें और सत्ता का केन्द्र अपने अधिकारी को बनायें यह जनतंत्र की परिभाषा आपकी हो सकती है मान्यता इसको नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि कार्याधिकारी की नियुक्ति परिषद् करे। उनकी सर्विसेज प्राविंशियल हो, उनका ट्रांसफर हो, उसके सारे पनिशमेंट का अधिकार अध्यक्ष के हाथ में हो क्योंकि अध्यक्ष तो सारी जनता की विकेन्द्रित सत्ता का मूर्तिरूप सामने खड़ा होगा। वरना जैसे डलहौजी ने किया था कि राज्य तो राजा का रहा लेकिन सत्ता का केन्द्र रेजीडेन्ट रहा, असेम्बली बनी, पार्लियामेंट बनी लेकिन वास्तविक सत्ता का केन्द्र वायसराय रहा, उसी प्रकार यह भी होगा। फिर आप में और उन अंग्रेजों में फर्क क्या रह जायगा? रंग में भले ही अन्तर हो लेकिन भावनाओं में कोई अन्तर नहीं रहेगा। हमारे मुख्य मंत्री जी भी उस दिन कह रहे थे कि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया तो शासन नहीं चलेगा, अन्धकार हो जायगा। अंग्रेज भी यही कहा करते थे कि हम चले गये तो क्या होगा, देश के अन्दर भीषण अराजकता होगी। हम चले गये तो शासन डूब जायगा, सब कुछ सत्यानाश हो जायगा। आप भी उन्हीं अंग्रेजों की वाणी बोल रहे हैं। इसलिये अगर वास्तव में सरकार की इच्छा है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो तो कार्याधिकारी का जो अतीव शक्तिशाली स्वरूप है उसको कम करने की आवश्यकता है। उसको वास्तव में कार्याधिकारी बनाने की जरूरत है। उसको अध्यक्ष का गार्जियन बनाने की जरूरत नहीं है।

श्रीमन्, मैंने देखा है कि पद-पद पर इस ऐक्ट में देखिये कि हर जगह सरकार ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा है। जब चाहे निकाल सकते हैं और जब चाहें तब बोर्ड को खत्म कर सकते हैं। अगर यह कहा जाय कि हम बार-बार छानबीन करके सब प्रमाण लेकर, जहां गड़बड़ी होती है, वहीं इसका प्रयोग करते हैं। श्रीमन्, मैं आपको याद दिलाऊं कि हाईकोर्ट से कई बार स्ट्रक्चर्स पास हुये हैं सरकार के एब्यूज आफ पावर के बारे में। हरदोई के बोर्ड के भंग करने में यही बात हुई और वृन्दावन में भी आपने यही किया है। जहां-जहां विरोधी पार्टियों के बोर्ड हैं वहां आपने यही किया है और हाई कोर्ट द्वारा वह रद्द किये गये हैं।

मान्यवर, मिर्जापुर में भी आपने यही किया है। मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन इशारा किये देता हूं। जहां कांग्रेस म्युनिसिपल बोर्ड हैं, उनको जो सड़क बनाने के लिये पैसा दिया गया उसके लिये नियम यह है कि जितना रुपया सरकार की ओर से दिया जाय उतना ही रुपया

बोर्ड भी दे, लेकिन उन बोर्डों के लिये यह चीज माफ कर दी गई है। दूसरे बोर्ड के चेयरमैनों ने भी कहा कि हमको भी वही सहायता दी जाय जो प्रतापगढ़ तथा बिजनौर आदि बोर्डों को दी गई है। इसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम यह कार्य नहीं करते हैं, हमारा विभाग करता है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर वह किस लिये मंत्री हैं? क्या वह एक टाइपिस्ट की तरह से जवाब पढ़ देने वाले मंत्री हैं? इसके पीछे मान्यवर, भावना यह है कि दो आंखों से विरोधियों को तथा अपने पक्ष वालों को देखा जाय।

श्रीमन्, मुझे भय है कि इस ऐक्ट में हमारी सरकार ने बहुत से अधिकार सुरक्षित कर लिये हैं जैसे जिला परिषद् को भंग करने का अधिकार, तो इनका उपयोग नहीं होगा और ज्यादातर इनका दुरुपयोग ही होगा। श्रीमन्, यह माना नहीं जा सकता कि इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक अधिकार सुरक्षित कर सकती थी कि बोर्ड को भंग कर दे अगर कहीं ज्यादा गड़बड़ी हो और फिर तीन महीने के अन्दर रिइलेक्शन करा दे। मान्यवर, जनता ने उनको चुना है और जनता ही टैक्स देती है फिर आप बीच में निकालने, बिठाने और सस्पेंड करने वाले कौन होते हैं। आप सिर्फ एक अधिकार लें कि यदि कहीं अतीव गड़बड़ी हो गई है तो आप उस बोर्ड को भंग कर दें और तीन महीने के अन्दर उसका रिइलेक्शन करा दें। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की है तो जनता उनको स्वयं दुबारा चुनकर नहीं भेजेगी। आप आगरे में २५ साल से बैठे हैं। कवाल टाउन्स में इलेक्शन को आप आज तक टालते रहे। अब मजबूर हो गये हैं तब आप Corporation का बिल लाये हैं मैं क्या यह समझूं कि इसलिये यह अधिकार सुरक्षित किये गये हैं कि जब पार्टी का हित होगा कि फलां बोर्ड को खत्म कर दिया जाय तो आप खत्म कर देंगे। गाजियाबाद में आपने इसी तरह से किया है। एक मेम्बर के ऊपर निर्धारित चार्ज लगा कर निकाल दिया गया। हाई कोर्ट से उसको फिर से रखा गया। इस तरह से आप अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे यह मुझे भय है।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकार आप दूसरों को दे सकते हैं वह वापस भी तो ले सकते हैं। क्यों न आप एक ऐक्सपेरीमेंटल के स्वरूप बोर्डों को अधिकार देकर देखें कि क्या होता है? अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो आप उससे वापस ले लें। पहले से ही यह मान कर चलना कि अगर हमने यह अधिकार दे दिये तो गड़बड़ी हो जायगी। यह चीज गलत होगी और यह न्यायसंगत भी नहीं है।

चौथी बात जो माननीय मंत्री जी ने कही, उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि अभी तक सरकारी नीति स्पष्ट नहीं है। इसीलिये उन्होंने जवाब में कहा है कि लेजिस्लेचर्स का स्थान नियोजन समिति में हो। मैं नहीं समझ पाया और यह दुनिया में कहीं भी नहीं रहा कि जो एम० पी० है या एम० एल० ए० या एम० एल० सी० है वह उसमें एक्स आफिशियो लोकल बाडीज के मेम्बर हो जायं। इंग्लैण्ड की काउंटी काउंसिल्स में कोई एक्स आफिशियो मेम्बर नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार भी लेजिस्लेचर्स का कोई प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होना चाहिए। यह कहा जाय कि हमको नियोजन की ज्यादा जानकारी है तो उसका प्रयोग हम यहां करें। वहां स्थानीय बोर्ड में घुस कर केवल पार्टीबाजी करना और स्थान-स्थान पर ठेका दिलाने की बात करना अनुचित बात है। अगर लेजिस्लेचर्स रखे गये तो हम सब बदनाम हो जायेंगे। यह हम मानने के लिए तैयार हैं कि हम उनके काम को सुपरवाइज करें। यह हमें अधिकार है। लेकिन नियोजन समिति में बलात् मेम्बर बन जायं यह पद का दुरुपयोग है। यह प्रजातन्त्र की बात नहीं है। मैं इसका विरोधी हूं। यह चीज उसके अन्दर न आनी चाहिए चाहे उसके लिए मंत्री महोदय को कुछ भी करना पड़े। मैं कुछ ही शब्द कह कर छोड़ देता हूं, उनके समझने के लिए। अगर किसी भी अन्यान्य दृष्टि से यह लाया गया तो यह घातक होगा। मैं विधायक हूं। मैं जिला परिषद् में जाता हूं। जिला परिषद् के सदस्यों का सरकार से बहुत काम हो सकता है। मैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उनसे अनुचित कार्य कराने के लिये तैयार हो सकता हूं। मैं स्पष्ट उदाहरण दूं। मान लो कि कोई लेजिस्लेचर है, वह जिला परिषद् का सदस्य

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

हो गया। उसका लड़का ठेकेदार है या स्टेशनरी की दूकान करता है। अगर वह जिला परिषद् का सदस्य हो गया तो वह व्यापार नहीं कर सकता नहीं तो कल को जिला परिषद् में इसी प्रकार की बातें कही जायेंगी। इसी को बचाने की ज़रूरत है। जनता के अन्दर विश्वास हो रहा है कि आज राजनैतिक लोग कमाने के लिए जाते हैं। मैं इस पर बहस नहीं करता कि वह विषय सही है या गलत है। अगर हम लोग वहां गये तो उस दिन मैं समझूंगा कि इस देश की जनतन्त्र पद्धति के दुर्दिन और दुर्दैव जागृत हो गये। लेजिस्लेचर्स नियोजन समिति में रखे गये वे नियोजन समितियां राजनीति का अखाड़ा बन गयीं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए लेजिस्लेचर्स को उसका एक्स आफिशियो मेम्बर न रखा जाय। जिसको बड़ा शौक हो वह एलेक्शन लड़े।

यह जो भिन्न-भिन्न कमेटियां बनायी गयीं इसमें एक सुझाव मैं और देता हूं। सत्ता का विकेन्द्रीकरण जो आप कर रहे हैं यह अच्छी चीज है। इससे सिद्धान्ततः मैं सहमत हूं। लेकिन आज तक जिले की सत्ता का केन्द्र रहा है जिलाधीश---अगर विभक्ति कर दी जाय तो वह जिला का ईश्वर हो जाता है, उसका भी विकेन्द्रीकरण होना आवश्यक है। मैं कहता हूं कि उसी को एग्जीक्यूटिव आफिसर बनाया जाय। वास्तव में जिले की सत्ता का सर्वोच्च स्थान अध्यक्ष का होना चाहिए, जिलाधीश का नहीं होना चाहिए। इसलिए जिलाधीश के स्थान को घटाने की जरूरत है। उसको परिषद् के अधीन लाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह मोटी-मोटी इस विधेयक की त्रुटियां हैं। सेलेक्ट कमेटी में शान्ति के साथ, विश्वास के साथ, विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा जो इसके अन्दर त्रुटियां हैं उनको दूर करने का प्रयास होना चाहिए। इस तरह का महत्वपूर्ण एक्ट जल्दबाजी के आधार पर नहीं, काम्प्रोमाइजेज के आधार पर नहीं बल्कि सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए क्योंकि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा हम वह कानून बना रहे हैं जो सैकड़ों वर्ष चलेगा। सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कानून एक रेडिकल विचार है, मैं स्टेप नहीं कहता उसको, क्योंकि उन्होंने अभी स्टेप लिया नहीं है, एक रेडिकल विचार है और रेडिकल विचार सिद्धान्तों पर आधारित होना आवश्यक है। इसलिए इन चीजों पर हर दृष्टिकोण से विचार होना आवश्यक है निष्पक्षता से। इसलिए नहीं श्रीमन्, कि हमारे दल में फूट पड़ जायगी, एक दल कहता है कि मेम्बर उसमें होने चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं होने चाहिए, इसलिए न घोड़ा न गधा, खच्चर सामने रख दिया। यह नहीं होना चाहिए इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सभी दृष्टियों से विचार करने के लिए यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय। श्रीमन्, मैंने इसके डीटेल्स जान बूझकर नहीं दिये क्योंकि वह डीटेल्स तो सेलेक्ट कमेटी के सामने आयेंगे। केवल जिन बातों की ओर माननीय मंत्री जी ने संकेत किया था उन्हीं बातों को मैंने लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिशा उनकी ठीक हो सकती है लेकिन उस दिशा में उनका जो मार्ग है, उनका जो पग है वह गलत है। उसको वह बदलें। अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में सत्ता विकेन्द्रित हो, व्यक्ति-व्यक्ति यह अनुभव कर सके और स्थानीय समस्याओं का हल स्थानीय रूप से हो सके तो आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण जनतंत्र के आधार पर किया जाय। डेमोक्रेटिक प्रणाली से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को पावरफुल बना कर नहीं। वास्तव में पीपुल्स रिप्रिजेंटेशन को पावरफुल बना कर सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें, इसके मूलभूत आधारों में आमूल परिवर्तन करते हुए इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जायं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत जिला परिषद् विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसके पहले कि मैं प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करूं मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस समय हमारे प्रदेश में जो अन्तरिम जिला बोर्ड हैं उसके अध्यक्ष जो जिलाधीश हैं, वह शीघ्र ही सरकार को चाहिए कि वह उसके लिए कोई ऐसा संशोधन करे कि अन्तरिम जिला परिषदों

के अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति हों और जो सदस्य इस समय अन्तरिम जिला परिषद् के हैं वह अपने सदस्यों में से किसी गैर सरकारी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नियुक्त करके काम चलायें। पता नहीं, यह जो विधेयक है यह सेलेक्ट कमेटी में अभी जायगा, वहां से आने के बाद फिर इस पर यहां विधान सभा में विचार होगा, इस तरह से इसमें अभी करीब एक साल से ज्यादा समय लग सकता है जब कि यह कार्य रूप में परिणत हो। इसलिए आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह कोई शीघ्र ही ऐसा संशोधन करें जिससे कि इस समय के अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्ष गैर-सरकारी व्यक्ति हो सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जिला परिषद् जो भविष्य में संगठित होने जा रहे हैं उसके सदस्य पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने हुए होंगे। मान्यवर, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। कारण इसका यह है, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बताया जो इस समय पंचायतें हैं उनके जो सदस्य हैं उनमें से अधिकांश जनतांत्रिक प्रणाली पर नहीं चुने गए हैं। बहुत काफी संख्या में ऐसे सदस्य चुन लिए गए हैं जिनको कि गांव के प्रभावशाली लोगों ने अपने पक्ष के लोगों से पंच बनवा लिया है। उसका कारण इन ग्राम पंचायतों की वर्तमान चुनाव प्रणाली है जिसमें कि हाथ उठा कर वोट दिये जाते हैं। हाथ उठा कर वोट देने के कारण बहुत से ऐसे लोग जो कि अच्छे होते हैं और जिनको कि जनता चाहती भी है, नहीं चुने जाते क्योंकि गांव के कुछ प्रभावशाली और दबंग व्यक्तियों के दबाव के कारण वह उनको वोट नहीं दे पाती है और ऐसे लोगों को चुन लेती है जिनको कि वह अपने हृदय से चाहती नहीं है। इसलिये बहुत से ऐसे सदस्य जो ग्राम पंचायतों में हैं वे वास्तव में जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है।

तीसरी बात यह है कि मैं बहुत से हरिजन सदस्यों की बात जानता हूं कि गवर्नमेन्ट की ओर से वह रिजर्व सीट के अनुसार भले ही पंचायतों के सदस्य हो गये लेकिन हमें मालूम है कि ऐसे गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं था बहुत से उनके मालिकों ने या दूसरे लोगों ने अपना पैसा देकर उनको सदस्य बनवा लिया है इसलिये कि जरूरत पड़ने पर वह अपने काम में उनका प्रयोग कर सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि बहुत से ऐसे हरिजन सदस्य इन पंचायतों में आ गये हैं जो अपनी इच्छा से नहीं आये है बल्कि कुछ लोगों ने रुपया पैसा देकर उनको रखवा लिया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि भविष्य में माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें कि इन हरिजनों के लिये जो पंचायतों के सदस्य हों उनसे ४,६ रुपया जो सदस्य शुल्क रखा गया है, उस शर्त को हटा दें जिससे गरीब निधन हरिजन भी अपने सच्चे प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

मान्यवर, चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि टाउन एरिया कमेटी को जिला परिषदों के अन्दर रखा गया है लेकिन नोटिफाइड एरिया कमेटी नहीं रखी जा रही है। मैं यह चाहता हूं कि जब टाउन एरिया रहे तो इन नोटिफाइड एरिया को भी रहना चाहिये। टाउन एरिया के जो बख्शी होते हैं उनसे टाउन एरिया के लोग बड़े परेशान रहते हैं। नोटिफाइड एरिया के बख्शी भी और टाउन एरिया के बख्शी भी वहां के सदस्यों को एक तरह से नचाते रहते हैं। तो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया जिले के अन्दर जितने भी हों उनके जो बख्शी हैं उनको जिले में ही एक टाउन एरिया से दूसरी टाउन एरिया में और एक नोटिफाइड एरिया से दूसरे नोटिफाइड एरिया में स्थानान्तरण की व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसा अधिकार जिला परिषद् के अध्यक्ष को होना चाहिये जिससे बहुत से ऐसे बख्शी जो टाउन एरिया में हावी हो जाते हैं और वहां पर दलबन्दी कर लेते हैं जिससे वहां की व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है उसके लिये भविष्य में मौका न रह जाय।

मान्यवर, पांचवी बात मैं यह कहना चाहता हूं जो कि बहुत खास है कि हमारे विधान मंडल में हायर सेकेन्डरी और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व रहता है अर्थात उनके चुने हुये बहुत से अध्यापक यहां पर हमारी विधान परिषद् में बैठते हैं। हमारे कानून बनते हैं उनमें वे अपना सुझाव देते हैं और इस तरह से वे विधान बनाने में सहायक होते हैं

[श्री माता प्रसाद]

इसलिये मैं चाहता हूं कि जिला परिषद् में भी मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक जो बहुत ही उपेक्षित हैं वह कुछ न कुछ संख्या के आधार पर आ जायं। वे जिला परिषद् के सदस्य होने चाहिये क्योंकि हमारी शिक्षा का मूल आधार प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक ही हैं। उनकी जो कठिनाइयां हैं और उनकी जो परेशानियां हैं वह जिला परिषद् के सामने आया करेंगी और इस तरह से उनकी समस्यायें बहुत मात्रा में हल हो जाया करेंगी। बहुत से जिलों से यह शिकायत यहां पर आती रहती है कि वहां इन अध्यापकों को ४,४ और ६,६ महीने से वेतन नहीं दिया जाता है। हर तरह से उनको परेशान किया जाता है। सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। इन्टरमीडियेट और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का वेतन बढाया गया और उनके प्रतिनिधि भी यहां पर आते हैं किन्तु प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के लिये न तो कोई नियम है कि वे विधान मंडल में अपने प्रतिनिधि भेजें और न दूसरी तरह से यहां आ सकते हैं इसलिये कम से कम जिला परिषद् में उनके प्रतिनिधि अवश्य रहने चाहिये। इस निवेदन को मैं खासतौर से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं।

मान्यवर, जिला परिषद् में कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको मैं चाहता हूं कि परिषदों में उनका स्थानान्तरण हुआ करे। स्वास्थ्य विभाग में जो इन्सपेक्टर होते हैं यह बहुत गड़बड़ करते हैं। एक जगह वह रहते हैं बहुत सी जगहों से बहुत लोगों की शिकायत आती है अगर वे रुपया नहीं देते हैं तो हलवाइयों या छोटे तेल आदि बेचने वालों को, छोटे दूकानदारों को वह फंसा देते हैं और परेशान करते हैं। जो बड़े व्यापारी हैं, जिन से उनका माहवारी बंधा हुआ है उन पर वे हाथ नहीं उठाते यह कर्मचारी सदा एक ही स्थान पर रहने के कारण यह गड़बड़ी करते हैं और इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनका स्थानान्तरण प्रदेश में सब जगहों पर किया जा सके।

जो स्थानीय जिला परिषदें हैं उन में सब से बड़ी शिकायत यह है कि उनमें परिगणित जाति के कर्मचारी अनुपात के हिसाब से रखे नहीं जाते। प्रदेश और केन्द्र के आदेश होते हुए भी कर्मचारियों की नियुक्ति दलबन्दी के आधार पर की जाती है अथवा अपने खास आदमियों को रखा जाता है। तो मैं इस के लिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि जो जिला परिषदें बनने वाली हैं उनमें परिगणित जाति के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात से रखा जाय।

मान्यवर, आज हमारे समाज में भेदभाव बहुत दूर तक बढ़ता जा रहा है और इस से हमारे देश को बड़ा खतरा है। हमारे देश के बड़े नेता भी कहते हैं कि हमको बाहर से नहीं, भीतर से ही बड़ा खतरा है। हमारा देश विभिन्न सम्प्रदायों, वर्गों और भेदों में बंटा होने के कारण बड़े खतरे में है। तो जिला परिषदों के सदस्यों के साथ यह शर्त लगा दी जाय कि यदि किसी सदस्य का छुआछूत या भेदभाव में विश्वास है तो वह चुने जाने के बाद भी सदस्य न रह सकेगा। यदि प्रारम्भ में ही इस तरह की कड़ी व्यवस्था कर दी जायगी तो हमको इसे दूर करने में और प्रदेश का विकास करने में बहुत सहायता मिलेगी।

मान्यवर, इसमें चुनाव याचिका की व्यवस्था रखी गयी है। चुनाव की याचिकाओं में बहुत देर की जाती है। ग्राम सभाओं की याचिकायें अभी भी चल रही हैं और ३,४ साल हो जाने के बाद भी उनमें कई का फैसला नहीं हुआ है और मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है। तो जिला परिषदों की याचिकाओं के लिये कोई समय निश्चित कर दिया जाय कि इतने समय के अन्दर उनका फैसला हो जायगा। इस तरह की व्यवस्था अगर न होगी तो लड़ते-लड़ते सालों लग जायंगे और जिला परिषदें कभी ठीक तरह से नहीं चल सकेंगी।

आजकल हमारे यहां जिलाधीशों का काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वह केवल फाइलों पर दस्तखत करते हैं और कुछ लोगों से मिल लेते हैं और अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो उनका ज्यादा से ज्यादा काम हटा कर जिला परिषदों के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये और प्रशासन के कामों को देखने का काफी मौका जिलाधीशों को देना चाहिये। इससे हमारे जिलों का काम अच्छी तरह से चल सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का कि यह जिला परिषद् विधेयक, प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जिस समय इसके उद्देश्य और कारण बतलाये थे तो कहा था कि इस विधेयक द्वारा हम जिले के स्तर पर ऐसी जिला परिषदों को कायम करने जा रहे हैं जो जिला स्तर पर अपने विकास कार्यों एवं शासन संबंधी कार्यों का संपादन और संचालन सुचारु रूप से कर सकें। मुझे खेद है कि इस विधेयक के पढ़ने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता।

श्रीमन्, हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। यहां की लगभग ८५ प्रतिशत जनसंख्या खेती द्वारा अपना जीवन-यापन करती है। ऐसी स्थिति में हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारी खेती का विकास सब से अधिक आवश्यक है और इसके लिये हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किन-किन साधनों को जुटाएं जिससे खेती का उत्पादन और विकास प्रगति पर ला सकें। यह सोचने के बाद हम इस स्थिति पर पहुंचते हैं कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमें सिंचाई, सहकारिता, नियोजन और शिक्षा पर अधिक बल देना पड़ेगा। इसलिये मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि जिला परिषदों के द्वारा विकास कराने पर उनकी इच्छा है और सच्चाई के साथ व्यापक रूप से वह जिला परिषदों के द्वारा इसका विकास करना चाहते हैं तो खेती, सहकारिता, नियोजन और शिक्षा के पूर्ण अधिकार जिला परिषदों को दें। इस प्रकार वह जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र को बढ़ा देंगे और उसमें आर्थिक संगठनों की तरफ ध्यान देंगे तो वह लगन के साथ, साहस के साथ अपने कार्य करने में सफल हो सकेंगी और हमारी ग्रामीण जनता ८५ फीसदी जो प्रदेश में रहती है उसका कल्याण और उत्थान हो सकेगा।

इसके पश्चात् मैं, निर्वाचन कराने की रीति जो विधेयक में दी हुई है, उसका विरोध किया गया है, उसके सम्बन्ध में दो एक बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि इस विधेयक में रिक्त स्थान जो कि ग्राम पंचायतों के बहुत से निर्वाचन पड़े हुए हैं और जैसा कि कांग्रेस दल की तरफ से पूर्व वक्ता ने कहा था कि टिकट लेने के अभाव में लोगों ने स्थानों को ग्रहण नहीं किया था, तो हमारे प्रान्त में हजारों की संख्या में ऐसे रिक्त स्थान होंगे, उनके लिए विधेयक में कोई प्राविधान नहीं है।

दूसरी बात यह है कि विधेयक में इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कि जो अदालती पंचायतों के सदस्य होंगे, या सरपंच उनको मत देने का अधिकार होगा या नहीं। सब से विचित्र बात यह है कि इन सदस्यों का जो कि ग्राम पंचायतों द्वारा चुने गये जिनके द्वारा हमारे मंत्री जी चुनाव कराने जा रहे हैं उनका निर्वाचन हाथ उठाकर सबके सामने हुआ था, क्या ऐसे सदस्यों द्वारा जो निर्वाचन आज जिला परिषदों का कराया जायगा उसको हम गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कह सकते हैं या नहीं, इस पर भी हमें सोचना है। इन सब बातों पर विचार करते हुए और अपने पूर्व वक्ताओं के विरोध पर अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि व्यस्क मताधिकार की बिना पर यह चुनाव होना चाहिए।

इसमें एक अनुमेलन करने की, यानी कोआप्ट करने की रीति बनायी गयी है और मैं उसका घोर विरोध करता हूं। मेरा सुझाव है कि यदि अधिक सदस्य लाने के लिये ही ऐसा करना है तो उनके निर्वाचन क्षेत्र छोटे छोटे बना दिये जायं जिससे चुनकर ही अधिक से

[श्री रघुवीर सिंह]

अधिक सदस्य आयेंगे और कोआप्शन की रीति न अपनाई जाय।

श्रीमन्, धारा ५९ की उपधारा (३) में एक ऐसी बात कही गई है जो अपने स्थान पर बिल्कुल असंगत है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी प्रकार अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कि वह हटा दिया जाय और वह पारित हो जाय तो सारी जिला परिषद् भंग कर दी जायगी। इसके अर्थ यह होते हैं कि ऐसी अवस्था में अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता क्योंकि जो सदस्य प्रस्ताव लाने के अधिकारी हैं वह सोचेंगे अगर हम अविश्वास लाते हैं, और अगर अध्यक्ष हटाया जाता है तो हम भी हटा दिये जायंगे। इसलिये मैं इस प्रथा का विरोध करता हूं।

एक बात और धारा ६७ की उपधारा (१) में कही गई है कि अध्यक्ष अगर चाहे तो अपने किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश से अपने अधिकार उपाध्यक्ष या कार्याधिकारी को दे सकता है। उपाध्यक्ष को तो दे दे, इसमें कोई बात नहीं है लेकिन अगर वह कार्याधिकारी को अधिकार देता है तो यह न्यायसंगत नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

एक बात और है। धारा ७६ की उपधारा (२) में यह कहा गया है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष या कोई अधिकारी वह अपना मत भी दे सकता है और एक निर्णायक मत भी दे सकता है। इस तरह से उसको जो यह दोहरा अधिकार दिया गया है यह भी न्याय-संगत नहीं है। मैं समझता हूं कि जब वोट बराबर हो जाय तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार दिया जाय कि वह एक निर्णायक मत दे सके।

धारा ८० के अन्तर्गत एक वृत्त पुस्तिका रखी जायगी जिसमें जिला परिषद् की बैठकों का जो कार्य होगा वह उसमें दर्ज किया जाया करेगा। इसमें मैं यह चाहता हूं कि उस पुस्तिका में जब कि बैठक समाप्त हो उससे पहले जितने भी सदस्य हों उनको उसे पढ़ कर उसमें हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक ज्वलन्त उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। हमारे जिले एटा में ऐसा कई बार हुआ लेकिन मुझे खेद है कि उसके बारे में मैंने एक प्रार्थनापत्र जिलाधीश को दिया और स्वायत्त शासन मन्त्री को भी दिया परन्तु उस पर कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं की गई। एक बार एक बैठक में एक स्कूल के हटाये जाने का प्रस्ताव एक सदस्य द्वारा उठाया गया और जनरल मीटिंग में वह फेल हो गया। उसके बाद वह प्रस्ताव किसी दूसरे दिन की बैठक की कार्यवाही में, जबकि वास्तव में वह प्रस्ताव नहीं लाया गया था, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बीच में दूसरी स्याही और कलम से अंकित कर दिया और उस स्कूल को दूसरी जगह हटा दिया गया जब कि वह स्कूल सुचारु रूप से चल रहा था। २५-३० हजार रुपये की इमारत एक वहां के सज्जन ने दानरूप में इस स्कूल के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी थी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी ५-६ हजार रुपये लग गये थे लेकिन आज वह स्कूल वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और वह इमारत उस दिन से खाली पड़ी है और उसमें जंगली जानवर रहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि कार्यवाही समाप्त होने के बाद हर एक सदस्य को अधिकार होना चाहिये कि वह कार्यवाही पढ़कर उस पर हस्ताक्षर किया करें।

धारा ८६ की उपधारा (१) में कहा गया है कि ३ सदस्य परिषद् के पदेन सदस्यों में से कलेक्टर द्वारा तदर्थ नाम निर्दिष्ट किये जायंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात का उत्तर दें कि जबकि वह एक चुनी हुई संस्था (बाडी) है उसमें कलेक्टर को यह अधिकार क्यों दिया गया है कि कार्य-समिति जैसी एक बड़ी जिम्मेदार कमेटी में वह तीन सदस्यों को पदेन सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट करे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य बैठ जायं। इस समय सदन में कोरम नहीं है। कोरम पूरा हो जाय तब अपना भाषण जारी करें।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रघुवीरसिंह--मैं यह कह रहा था कि उस कार्यकारणी समिति के जितने भी सदस्य हों वे सभी चुने हुये होने चाहिये। कलेक्टर द्वारा ३ नाम निर्दिष्ट की बात नहीं रखनी चाहिये। इसी प्रकार धारा ८७ की उपधारा (१) में फाइनेंस कमेटी में दो सदस्य कलेक्टर द्वारा रखने की बात है। मैं इसका भी विरोध करता हूं। ये दोनों कमेटियां बड़ी ही जिम्मेदार समितियां हैं और मैं चाहता हूं कि उनमें चुने हुये लोगों में से ही रखे जावें।

हमारे मंत्री महोदय ने इस विधेयक में ऐसा भी प्राविधान किया है कि जिला परिषद् के सदस्यों को कोई दैनिक या यात्रिक भत्ता नहीं दिया जायगा। जब हमारे इस सदन के सदस्य इस बात का हक़ रखते हैं कि घर से पैर उठाते ही यहां तक का यात्रा भत्ता लेते हैं तो दूसरों के लिये हम न देने का कानून बनाने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ३, ३ और ४, ४ मीटिंगों में लगातार कोरम न होने से कोई कार्य नहीं हो पाता है। इसलिये कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये उन्हें यात्रिक भत्ता अवश्य मिलना चाहिये।

इसमें दिया हुआ है कि अध्यक्ष, जिला परिषद् को ५० रुपये से ऊपर पाने वाले किसी कर्मचारी को नियुक्ति करने, तरक्की देने या सस्पेंड करने का हक़ नहीं है जब कि आजकल कोई ही ५० रुपये से कम वेतन पाने वाला होगा, जब तक अध्यक्ष को पूरे अधिकार नहीं दिये जावेंगे तब तक कार्य अच्छी तरह से नहीं चल सकता। इसलिये मेरा स्पष्ट मत है कि उसे अपने काम करने के लिये पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दिया जाय और पूरे अधिकार दिये जावें।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृषि, सहकारिता, नियोजन और शिक्षा संस्थायें जिला बोर्डों में निहित की जावें और सारे खर्चे से उन्हें परिपूरित किया जाय। इससे ८५ फीसदी जनता जो देहात में रहती है अपना विकास का कार्य करने में ठीक से अग्रसर हो सकेगी।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--उपाध्यक्ष महोदय, जो जिला परिषद् विधेयक आज सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है इसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से की जा रही थी। जिला बोर्ड का यूनियन बना हुआ था, उसने वर्षों से अपनी मांगें, अपनी सारी कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट और उसकी कार्य-प्रणाली की ओर आकृष्ट किया था। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चला करते थे उनमें बहुत सारी कमियां थीं। बोर्ड की अधिकार पुस्तिका में, मैनुअल में, बहुत कुछ लिख कर दिया गया था लेकिन उन पर जिलाधीश को इतने अधिक अधिकार दे दिये गये थे कि वह सारे अधिकारों के रहते हुये भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बिल्कुल बेकार सा कर दिया करता था। मैं संयोगवश ४ वर्षों तक जिला बोर्ड का अध्यक्ष रहा और मैंने देखा कि प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार जो स्थान अध्यक्ष का होना चाहिये वह नहीं था। कभी-कभी केवल सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण इतनी ग्लानि हुआ करती थी कि इच्छा होती थी कि उस पद को त्याग दिया जाय। उस स्थान की महत्ता व मर्यादा के अनुसार कानून नहीं था। एक विधायक का क्षेत्र एक लाख या डेढ़ लाख की आबादी पर होता है लेकिन वर्तमान चालू ऐक्ट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष का स्थान बालिग मतों से तमाम जिले से चुनाव हो कर हुआ करता था। इतने बड़े जनप्रतिनिधि को इस तरह से रखा जाना बड़ा ही अनुचित प्रतीत होता था। इन सारी चीजों को देखकर ही जिला बोर्डों का यूनियन बनाया गया था और उसने बहुत सारे सुझाव सरकार के सामने उपस्थित किये।

इस विधेयक को लाने से पहले, मैं समझता हूं, उन तमाम सुझावों पर अवश्य गौर किया गया होगा। विधेयक को पढ़ने से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उन मांगों पर ध्यान तो दिया गया है लेकिन उनको कार्यान्वित करने के लिये जो नियम बनाये गये हैं वे पूरी तरह से प्रभावकर नहीं हैं। जिला बोर्डों की कमियों को दूर करने की चेष्टा अवश्य की गई है। जिला बोर्डों की पावर्स और फंक्शंस को विस्तृत करने का काफी प्रयास अवश्य किया गया है लेकिन जहां पर अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों का संबंध है, वहां ऐसा लगता है कि विधेयक के बनाने वालों ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया है। जनप्रतिनिधियों को जितना अधिकार होना

[श्री रामलक्षण तिवारी]

चाहिये उतना न दे कर बहुत सारे अधिकारों को कार्यवाहक, जो बनाया गया है, उसके साथ जोड़ दिया गया है। जितने अधिकार अध्यक्ष को रखे गये हैं वे सभी ऐसे शब्दों में रखे गये हैं कि वे निरर्थक हो गये हैं। पहले अध्यक्ष ४० रुपये से ऊपर के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करता था, केवल सेक्रेटरी, इंजीनियर और एकाउन्टेंट की नियुक्ति जिला परिषद् द्वारा होती थी और बाकी सारे पद ४० रुपये से ऊपर के चेयरमैन या अध्यक्ष के द्वारा होते थे। लेकिन जो नया विधान बना हुआ है उसमें हमने देखा और मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया कि ५० रुपये से नीचे की सारी नियुक्तियों का अधिकार डिपार्टमेंटल हेड को दिया गया है और ऊपर की नियुक्तियों के लिये ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अनुसार अध्यक्ष के हाथ में कुछ भी अधिकार नहीं रह जाते हैं। मंत्री महोदय ने बतलाया कि मेरा मतलब ५० रुपये तक रखने का यह है कि मैं समझता हूं कि छोटे कर्मचारी, जैसे चपरासी आदि हैं, ये हेड आफ दि डिपार्टमेंट के द्वारा ही नियुक्त किये जाने चाहिये। अगर उनका यह मतलब है तब तो ठीक है क्योंकि उसके अनुसार हेड आफ दि डिपार्टमेंट छोटे कर्मचारी को अपनी इच्छा के अनुसार नियुक्त करके उनसे काम ले सकेगा। लेकिन शेष नियुक्तियों में भी पूरा-पूरा अधिकार अध्यक्ष को होना चाहिये।

सबसे बड़ी दिक्कत जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्य-संचालन में पड़ती थी वह शिक्षा विभाग की थी। शिक्षा विभाग का नियंत्रण जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा सहायक निरीक्षक के द्वारा रहता था। जिला बोर्ड के अध्यक्ष को केवल यह अधिकार होता था कि अगर जिला विद्यालय निरीक्षक ठीक ढंग से काम न करे तो वह उसके विषय में रिपोट सरकार को कर सकता था। सरकार अगर उसकी बातों को उचित समझती तो कार्यवाही करती वरना नहीं करती। नतीजा यह होता था कि विद्यालयों के निरीक्षण का काम ढीला ढाला चलता था और शिक्षा में बहुत बाधायें होती थीं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। लेकिन इसको देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इस पद को भी नौकरशाही से हटा कर जनप्रतिनिधियों के अधीन कर दिया जाय तो श्रेयस्कर हो सकता है। अगर जिला परिषद् के अध्यक्ष को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया जायगा तो बहुत अच्छा होगा। हम लोगों की बराबर यह मांग रही थी कि सेक्रेटरी आदि के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार अध्यक्ष को होना चाहिये। अगर सेक्रेटरी कोई गड़बड़ी करे, अथवा इंजीनियर कोई गड़बड़ी का कार्य करे तो न तो उसके विरुद्ध कोई ऐक्शन लेने का अधिकार पहले था और न अब है।

मैं समझता हूं कि जिला बोर्डों में जितनी खामी होती है वह क्लर्कों के द्वारा नहीं होती, वह सेक्रेटरी और इंजीनियर के द्वारा होती है। पी० डब्लू० डी० के जरिये काम इंजीनियर की मातहती में होता है। अगर चेयरमैन आज इंजीनियर को दंडित करना चाहे तो उसके सामने बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, अगर सेक्रेटरी को दंडित करना चाहे तो काम में बड़ी भारी दिक्कत उत्पन्न हो जाने की संभावना होती है। इंजीनियर को मैंने एक बार मुअत्तल कर दिया। उन्होंने नोटिस दे दिया कि साहब, आपको मुझे मुअत्तल करने का अधिकार नहीं है नतीजा यह हुआ कि मुझे विवश होकर उनके मामले को जल्द से जल्द फैसल करना पड़ा। इस तरीके की खामियां देखते हुये भी, गलतियां देखते हुये भी अधिकार न रहने के कारण इन लोगों पर अनुशासन ठीक ढंग से लागू रखना मुश्किल हो जाया करता था। और मैं तो इस मत का हूं कि जितनी भी खामियां हों, किसी भी तरह के जिला बोर्ड्स हों, अगर वहां के इंजीनियर और सेक्रेटरी ठीक रहे हैं तो वह जिला बोर्ड बिल्कुल ठीक रहा। अध्यक्ष कितना भी खराब हो, ढीला से ढीला हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर जिला बोर्ड के ये दो कर्मचारी ठीक रहते हैं तो सारा काम ठीक रहता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखने की बिल बनाते समय जरूरत है। अध्यक्ष को इतना अधिकार दिया जाय कि वहां के जो कार्यवाहक लोग हैं, चाहे वे सेक्रेटरी हों, चाहे जो भी हों, उनको वह दंडित कर सके और उनके खिलाफ भी उसी तरह अनुशासन

की कार्यवाही की जा सके अध्यक्ष के द्वारा जिस तरह और कर्मचारियों के खिलाफ करने के वे अधिकारी हैं। इस तरह के इन कर्मचारियों को जिनको डिप्टी इंस्पेक्टर या सेक्रेटरी दंडित करते हैं उनकी अपील अध्यक्ष सुना करता है, और अध्यक्ष के फैसले की अपील कमिश्नर सुना करता है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इंजीनियर्स, सेक्रेटरीज या जो कार्यवाहक बनायें जायेंगे, इन लोगों को अगर अध्यक्ष दंडित करे तो उनको यह अधिकार दिया जाय कि वे सरकार में आकर अपील करें या जहां तक उचित रास्ता उनकी समझ में आवे, वे अपील कर सकेंगे। यह बहुत बड़ी कमी हमारे विधान में रही है और हम आशा करते थे कि नया विधान बनाते समय इन खामियों को दूर किया जायगा।

एक और बड़ी भारी दिक्कत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्यसंचालन में यह थी कि सड़क का इनक्रोचमेंट हुआ, लोगों ने रिपोर्टें दीं, रिपोर्ट देने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कोई भी अधिकार नहीं था कि वह सड़क के इनक्रोचमेंट को हटवा सके। उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करनी पड़ती थी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां से वह एस० डी० एम० के यहां जाती थी और एस० डी० एम० अपनी कार्यवाही करने में सालों गुजार देता था। नतीजा यह होता था कि सड़कों पर घर बनाने वाले अपने घर बनाते चले जाते थे, सड़क काट कर लोग अपने खेत बनाते चले जाते थे और उनकी रोकथाम नहीं हो पाती थी। गांव के रास्ते को बन्द कर लेना, रास्ते को घेर लेना, गांवों में गन्दगी फैलाना, इन सब चीजों को रोकने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पावर देना चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ऐसी कोई पावर नहीं दी गयी है कि वह समरिली (Summarily) किसी को दंडित करे या किसी तरह की कार्यवाही कर सके जिससे बुराइयों की तत्काल रोकथाम हो जाय। उन बुराइयों के खिलाफ जिस तरह कि वादी प्रतिवादी देहात के रहने वाले लोग मुकदमें पेश करते हैं, अदालतों में जाकर गवाहियां होती हैं, मुकदमें चलते हैं, वर्षों लगते हैं, रुपये की बर्बादी होती है, उसी तरह से जिला बोर्ड को भी अपनी ओर से कुछ कर्मचारियों को मुकद्दमा लड़ने के लिये रखना पड़ता था। उनको कुछ वकील भी रखने पड़ते थे और उसी तरह से उसकी तारीख पर उनको भी जाकर हाजिर होना पड़ता था, जिस तरह से देहात के रहने वाले किसी व्यक्ति को हाजिर होना पड़ता है और मुकद्दमा लड़ना पड़ता है। तो इन खामियों को दूर करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि स्वायत्त संस्थाओं को सारे अधिकार दे दिये जायं जिससे वे इनक्रोचमेंट वगैरह को ठीक करा सकें और जिससे वे गांवों में गन्दगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें।

इसी तरह से नार्दर्न इण्डिया फेरीज ऐक्ट के अनुसार जिला बोर्ड्स को घाट चलाने के अधिकार दिये गये हैं। उन घाटों की भी कुछ परेशानियां आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। घाट चलाये जाते हैं, तमाम घाटों का रेट दो पैसे निश्चित है लेकिन कहीं पर भी २ आने से कम नहीं लिये जाते। चेयरमैन को अभी तक यह भी अधिकार नहीं था कि अगर वह जानता है कि कोई घाटवाला अधिक पैसा लेता है तो उस के खिलाफ कार्यवाही करके सजा दे सके। उसको जिला मैजिस्ट्रेट को लिखना होगा कि फलां जगह दो पैसे की जगह पर २ आने लिये जाते हैं तब वहां से कार्यवाही बरसों बाद होती है। इसलिये हमारे नये नियम इस प्रकार के बनने चाहिये जिससे घाट संचालकों के खिलाफ कार्यवाही हो सके और उनकी नावों के बारे में नियंत्रण रहे। किस बोट को चलना चाहिये, बरसात में कैसी बोट हो, कितना पानी हो तो कितना लोड होना चाहिये? लोड लाइन का नियम तो है लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई चेक जिला बोर्ड का अभी तक उन पर नहीं था, सजा देने का अधिकार उनको नहीं था। इस तरह से यह कानून केवल कानून के रूप में ही रह जाता है और उस पर अमल नहीं हो पाता। इसलिये जनता को आवागमन की सुविधा देने के लिये यह आवश्यक है कि ठेका आदि कैंसिल करने का अधिकार परिषदों को दिया जाय ताकि फार्मेलिटीज आदि पूरा करने में समय न लगे।

एक और बड़ा अहम सवाल है, और वह यह है कि बहुत से लोगों का कहना है कि विधान सभा के सदस्यों को जिला परिषदों में सदस्य होना चाहिये। मेरा मत यह है कि विधान सभा के सदस्य जिस काम के लिये चुने गये हैं उन्हें अपने ही क्षेत्र में और दायरे में काम करना चाहिये। जो क्षेत्र

[श्री रामलक्षण तिवारी]

दूसरों का है और जहां पर चुनाव का भी हम एक दूसरा तरीका अपनाने जा रहे हैं, जहां पर दूसरे तरह के मेम्बर्स को खड़े होने का अधिकार है और एलेक्ट होकर आने का तरीका है वहां हमें इस तर्क से जाने का प्रयास न करना चाहिये कि हम विधान सभा के सदस्य हैं, यह अनुचित है। यह नियम और सिद्धान्त के खिलाफ तो है ही और साथ ही अव्यावहारिक भी है । इसके माने यह हैं कि हम अपना काम न करके जिला परिषद में सदस्य बनें और वहां बैठ कर वहां के काम में दखल दें और इस नाते जो जिला परिषदों में कमी है उसके लिये भी गालियां सुनें। सरकार के कामों की खामियों पर भी गालियां सुनें और परिषदों के काम के लिये भी सुनें । वैसे ही बोर्ड्स की स्थिति दयनीय रही है, किसी बोर्ड के बजट बैलेन्सड् नहीं होते, सरकार के आदेश जाते हैं कि बजट बैलेन्स्ड किये जायं लेकिन सरकार भी यह सुझाव नहीं देती कि बजट बैलेंस करने के लिये कौन से साधन लाये जायं, आर्थिक दशा ठीक करने के लिये क्या हो ताकि कमिश्नर या जिलाधीश उसको एप्रूव कर सकें ।

ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जिला बोर्ड की सड़कें हमेशा खराब रहती हैं और लोग मेम्बर्स को कोसते हैं कि वह खा जाते हैं। हमारे यहां जिला बोर्ड की सड़कें अपने आप ही बोल देती हैं कि हम जिला बोर्ड की सड़क हैं, पी० डब्लू० डी० की सड़क आप बोल देती हैं कि हम यू० पी० सरकार की सड़कें हैं और इसी तरह से केन्द्रीय सरकार की सड़क आप बोल देती हैं कि हम केन्द्र की सड़कें हैं । जिला बोर्ड की सड़कों पर लारियों में जैसे ही लोग बैठते हैं वैसे ही कहने लगते हैं कि सारा रुपया जिला बोर्ड वाले खा जाते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि इन जिला बोर्डों के पास कितना रुपया रहता है और क्यों सड़कें नहीं बनतीं । इसलिये एक गाली तो हम लोग यहां के काम के लिये खाते हैं और अगर वहां के भी सदस्य हम लोग बन जायं तो और वहां के लिये भी गाली खायं । और फिर जाकर उधर की भी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हो रहे हैं तो होइये । जो आर्थिक स्थिति है वहां की है वह तो ठीक नहीं कर सकते और गाली आपको अवश्य ही मिलेंगी ....

श्री उपाध्यक्ष—(श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट से) माननीय विष्ट जी, यह तरीका खड़े होने का ठीक नहीं है ।

श्री रामलक्षण तिवारी—अभी तक नियोजन समितियों के हम सदस्य हुआ करते थे । वह एक ऐसी संस्था थी जो सरकार द्वारा परिचालित थी जिसको सरकार द्वारा रुपया मिलता था। जिसकी शक्ल बिलकुल एडवाइजरी थी और जो राय आप देते थे उसके अनुसार सरकारी कर्मचारी काम करने की कोशिश किया करते थे । उसमें जिला बोर्डों की बड़ी कठिनाई हुआ करती थी। मान लीजिये जिला बोर्ड को स्कूल के लिये रुपया चाहिये । तो जिला बोर्ड की प्रार्थना पर उसको रुपया देने में असमर्थता प्रकट कर दिया करते थे । जिला बोर्ड और नियोजन समिति दोनों को मिला देने से उसमें कुछ दिक्कतें कम हुईं और लोगों को सहूलियत मिली । जो जिला बोर्ड की जिम्मेदारी थी उसमें भी नियोजन के नियम लगाये जाने लगे। नियोजन समिति के सदस्यों को भी यह परिस्थिति मालूम होने लगी कि जिला बोर्ड की आर्थिक स्थिति क्या है और जिला बोर्ड के जो कार्य चलाये जा रहे हैं उनमें क्या दिक्कत है । यह सारी दिक्कतें दूर हुईं और एक बहुत बड़ी सहायता जिला बोर्ड को हुई । अब अगर जिला परिषद् के साथ उस संस्था को मिला दिया जाता है तो उनको यह स्थायी रूप से सहायता मिलती रहेगी। जिला बोर्ड में नियोजन समिति के मिलाये जाने के ही कारण जितने भी जिले के अधिकारी हैं वह सब लोग पदेन सदस्य होकर वहां बैठते थे और जितने भी एम० एल० एज० थे वह भी वहां पर सदस्य होकर बैठते थे । पहले हमको कोई मौका नहीं मिलता था जहां पर बैठकर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की खामियों को पूछ सकें । हमको मौका नहीं था कि पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों से पूछ सकें कि फलां सड़क में ऐसा क्यों हुआ ? ऐसी गलती क्यों हुई ? अब यह परिस्थिति हो गई है कि जितने भी जिले के पदाधिकारी हैं सब अपने-अपने विभाग की जिम्मेदारी के साथ वहां पर बैठते हैं और एक-एक सदस्य उनसे बार-बार सवाल करके उनको परेशान कर देता है और उनको भी अब डर

कर काम करना पड़ता है कि हमें जिला-परिषद् में जाकर अपने काम के लिये जवाब देना पड़ेगा । गलत काम करेंगे तो उसका कुछ न कुछ जस्टीफिकेशन देना पड़ेगा । ऐसा नहीं है कि जिले क कर्मचारी जाकर के हमारे जिला-परिषद् के सदस्यों पर हावी हो जायं बल्कि जिला-परिषद् के सदस्य उनको ऐसा कर देते हैं कि बहुत से अधिकारी, ऐसा बतलाते हैं, कि मीटिंग में जाना नहीं चाहते हैं । अगर कोई डिसीप्लिनरी कार्यवाही का डर न होता तो जरूर मीटिंग में जाना छोड़ देते । पार्लियामेंन्टरी पद्धति से बोलने के हम आदी तो नहीं हैं । देहात से आये हुये हमारे लोग सीधी बात करना जानते हैं । नतीजा यह होता है कि जिले के कर्मचारियों की तनिक नहीं चल पाती और उन लोगों को पचासों तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है । जहां के लोग जरूरत से ज्यादा शिष्ट होंगे वहां पर कर्मचारियों की चल सकती है या जो लोग उनके कामों की निगरानी नहीं करते होंगे, सवाल जवाब नहीं करते होंगे, उनके कामों की आलोचना नहीं करते होंगे, वहां जरूर दिक्कत पड़ती होगी । तो यह तो हमारी खामी हुई । यह कहना कि अधिकारी के जाने से हमारे ऊपर कोई रोब गालिब हो गया है यह बहुत ही नीचे दर्जे की बात है और प्रजातंत्र की हिमायत करने वाले जब हम गांव-गांव के एक-एक आदमी को अधिकार दिलाने की बात करते हैं, विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो यह कहने का हमें कोई भी हक नहीं है कि हमारे वे जनप्रतिनिधि ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कोई कर्मचारी दबा सकता है । यह तो हमारा और आपका कर्त्तव्य है कि हम उसको इतना सजग बना दें कि वह अपने कर्त्तव्यों के लिये किसी भी समाज में जाय तो वहां खड़े हो कर अपनी बातों को रख सके ।

एक भाई ने कहा पंचायतों के द्वारा चुने हुये लोग जो आते हैं उनको पंचायत का सेक्रेटरी बैठे-बैठे चुनवा देता है कोआपरेटिव के जो प्रतिनिधि आते हैं उनको कोआपरेटिव सुपरवाइजर बैठे-बैठे चुनवा देता है । मैं आपको बताऊं एक युग था जब इन संस्थाओं को कोई अधिकार नहीं थे और इसीलिये कोई दिलचस्पी नहीं लेता था । लेकिन जब अधिकार मिल रहे हैं और जिला-परिषद् का मेम्बर होगा तो पहले ऐसी बात नहीं रहेगी कि किसी के दबाव से चुना जाय । वहां सभी लोग सजग हो जायेंगे, और चुनाव लड़ेंगे और वह एक गांव सभा के द्वारा तो क्षेत्र नहीं बनाया गया है, हमारे ख्याल से विधान सभा के क्षेत्र का एक, एक क्षेत्र मान कर वहां के चुनाव होने की बात है, जहां तक मुझे याद है । फिर भी मैं समझता हूं जितना वृहद् क्षेत्र होगा उतना ही अच्छा है ।

आज हमारे देश में जनतंत्र अवश्य स्थापित हो गया है और जितने लोग हैं वे हमसे अधिक विश्वास रखते हैं, लेकिन हम लोग जो जनतंत्र के संचालक हैं उनके पास जा करके अपने वोट के लिये गंदी बातों का प्रचार करते हैं । हम सिद्धान्तों का प्रचार नहीं करते, अपना मैनीफेस्टो लेकर उनके पास नहीं जाते, बल्कि बहुत नीची भावनाओं के आधार पर उनसे वोट मांगते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि प्रजातंत्र के लिये जो सामयिक विचार होना चाहिये जिसके आधार पर मतदान हमको मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाता और संकीर्णता बढ़ती जाती है । तो जितना ही छोटा चुनाव क्षेत्र होता है उतनी ही अधिक उसमें संकीर्णता बढ़ती है और जितना ही विशाल क्षेत्र होगा उतनी ही कम संकीर्णता होगी । इस वजह से मैं तो इस मत का हूं कि बालिग मताधिकार के द्वारा बड़े-बड़े क्षेत्र बना करके प्रतिनिधियों को जिला-परिषद् के लिये चुनना चाहिये । और जिला बोर्ड का जो अध्यक्ष हो वह भी बालिग मताधिकार के आधार पर चुना जाना चाहिये, जैसा पहले होता था । इसमें कुछ कठिनाइयां पड़ीं, एक अध्यक्ष हो जाता था एक ग्रुप का और सदस्य होते थे दूसरे ग्रुप के जिसके कारण रोजमर्रा के काम में दिक्कत होती थी, म्युनिसिपैलिटी में भी यह हुआ था और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी, लेकिन उन व्यवहारिक कठिनाइयों को देख करके सरकार को पुनः म्युनिसिपैलिटी में पीछे हटना पड़ा और मेम्बरों के द्वारा चुनाव कराने के सिद्धान्त को पुनः स्वीकार किया गया था । लेकिन मैं समझता हूं चाहे कितनी भी कठिनाइयां आवें जिस सिद्धान्त को हम अपना लें उस सिद्धान्त पर चलने से हमारा लाभ ही होगा । बहुत से मित्रों ने यह कहा था कि पंचायत के कर्मचारी सरकार के कर्मचारी होते हैं और वे अपने कर्मचारियों के द्वारा अपने आदमियों को चुनवा कर बहुमत करवा लेंगे, तो सरकार डिसेंट्रलाइजेशन के सिद्धान्त को गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है ताकि उस

[श्री रामलक्षण तिवारी]

बहुमत की हुकुमत बनी रहे । तो जो भाई इस तरह की बात करते हैं पता नहीं उनको मालूम है या नहीं सरकार के कर्मचारी ज्यादातर उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो कि रोज उनकी निन्दा किया करते हैं, रोज उन्हें गालियां दिया करते हैं और जो उनसे कुछ नहीं बोलते उनसे वे भय नहीं खाते । मैं खुद इलेक्शन में खड़ा हुआ था । मुझे मालूम है कि हमारे क्षेत्र के तमाम लेखपाल और कानूनगो तक मेरी मुखालिफत करते फिर रहे थे । मुझसे यह भी कहा गया कि आप ऐप्लिकेशन दीजिये लेकिन हमने कहा कि भाई जिस तरह से एक पार्टी मुखालिफत कर रही है उसी तरह से समझ लो कि वे भी वहां के नागरिक हैं और वे भी एक पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं, या न सम्बन्ध रखते हों तो सहानुभूति रखते हैं, तो उनको भी हक है कि वे अपने विचारों का प्रचार करें । लेकिन लेखपाल की हैसियत से जिस जगह वे रहते हैं उस जगह पर उनका कुछ प्रभाव है और उनके डर से लोग अपना वोट इधर-उधर कर सकते हैं । मैंने बुला कर एक लेखपाल को समझाया तो उसने पी० एस० पी० के प्लेटफार्म से लेक्चर दिलाना शुरू कर दिया कि ये धमकियां दी जाती हैं कि हमको वोट नहीं दिलाते हो । मैंने कहा कि वोट के चक्कर में पड़ कर तुम गड़बड़ी करा रहे हो, तुमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिये । तुम ऐसा कर रहे हो तो हमको हक है कि मुखालिफत करें लेकिन हम मुखालिफत नहीं करते । न हमने ऐप्लिकेशन दी है, न कोई कार्यवाही की है । हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो सरकारी कर्मचारी हो, इलेक्शन में मत बोलो । ये सारी चीजें होती हैं ।

यह कहना कि लेखपाल या पंचायत सेक्रेटरी जो चाहेंगे कर देंगे यह तो हिमाकत की बात है । सारी जनता मूर्ख है या गवार है, उसको अपने कर्त्तव्य का कुछ पता नहीं, लेखपाल जो चाहेगा कर देगा यह कहना गलत है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी के ही इंट्रेस्ट में यही है कि आप छोटे क्षेत्र मत रखिये, बड़े से बड़ा क्षेत्र रखिये, वही ज्यादा श्रेयस्कर होगा । मैं यह भी चाहूंगा कि जो चुनाव का सिस्टम रखा गया है उसमें जहां तक हो सके डायरेक्ट चुनाव का ही सिस्टम रखा जाय, इनडायरेक्ट चुनाव ठीक नहीं होगा। इससे लोगों में असंतोष होगा और इससे कोई लाभ भी नहीं हो सकता ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं । जिला बोर्ड्स के अधीन स्वास्थ्य विभाग तो था लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन रहते हैं और वे न तो सरकार के डायरेक्ट अधीन रह पाते थे और न जिला बोर्ड के अधीन रह पाते थे । इसलिये जितने स्वास्थ्य संबंधी महकमे हैं उनको जिला-परिषदों के अधीन सीधा कर देना चाहिए और यह योजना इस बिल में आना चाहिये कि जो-जो संस्थायें जिलों में कार्य कर रही हैं उनके ऊपर नियंत्रण जिला-परिषदों का होना चाहिये । जिलों में सब से बड़े अधिकारी जिलाधीश होते हैं, सुपरिंटेन्डेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, चिकित्सा के अधिकारी और स्वास्थ्य के अधिकारी होते हैं । जिला-परिषदों में जब जनप्रतिनिधि की हैसियत से अध्यक्ष जो गैर-सरकारी होगा बैठेगा तो जिलाधीशों को इतने अधिकार नहीं होने चाहिये कि जिला-परिषद् के किये हुए कार्य को वे रद्द कर दें और वह किसी मौके पर ऐसी कार्यवाही कर बैठें जिसमें जिला बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति न हो । या जिला-परिषद् के लोगों की स्वीकृति के बिना भी कोई ऐसा कार्य कर सकें जैसा विधान उसमें रखा गया है कि एमर्जेन्सी की हालत में जिलाधीश को यह अख्तियार होगा कि वह जिला-परिषद् को कहे कि तुम अमुक काम करो और अगर वह उसको न करे तो वह खुद उस काम को करा देगा और जिला-परिषद् को बाध्य करेगा कि उस काम में जो खर्च हुआ है उसका पेमेंट करे । यह चीज प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है । कोई भी जिला अब सरकार के हेडक्वार्टर से दूर नहीं रह गया है कि वहां की रोज-रोज की हालत से सरकार अवगत न रह सके । सरकार को यह अधिकार अपने हाथ में रखना चाहिये, न कि एक सरकारी नौकर को यह अधिकार देना चाहिये कि वह जनप्रतिनिधि को किसी कार्य को करने के लिये विवश कर सके । आज वायरलेस है, टेलीफोन है, कोई भी जिला लखनऊ से दूर नहीं है । तो लखनऊ अपने हाथ में यह ताकत रखे तो ठीक है, लेकिन

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह ताकत देना ठीक नहीं कहा जा सकता। रोज-रोज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के इंटरफियरेन्स की जितनी चीजें हैं उनको हटा देने की आवश्यकता है। हमारे यहां जिला-परिषद् और कलेक्टरी कचहरी से आज से बीसों वर्ष पहले से एक संघर्ष चला करता था। कलेक्टरी कचहरी में मिठाई और दूसरी खाने पीने की चीजों की दुकानें रहती थीं। वे दुकानें नीलाम होती थीं जिससे तहसील कोर्ट और कलेक्टरी को लाभ पहुंचता था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सामने भी कुछ दुकानें लगा दी गयीं। जो भी कलेक्टर वहां गया उसने इस बात की कोशिश की कि किसी तरह से जिला बोर्ड की वे दुकानें हटा दी जायं जिससे कलेक्टरी की दुकानों को काफी लाभ हो। एक बार जब कमिश्नर गये तो उन्होंने मुझ से बुला कर कहा कि आप इन दुकानों को हटवा दीजिये। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने मुआयने में लिख दिया कि दुकानें बहुत गन्दी हैं, इनको हटवा देना चाहिये। जब मैंने कहा कि मैं इस मुआयने के मुताबिक आचरण करने को तैयार नहीं हूं, दुकानें गन्दी नहीं हैं, तब पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर को भेजा गया और यह कहा गया कि ये दुकानें सड़क के अन्दर हैं और जहां पत्थर था वहां से हटा कर बीच में गड़वा दिया गया। हमने पी० डब्लू० इंजीनियर को नोटिस दिया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आगे बैठने वाले क्या बोलना भूल गये या सब गायब हो गये जो हमारे माननीय सदस्य के जिम्मे ही बोलना आ गया है। आप समय निर्धारित कीजिये। बहुत से भाई नहीं बोले हैं। उनको भी समय मिलना चाहिये। क्या आज नेताओं का बिल्कुल ही मामला खत्म हो गया। बेचारों को बोलते-बोलते बहुत देर हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष—पुजारी जी को समय मिलेगा।

श्री रामलक्षण तिवारी—तो पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर को जब नोटिस दिया गया तो वह आये और हमारे इंजीनियर के साथ नापा तो पत्थर जहां पहले लगे थे वहीं नापने से आया। इसके कहने का अभिप्राय केवल यह है कि जिले में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जाते हैं उनको जो काम अच्छा लगता है उसके अनुसार वे चाहते हैं कि जिला परिषद् के लोग करें। म्युनिसिपैलिटीज के साथ भी उनका यह व्यवहार होता है और जहां कोई स्वाभिमानी व्यक्ति इन पदों पर बैठ जाता है उससे खूब संघर्ष चलता है। तो मैं यह चाहूंगा कि जब अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और जन-प्रतिनिधियों को अधिकार दिये जा रहे हैं तो जिला अंतरिम परिषदों को अधिकार दिये जायं और यदि नियंत्रण रखना आवश्यक समझा जाता है तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का नियंत्रण होना चाहिये। किसी सरकारी कर्मचारी का नियंत्रण नहीं होना चाहिये। सरकार की बात बरदाश्त की जा सकती है लेकिन किसी कर्मचारी की बात नहीं की जा सकती है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन भावनाओं का खयाल करेंगे। जो सिलेक्ट कमेटी बनेगी उसमें इस बिल की एक-एक धारा के ऊपर विचार होगा क्योंकि इसमें बहुत सी धारायें हैं और ऐसे-ऐसे शब्द रखे गये हैं और इस तरह से सही चीज को लपेट दिया गया है कि जो मंत्री जी का मंशा है वह भी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिये इसके हर एक आइटम पर अच्छी तरह से सिलेक्ट कमेटी में विचार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में बिल का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष, जी, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिला अन्तरिम परिषद् के संबंध में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो प्रस्ताव विरोधी पार्टी की ओर से रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं आलोचना इसलिये नहीं करता हूं कि सरकार आज की बारूद की ढेरी पर बैठी है और जल्दी से जल्दी विस्फोट होने जा रहा है। मैं इसलिये चेतावनी की घंटी बजा रहा हूं हमारी जिला-परिषद् गांवों के ऊपर आधारित हैं और जब तक हम ग्रामों का अच्छी तरह से परिगठन नहीं करेंगे तब तक कोई रास्ता आगे

[श्री बंशीधर शुक्ल]

नहीं चल सकती है। आज देश की गति मंद हो रही है, रास्ता मिलता नहीं है, कोई कल्पनात्मक ढंग से कोई चीज की जाती है, तो इस तरह से देश का कल्याण नहीं हो सकता है।

हमारा कहना यह है कि अब तक के जो ग्राम थे वह जमींदारों के बनाये हुए थे और जितनी जगह जैसी जमीन उनके पास थी उसके अनुसार उन्होंने गांवों को बना दिया। अब गवर्नमेंट को उनका नक्शा बदलना होगा और आबोहवा तथा यातायात के खयाल से गांवों को बनाना होगा, फिर तहसीलों को और फिर जिले बनाने होंगे, तब आप आगे चल सकते हैं अन्यथा नहीं। यह हमारा विचार है।

"हमारे अहद पैमां को नहीं मानोगे तुम हरगिज,
मगर यह पैगामें वतन है, इसको ऐ मेहरबां कहना।"

जैसे गांव आप देख रहे हैं वहां किसान मजदूर रहते हैं। वह सरकार का कोई सहारा नहीं करते लेकिन डरते जरूर हैं। उनके लिये तो यह है कि:—

"धरती खोदे नाज मिले, औ कुइयां खोदे पानी।
हरहा पाले दूध मिले, सपना से मिले जवानी॥
लकड़ी पेरे शकर मिठाई, दाना पेरे तेल।
मिट्टी पेरे नमक मिले, उसकिन ते अतर फुलेल॥
हिया जमाना चूसे आवे, यह रस चूसी दुनियां।
हिया कहां उइ कोठी बंगला, यह किसान की दुनियां॥"

तो गांवों की दुनिया कितनी छोटी होती है।

"फूस पताई के कुछ छप्पर, माटी केर घरौंदा,
पिछवारे, लहराइ तिपतिया, बीच बीच कुकरौंधा,
दहिनी ओर महतों की बखरी, जिनके बड़े जबाना,
बाईं ओर मइंकिनया घोबिन, जेहि के घर ना दाना,
लगी दुवारे घनी पकरिया, बिगहन छाहीं फैले,
चिमगादर उल्लू बिसखोपरा, जेहि पर बसें चुरैले,
गांव अरे मां एकुइ बढ़ई, ना लोहार ना धुनिया,
दसें पांच घर जप्पे थप्पे, यह किसान की दुनियां।"

इस दुनिया को जरा संगठित कीजिये। एक हजार एकड़ में एक गांव बनाइये और उसमें कम से कम १०० परिवार बसें। उनके चारों ओर यातायात के लिये रास्ता बनाइये। तीन गावों की एक पंचायत बनाइये। कोई जरूरत नहीं है कि गांव-गांव में पंचायतें बनायी जायं। इससे काम नहीं होता है। तीन नम्बरी गांवों में एक पंचायत हो और बीच में जो तमाम अफसर रखते चले जा रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, कानूनगो, कामदार, ग्राम सेवक, नायब तहसीलदार, कुड़कमीन, पतरौल, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० सुपरवाइजर, इन सब को हटाकर तीनों गांव का एक सेक्रेटरी रखिये। कोआपरेटिव वगैरह सब को हटा दीजिये। चार-पांच कागज गांव में रहते हैं। एक ही सेक्रेटरी रख सकता है। खसरा, खतौनी, फैमिली रजिस्टर और जन्म मृत्यु का रजिस्टर। गन्ने का रजिस्टर कामदार के पास रहता है और सिंचाई का रजिस्टर पतरौल के पास रहता है। मेरा कहना यह है कि यह व्यर्थ का खर्चा जितना कम करेंगे उतना ही गांवों को ज्यादा सुख मिलगा। जब गांवों का निर्माण होगा तो सरकार भी बन सकती है अन्यथा आपकी सरकार फेल है और इसी तरह से फेल होती चली जायेगी। गांव के आधार पर अगर सरकार नहीं चलती है तो जरूर फेल हो जायगी। इसलिए मेरा कहना है कि दस पंचायतों का एक पंचायत बोर्ड बनाइये। जो अदालती पंचायतें बना रखी हैं उनको खत्म कर दीजिये। अदालती पंचायत ठीक न्याय इसलिए नहीं कर पाती हैं कि आज गांवों में गुंडों का बोल-

बाला है। अगर कोई अदालती सरपंच ठीक फैसला कर देता है तो जानसे मार दिया जाता है। उसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। कुर्क अमीन हैं उनके रहने कोई प्रबन्ध नहीं है। न उनके पास सुरक्षा के लिए बन्दूक है। किसी के दरवाजे पर रह जाते हैं। मेरे जिले में एक कुर्क अमीन के घर में डकैती पड़ी और जो कुछ भी उसके घर में था सब डाकू उठा ले गये। २३ सौ रुपया पंचायत का था। वह भी ले गये। उसके दरवाजे पर दूसरा कुर्क अलेटा हुआ था। उसके पास भी १२–१३ सौ रुपया था। वह यह कह कर बच गया कि कुर्क अमीन का चपरासी हूं। मेरे पास रुपया नहीं है। इस तरह की तो घटनाएं होहैं। वसूली हर हालत में गांव पंचायतों को देनी पड़ेगी। गांव का जो सभापति हो उसको आप थोड़ा सा हक दे दें वही गांव का सुधार कर सकता है।

श्रीमन्, आपने ग्राम पंचायतें भी बनाई हैं और ग्राम समाज भी बनाये हैं। इन दोनों की जरूर नहीं है। ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है। ग्राम समाज के पास पैसा है। वह सब मुकदमेंबाजी में खर्च कर देता है। इनमें से एक रखिये। १०० गांवों की एक तहसील बनाइये और उसमें एक तहसीलदार हो, एक हाकिम परगना हो, ज्यादा अफसरों की जरूरत नहीं है। ग्राम सेक्रेटरी के ऊपर तहसीलदार अफसर हो। इन्तजाम तहसीलदार करे और हाकिम परगना इन्साफ करे। इसके अलावा १ हजार मौजे का एक जिला बनाइए और उसमें जिलाधीश न रखिए, यह जो जिला-परिषद् के अध्यक्ष हों वही जिलाधीश का कार्य करें। आप अपने सदस्यों पर विश्वास करिए। सरकारी नौकरों पर विश्वास मत करिये। अगर नौकरों पर विश्वास करेंगे तो आपकी सरकार तो फेल हो ही गई, आगे आने वाली सरकार भी फेल हो जायगी। मैंने चरणसिंह जी को एक सुझाव दिया एक नहर निकालने के बारे में जिससे हमारे यहां के आठ-दस मौजों की सिंचाई हो सकती थी। चरण-सिंह जी ने उसको अपने अफसरों के पास भेज दिया। अफसरों ने इतनी कर्कशता से उसका उत्तर दिया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है नहर की। साहब, मैंने जब सुझाव दे दिया था तो आपको चाहिए था कि उस पर आप विश्वास करते। लेकिन नहीं, नहर का जो अफसर है वही आपका सब से बड़ा विधाता है। तो फिर क्या जरूरत है इतनी बड़ी कौंसिल बनाने की और इतने लोगों को यहां बैठाने की। मैं विरोधी हूं, मेरा विश्वास मत करिए लेकिन जो आपके अपने सदस्य हैं उनका तो विश्वास करिए। एक सरकारी नौकर जो कि महा बेईमान है और सुरसा की तरह जिसका बदन जनता को लूटने के लिए फैला हुआ है वह जो लिख कर लाता है उस पर आप कलम चला देते हैं और बस जय भारत माता की। तो इस तरह से आप अपनी कमजोरी मापना चाहते हैं? मेरा तो यह कहना है कि अगर आप इस तरह की कोई चीज चाहते हैं कि गांवों में हो तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब इन सब बातों का संबंध जिला परिषद् से जोड़िए तो ठीक हो (हंसी)।

श्री बंशीधर शुक्ल—जिला परिषद् का तो आगे मामला आ ही रहा है। जो जिला परिषद् आज आप बनाये हुए हैं या अभी तक जो आपने बनाया है उसमें तो क्या म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी सदस्य मान लिया, दस अदालती पंचायतों का भी एक मम्बर मान लिया और यह किया है कि एम० एल० ए० को भी और सरकारी अधिकारियों को भी बैठा दिया है। यह सब कौन सी नीति है? जिन सरकारी अधिकारियों से जनता को न [illegible] मलता है वही उसके सदस्य बन कर बैठें और उन्हीं के सामने वह वाद-विवाद करें तो मैं समझता हूं कि यह कोई समझदारी की बात नहीं है। इस तरह से कोई काम नहीं हो सकता। मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह सरकारी नौकर तो आपके औजार हैं। इनसे आप सलाह का काम लेंगे तो सरकार नहीं चला सकते। इसलिए जिला-परिषदों का जो चुनाव हो वह गांव-गांव से कराइए। तीन-तीन गांवों की एक पंचायत बनाइए। यह एक-एक गांव की जो पंचायत बनी है यह बिल्कुल बेकार है। कोई जरूरत नहीं है आपको एलक्शन में कुछ खर्च करने की। अगर आप अपने सभापतियों पर विश्वास करते हैं

[श्री बंशीधर शुक्ल]

तो वह सभापति पूरे गांवों का चुनाव करा लेंगे। आपके बक्से की किसी की जरूरत नहीं है। टिन के पीपे वह रख लेंगे, उसी में वोट पड़ जायेंगे और वहीं उसी वक्त उसको गिन लेंगे। यह जो आपके बक्सों का चक्कर है—

ओट कोई का मिले, औ बकस कोई के पहुंचिगे,
ओट के सब गड्ड उड़ि उड़ि बकसिया मां खुदै घुसिगे,
जिन्हें ओट न मिले, उनका बकस दीन्हिन ओट।

तो ऐसी, ऐसी चीजें जो आप कर रहे हैं, जरा मेरे भाई, आप भी मेरे ही साथी हैं, सरकार आपके हाथ में है, इस तरह से गलत चुनाव न कराइए। जिला-परिषद् का चुनाव आप थोड़े से पैसे में ही करा सकते हैं। तीन-तीन गांवों का आप एक सभापति बनाइए। इन सभापतियों को आप यह अधिकार दीजिए कि वह गांव के सारे काम करा सकें। और इन गांवों से जो तहसील वसूल आप करते हैं उसका एक चौथाई इन गांवों को दीजिए। गांव वालों को जरूरत हो तो उससे सफाई को या कर्जा दिया जाय उनको। गांव में सफाई की जरूरत कोई काम कराने हों, कूप निर्माण का काम हो, जो कुछ भी काम किसानों का हो वह उस पैसे से हो। गांवों के रास्ते उस पैसे से बनवाये जायं। इसी तरह से मेरा कहना है कि हजार-हजार गांवों का एक जिला हो डिप्टी कलेक्टर न हो और इस तरह से आप जिला परिषद् बनाइए। एक जिला कौंसिल, एक सूबा कौंसिल, और एक आल इंडिया सरकार। इनके अलावा और जितने भी ये व्यर्थ के मुहकमे हैं इनको आप कत्तई तोड़ दीजिए। कोई जरूरत नहीं है न पुलिस की न नियोजन विभाग की न इन ए० डी० ओ०, बी० डी० ओज० की यह सब जनखे जो आपने पाल रखे हैं यह सब क्या हैं? जनता के दस, बारह साल आपने नष्ट किये हैं। इसका जनता आपसे बदला लेगी। छोड़ेगी नहीं। मैं आप से कहता हूं कि गांव सभाओं को आप यह सब अधिकार दे दीजिए। छः महीने के अन्दर एक भी चोरी डकैती या कत्ल हो जाय तो मुझे गोली से मार दीजिए। मैं एक मामूली आदमी हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय मंत्री जी को इतना समझने बूझने दीजिए। बाकी किसी दूसरे अवसर के लिए रहने दीजिए। सब सुझाव आज ही दे देंगे तो मंत्री जी इतना बोझ कैसे संभाल पायेंगे। (हंसी)

श्री बंशीधर शुक्ल—माननीय मंत्री जी का बहुत दिमाग है और बहुत बड़ा विभाग आपके हाथ में है। खद्दर का बहुत प्रचार मंत्री जी ने किया है। इतना बोझा उनके सिर पर है। अब अगर यह थोड़ा बोझा उनके ऊपर लाद देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपके नौकर हैं उनको आप दंड नहीं देते हैं। न एक नौकर को आप दूसरे नौकर से दंड दिलाते हैं। आप जांच करने का काम एक नौकर को ही देते हैं तो फिर वह अपने मन की जांच करेगा। मैं चाहता हूं कि इस पर एक नये ढंग से विचार किया जाय।

आज नौकरों की जारशाही सी मची हुई है,
नौकर नौकरों को दंड न दिलाता है।
नौकर खतावार फिर भी अदंड ही है,
हड्डी श्रमिकों की कूर नौकर चबाता है।
नौकर रईस हैं धनी हैं गुनी शिक्षित हैं,
सर्वकण राशि बाबू साहब कहाता है।
बीबी का गुलाम बाबू, बाबू का गुलाम मंत्री,
मंत्री का गुलाम देश हाय मारा जाता है।

में और ज्यादा लांछन न लगाकर आपसे यह जरूर कहूंगा कि आपके पास जितने नौकर हैं उनको ठीक कीजिये और व्यर्थ नौकर, जितने आपने रख लिये हैं, मेरी गुजारिश है उनको खतम कीजिये उनसे कहें कि हम तुमको रोटी अब तक देते रहे हैं अब आप जाइये और जाकर खेती कीजिये। मैं यह मानता हूं माननीय मंत्री जी के यहां कोई नौकर नहीं होगा। दो-चार होंगे वह भी सरकारी काम करते होंगे। अपना काम वह स्वयं करते हैं। मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूं। इसलिय माननीय मंत्री जी को कोई नौकर की जरूरत नहीं है और न उनका काम उन नौकरों से होता होगा। इसी तरह से हमारे किसान भी स्वाव-लम्बी है। वह किसी का सहारा नहीं देखते हैं। जमींदार वहां पर लगान लेने पहुंचते थे और अब सरकार की पुलिस दंड लेने पहुंचती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बहुत नौकरों की बात बता चुके। अब आप कृपा कर बैठ जायं। मैंने आपको बहुत सहूलियत दी। अब विषयान्तर हो रहा है।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं यह कहना चाहता हूं . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—अब आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जिला-परिषद् का बिल प्रवर समिति में जाने के लिये पेश है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मेरे जो विचार हैं उनको मैं सदन के सामने रख दूं तो प्रवर समिति को विचार करने के लिये सहायता मिलेगी। सन् १९२२ में जब जिला बोर्ड ऐक्ट बनाया गया था तो उसके ३ वर्ष बाद २६ में बार-बार इस बात की कोशिश हुई कि इसको और व्यापक बनाया जाय और कुछ अधिक अधिकार दिये जायं और सत्ता विकेन्द्रित की जाय। इसके लिये विधान सभा के अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, के नाम से एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिये। वे सारे सुझाव तो अमल में नहीं आये लेकिन सन् १९४७ में जो संशोधन जिला बोर्ड ऐक्ट में हुए उसके आधार पर चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर हुये। वह चुनाव साधारण वोटों के द्वारा हुआ और वह हमारे यहां सफल हुआ और उस पर १२ वर्ष तक निरन्तर जिला बोर्डों में काम हमारे यहां होता रहा फिर भी हम सोचते रहे कि कितने अधिकार और दिये जा सकते हैं। जिला स्तर पर उनको सामने रख कर जिला बोर्ड ऐक्ट में सुधार करने की बात चली आ रही थी लेकिन जब यह जिला परिषद् का बिल हमारे सामने आया और मैंने पढ़ा तो मुझे निराशा हुई।

पहली बात जो मुझे आपत्तिजनक लगी वह यह कि इसमें इनडाइरेक्ट चुनाव की बात कही गई है। डाइरेक्ट चुने हुये मेम्बर यहां पर १२ वर्ष तक काम करते रहे। उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई सिवाय इसके कि उनका चुनाव जल्दी नहीं हो सका लेकिन यह खूबी थी उस तरीके की कि १२ साल तक निरन्तर वह चलते रहे और जब हम सोचने लगे कि इस ऐक्ट में सुधार कैसे हों तो समझ में आया कि सुधार तो उनको और व्यापक अधिकार देकर ही किया जा सकता है। लेकिन इस बिल में जिला-परिषदों को तो वह अधिकार भी नहीं है कि जो अन्तरिम जिला परिषदों को मिले हुए हैं। पुराने जिला बोर्डों में ऐसे मौके आते थे कि जिला मैजिस्ट्रेट दस्तन्दाजी किया करते थे और उसका नतीजा यह होता था कि काम में बाधा पड़ती थी। इस बिल में भी जगह-जगह जिला मैजिस्ट्रेट की अड़ंगेबाजी मौजूद है और उसे देख मुझे ऐसा लगा कि चौबे जी छब्बे होने जा रहे थे लेकिन दुबे ही रह गये। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति में जब इस पर विचार हो, इस बात पर जोर दिया जाय कि इन परिषदों का चुनाव बालिग मताधिकार से होना चाहिये और उनके अध्यक्षों का चुनाव भी पिछली बार के जिला बोर्डों के अध्यक्षों के चुनाव की तरह से हो अर्थात् उनका चुनाव भी बालिग मताधिकार से ही हो। अगर इंडाइरेक्ट चुनाव होगा तो उन चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं होगा, उनकी कोई सत्ता नहीं होगी। जैसा माननीय रामलखन जी ने कहा था यह पंचायतों के सेक्रेटरी,

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

कोआपरेटिव के सेक्रेटरी, उनके सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर बड़ी अड़ंगेबाजी लगावेंगे और जो जिला-परिषद् के सदस्य उनकी मदद से चुन कर आयेंगे उनका कोई बल नहीं होगा। इसमें तो जनता के द्वारा सीधे-सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिये। एक आदमी जो दूसरों के बल पर चुन कर वहां जायेगा उसका कोई असर नहीं होगा। वह हर समय अपने को दबा हुआ अनुभव करेगा।

इस बिल में कुछ चीजें तो जिला-परिषद् के हाथ में रखी गयी हैं लेकिन वे महकमें जो आज अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार में हैं उससे अलग किये जा रहे हैं। अन्तरिम जिला परिषद् में पशुपालन, नहर, पी० डब्लू० डी० आदि के अधिकारियों को भाग लेना होता है, और वे अपनी राय देते हैं। जो अधिनियम आप बनाने जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप इन अधिकारों की संख्या कम करने जा रहे हैं। हमको भय है कि चुने हुए चेयरमैन होंगे तो किन्तु हाथ में उतनी सत्ता न होगी और उसकी सत्ता कम करने का इस बिल में आपने प्रयास किया है। मेरा ख्याल है कि जब तक इसको आप व्यापक बिल न बनावेंगे, उनको अधिक अधिकार न देंगे, तब तक प्रदेश का इससे उपकार न होगा।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---कोई उदाहरण दीजिये।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---पहली बात यह है कि आप डाइरेक्ट मताधिकार से चुनाव कराइये। पुराने जिला बोर्डों की यह कठिनाई थी कि उनके पास पैसा नहीं था, उसकी कमी थी। आपने कहीं यह प्रबन्ध नहीं किया है कि जिला बोर्डों की आमदनी किस प्रकार बढ़ेगी। जितने टैक्स जिला बोर्ड लगा चुके हैं उससे अधिक अगर यह परिषदें टैक्स लगावेंगी तो वह जनता पर बहुत बड़ा बोझ होगा। आपने कहा कि ग्राम पंचायतों की आमदनी से इनको कुछ शेयर मिलना चाहिये। यह भी उल्टा ही हुआ है। जिस वक्त मैं स्वायत्त शासन समिति की एक बैठक में था तो वहां एक प्रश्न पर विचार हुआ था कि किस प्रकार ग्राम पंचायतों की आमदनी को बढ़ाया जाय और उनको रेवेन्यू का कोई हिस्सा यदि दिया जा सकता है तो दिया जाय। लेकिन हम इस बिल में देखते हैं कि उनकी आय का कुछ भाग जिला परिषदों को दिये जाने की बात कही गई है यह तो वही मसल है कि "आप मियां मंगते, द्वार खड़े दरवेश"।

इस बिल में एक चीज और देखी। एक वक्त था कि जब हमने पुराने जिला बोर्डों में शिक्षा समिति को स्वतंत्र कर दिया था। और शिक्षा समिति का चेयरमैन भी स्वतंत्र था और उसके कुछ अधिकार थे लेकिन जब मालूम हुआ कि काम नहीं चल रहा है तो जिला समिति को जिला बोर्ड के मातहत करके दूसरा रूप दिया गया। अब परिषद् के इस बिल में जितने मुहकमें हैं उनमें सब में विभाग के अधिकारी ही सर्वेसर्वा हैं। तो एक नयी चीज हम पैदा कर रहे हैं कि जिला-परिषद् के जितने कार्य हैं उनके लिए सरकारी अफसरों के हाथ में सारी सत्ता दी जा रही है। चेयरमैन के हाथ में जो आज सत्ता है या कुछ दिनों पहले थी वह अब आगे आने वाले अध्यक्ष को नहीं रहेगी।

दूसरी चीज यह है कि पुराने जिला बोर्ड १२ वर्ष तक रहे, आज भी अन्तरिम जिला परिषद् है और उनके सदस्यों के आने जाने का मार्ग-व्यय इत्यादि दिया जाता था। इस बिल में आपने उस चीज को रोक दिया है। क्या लोग इस योग्य हो गये हैं कि अपने पास से पैसा भी खर्च करें और इन परिषदों में आवें और अपने विचार व्यक्त करें? मैं समझता हूं कि यह भी एक उल्टा प्रयोग है। आप जिन प्रतिनिधियों से चाहते हैं कि वह आनरेरी कार्य करें तो कम से कम उनको यात्रिक भत्ता तो मिलना चाहिए, भले ही आप उनको टिकने का भत्ता न दें। जो आज आप दे रहे हैं वह भी न दें तो कहां तक उचित होगा, इस पर प्रवर समिति में समझता हूं विचार करेगी और संशोधन लाने की कोशिश करेगी।

एक प्रश्न इसमें और है कि लेजिस्लेचर के मेम्बर रहें या नहीं ? मैं समझता हूं कि आज अन्तरिम जिला-परिषद् में जो विधान सभा या विधान परिषद् के लोग बैठ रहे हैं वह काफी सहायक हुए हैं उस प्रबन्ध को चलाने के लिए और जो काम पुराने जिला बोर्ड अपने सारे वक्त में नहीं कर सके वह इस अन्तरिम जिला-परिषद् में हुआ है। वह सवाल है अध्यापकों की तनख्वाह वक्त पर मिलने का। पुराने २० वर्षों से अध्यापकों को कभी वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन इन अन्तरिम जिला-परिषदों के वक्त में उसी फंड से इन्तजाम हो गया कि वक्त पर तनख्वाह मिल जाय। मेरी और मंत्री जी की राय में यही फर्क है। मेरा विचार है कि जन प्रतिनिधियों की वजह से अब अध्यापकों को समय से तनख्वाह मिलती है और वे समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के वहां रहने से मिलती है। पहले भी कलेक्टर बोर्डों के अध्यक्ष रहे हैं पर कभी समय से अध्यापकों की तनख्वाह नहीं मिली थी। यह मेरा अपना अनुभव है।

एक बार मैं जिला बोर्ड की एक समिति के सभापति पद के लिए खड़ा हुआ तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मेम्बरों से यह कहना शुरू किया कि अगर तुम मेहरोत्रा के खिलाफ वोट करोगे तो मेरे लिए वोट करोगे और अगर उसको वोट दोगे तो मेरे दुश्मन को वोट दोगे। ऐसी बातें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों की तरफ से होती रही हैं। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर को इस संस्था में बीच में न लाया जाय। मैं समझता हूं कि इस बिल से जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर को अधिकार दिये गये हैं वह उसमें से निकाल दिये जायं और सीधा सम्पक हो जिला-परिषदों का गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लोगों से। मैं समझता हूं, इस तरह के अधिकार जब आप जिला-परिषदों को देंगे तो निश्चित रूप से वहां के कार्य-संचालन में सुविधा होगी।

इन परिषदों में जो मुख्य-कार्याधिकारी रखा गया है उसके सम्बन्ध में मेरी सलाह यह है कि बिल में तो आया है कि एक बार वह ४ वर्ष तक रहेगा, उसके बाद फिर विचारा जायगा। मैं समझता हूं कि मुख्य कार्याधिकारी रखा जाय लेकिन वह सरकारी अफसरों में से न रखा जाय। ३५ वर्ष वाला या उससे अधिक आयु वाला पब्लिकमैन उसमें रखें और वह आदमी केवल ५ वर्ष के लिए रखा जाय और अधिक से अधिक ३ एक्सटेंशन उसको दिये जायं, इस तरह से आप जन-सेवक में से किसी को चुन कर लायें जो ला-ग्रेजुएट-हो। मैं समझता हूं इस प्रकार काम ज्यादा खूबसूरती के साथ चल सकेगा और अधिक लोगों का विश्वास उसको प्राप्त होगा। सरकारी अफसरों के तरीके को भी हमने देखा। आज जो हमारे जिलों की परिषदें काम कर रही हैं उसके पहले जो नियोजन समितियों के अफसर थे, जिला नियोजन अधिकारी और उसके बाद ए० डी० एम० (प्लानिंग) आये तो हमने देखा कि उनके आते ही काम कुछ ढीला पड़ गया। प्लानिंग आफिसर मैजिस्ट्रेट नहीं थे लेकिन उनके जमाने में ज्यादा नियोजन का काम हुआ, अनेक जगहों पर पंचायतघर, सड़कें, स्कूल और पुलियां, ऐसी चीजें बनाई गईं और उसका कारण यह था कि वह आदमी अपने आप को बड़ा अफसर नहीं समझता था, उसका जनता से ज्यादा सम्पर्क स्थापित था, वह गांव-गांव दौड़ता था। लेकिन जब ए० डी० एम० (प्लानिंग) आये वह गांवों में जाकर जनता के साथ चारपाई पर नहीं बैठ सकते। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का आदमी जनता के सम्पर्क में नहीं आ सकता। जिला-परिषद् के अधिकारी अगर जनता से सम्पर्क नहीं स्थापित करेंगे तो न तो परिषद् की आमदनी ही बढ़ सकेगी और न नियोजन का काम ही हो सकेगा।

आपने जिला-परिषद् में विधान मंडल और लोकसभा के सदस्य नहीं रखे हैं। हम लोग तो विधान मंडल के सदस्य होने के नाते बहुत सी ऐडवाइजरी कमेटीज में सदस्य हैं। उसी तरह से उसमें भी हो सकते थे। इस बिल की धारा ९८ में आपने लिखा है कि परिषद् हर विकास खंड के लिये विकास समितियों का निर्माण करेगी और उसके संघटन के सम्बन्ध में सरकार नियम बनावेगी। मैं समझता हूं कि इस धारा को साफ होना चाहिये, आप यह तय करें कि उनके सदस्य हर एक गांव सभा के प्रधान होंगे और उस क्षेत्र का जो परिषद् का सदस्य होगा

[श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा]

वह भी उसका मेम्बर होगा। इसी तरह से आप उन ब्लाक कमेटियों के अधिकार भी निश्चित करें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इस बिल को जितना ही आप व्यापक बनायेंगे उतनी ही सहायता आपको विकेन्द्रीकरण में मिलेगी। जब जिला बोर्ड के सिपुर्द अस्पताल और सड़कों का काम था उसकी बनिस्बत नियोजन समिति के अन्तर्गत लाखों रुपये का ज्यादा काम हुआ। हमने देखा कि श्रमदान के द्वारा काफी काम हुआ। इसलिये उसी तरह का सम्पर्क अगर हम जिला-परिषदों के लिये प्राप्त कर सकें तो मैं समझता हूं कि जिला-परिषदें सफल हो सकती हैं। और यह सहयोग भी तभी मिल सकता है जब कि आपके अधिकारी भी उसी तरह के हों जिनको जनता से सम्पर्क स्थापित करने में कोई शर्म की बात न मालूम हो। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति में इस बिल पर इस प्रकार से विचार होगा जिससे यह ज्यादा व्यापक बनाया जा सके और खास तौर से चुनाव एडल्ट फ्रैंचाइज द्वारा सदस्यों और अध्यक्ष, दोनों का हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमान् जी, बहुत काफी समय हो गया है इस बिल पर चर्चा करते-करते.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया स्थान ग्रहण करें, ऊदल जी को बोल लेने दीजिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुये इस बात को कहा था कि पुराने बोर्डों को इसलिये भंग किया गया कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें और उसके साथ ही साथ मंत्री जी ने यह भी कहा था कि अगस्त का महीना है इसमें हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और आजाद भी हुये इसलिये हम इस महीने में इस बिल को पेश कर रहे हैं। मान्यवर, जहां तक विकेन्द्रीकरण का सवाल है मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो हमारे पुराने अधिकार थे, हमारी जनता के उनको भी इस बिल के जरिये छीना है, जैसा कि मेहरोत्रा जी ने कहा और उनके पहले तिवारी जी ने कहा था कि डाइरेक्ट चुनाव न कराकर माननीय मंत्री जी ने गांव सभा के सदस्यों के जरिये इस जिला-परिषद् का संघठन करने की बात सोची है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को बहुत ज्यादा तजुर्बा है और वे व्यवहारिक भी बहुत ज्यादा हैं, अनुभव उनको है। वे जानते हैं कि किस प्रकार से पंचायतों का चुनाव हुआ है। गांवों में पुराने जमींदार थे जिनके सामने हाथ उठाने में लोग डरते थे। इसलिये उन खूंख्वार लोगों के डर से बहुत-सी जगहों पर इस प्रकार से चुनाव हुआ कि जनता जिनको चुनना नहीं चाहती थी उनका चुनाव हो गया और जिनको चुनना चाहती थी वे चुन नहीं गये। बहुत से अधिकारी लोग जो गांव सभाओं के चुनाव में जाते थे, वे भी बहुत से मौकों पर उन्हीं जमींदारों के पक्ष में वोट गिन लेते थे और जिता देते थे। सीधे चुनाव न कराये जाने के बारे में माननीय मंत्री जी ने केवल एक ही दलील पेश की और वह कि हमारे पास रुपया नहीं है, उसकी कमी है। यह दलील ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस अधिकार को दिलाने के लिये उन्होंने बड़ी कुर्बानी की है। उस कुर्बानी के बाद जनता को वोट दिये जाने वाले अधिकारों को छीनना मेरे विचार से ठीक नहीं होगा। वह न जनतंत्र के लिये ठीक होगा, न प्रजातन्त्र के लिये ही उचित होगा, न माननीय मंत्री जी के लिये उचित होगा और न और किसी के लिये ही ठीक हो सकता है। उसके लिये यह सदन ५० लाख रुपया आपको दे सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मैं यकीन दिला सकता हूं कि ५० लाख रुपया या और जितने रुपये की आवश्यकता होगी वह हम उनको देंगे।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे सरकारी कर्मचारियों को भी इसमें रखेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन राज्य पुरुषों की परिषद् में क्या आवश्यकता है। मंत्री जी परिषद् को यह अधिकार दें कि अगर किसी सरकारी अफसर से परामर्श करने की जरूरत हो तो परिषद् विकास के कार्य के लिये उससे परामर्श ले सके लेकिन उन लोगों को परिषद् का मेम्बर बनाना उचित नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी डायरेक्ट चुनाव करायें। माननीय मंत्री जी ने यह भी

कहा कि कुछ लोग कोआप्ट किये जायेंगे। यह भी ठीक नहीं है। प्लानिंग के काम के लिये मंत्री जी ने बताया कि उसमें जिला-परिषद् के लोग होंगे, अधिकारी होंगे और विधायक भी होंगे। मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि आप डायरेक्ट चुनाव परिषद् का करायें और विधायकों की उसमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वे भी जनता के प्रतिनिधि होंगे उनके कार्यक्षेत्र में किसी दखलन्दाजी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आफिसरों के सामने उन लोगों की कुछ भी चलने वाली नहीं है। इसलिये मंत्री जी इस बारे में सोचें और विचारें तथा डायरेक्ट चुनाव करायें। एक बात मान्यवर मुझे और कहनी है। इस बिल में वाह्य नियंत्रण के नाम पर भी चैप्टर १० में माननीय मंत्री ने, सरकार ने अपने हाथ में कुछ अधिकार ले रखा है कि जब हम चाहेंगे, कोई शिकायत मिलने पर परिषद् को भंग कर देंगे। श्रीमन्, यह बात इससे और भी साबित हो जाती है, जैसा कि आपने केरल में देखा कि वाह्य नियंत्रण के नाम पर केन्द्रीय सरकार ने और सब लोगों ने हस्तक्षेप किया। माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि जिला-परिषदों का जब चुनाव होगा तो उसमें ज्यादातर अपोजीशन के लोग ही जीत कर आवेंगे जैसा कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव में हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि कोई शिकायत मिलने पर पार्टी पोलिटिक्स को ध्यान में न रख कर पूरी छानबीन करके उस तरफ कोई कदम उठाना चाहिये। न कि जिलाधीश या किसी की रिपोर्ट मिली और अपने अधिकार का इस्तेमाल करके जब चाहा तब उन्होंने उसे भंग कर दिया। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार के हाथ में ऐसा पावर नहीं होना चाहिये। एक चीज और इस बिल में माननीय मंत्री जी ने रखी है कि सरकार जब चाहे बिना विधान मंडल की राय लिये हुए एक वर्ष के लिये जिला-परिषद् को भंग कर सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा इस तरह के अधिकार को अपने हाथ में लेकर किसी परिषद् को भंग करना जनतांत्रिक प्रणाली के विपरीत है। इसलिये सरकार के हाथ में इस तरह का अधिकार नहीं होना चाहिये कि बिना विधान मंडल की राय लिये हुए वह किसी भी परिषद् को भंग कर सके।

इसी तरह से टैक्स के संबंध में इस बिल में एक जगह लिखा है कि ३१ नये पैसे फी एकड़ के हिसाब से टैक्स लिया जायगा। मैं समझता हूं कि गांव सभाओं का जो टैक्स लगा हुआ है वह भी करीब-करीब इसी हिसाब से आता है। इससे ज्यादा आता है, एक रुपये पीछे एक आना है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि गांव सभाओं के अन्दर जो टैक्स लगता है उसका कुछ हिस्सा जिला-परिषद् को भी गांव सभायें देंगी। मैं समझता हूं कि यह गांव सभाओं के साथ बहुत ज्यादती होगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने मंत्रिमंडल में इस बात पर विचार करें कि रेवेन्यू का कुछ हिस्सा जिला परिषदों और गांव सभाओं को भी मिले ताकि वह अपना विकास कर सकें। इसके साथ ही साथ टैक्स के संबंध में एक चीज और साफ लिखी हुई है जो पुराने जिला बोर्ड ऐक्ट में था कि २०० रुपये सालाना जिस व्यक्ति की आमदनी होगी उस पर टैक्स लगेगा। मैं समझता हूं कि यह २०० रुपये की बात बहुत पुरानी है, वे पुराने बोर्ड भी खत्म हो गये और जो पुराना कानून बना था उसके हिसाब से उसके अन्दर बहुत गरीब लोग भी आ जाते थे। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें कि २०० रुपये सालाना आमदनी के दायरे के अन्दर ज्यादातर गरीब लोग आ जायेंगे इसलिये मैं समझता हूं कि कम से कम २,००० रुपये सालाना आमदनी के ऊपर जिला-परिषदों को टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने उसी पुराने ऐक्ट के अनुसार इसमें एक चीज और शामिल कर ली है कि अगर किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाया जायगा तो जब तक वह टैक्स अदा नहीं कर देगा तब तक उसके विरुद्ध वह अपील नहीं कर सकेगा।

मान्यवर, कहीं भी आप देखें हमारे संविधान में और देश के कायदे कानून के अनुसार किसी केस में डिग्री हो जाती है लेकिन उसके बाद उसके लिये स्टे आर्डर हो जाता है लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बिल में इस बात को रखा है कि बिना इस टैक्स को अदा किये

[श्री ऊदल]

हुए कोई अपील ही नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर सोचें कि लोग बिना टैक्स अदा किये हुए ही अपील कर सकें और तब जो फैसला होगा वह उस के लिये मान्य होगा।

एक बात मैं खासतौर पर और कहना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि हमारे यहां उप जिला बोर्ड, भदोही और जिला बोर्ड, वाराणसी को भंग कर दिया गया है और यहां से जो आर्डिनेन्स गया है उसमें दोनों जगह दफ्तर चलाने की बात कही गयी है और आज दोनों जगह मुख्य रूप से एक एक सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे बनारस में इस मामले में बहुत पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और दो दफ्तर काम कर रहे हैं। इस विषय में मैंने माननीय मंत्री जी से बात की थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द एलेक्शन कराये जायंगे और बिल आ रहा है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अभी उस में वर्षों लग जायंगे। इसलिये जो वाराणसेय अन्तरिम जिला-परिषद् में पैसे का अपव्यय हो रहा है और अनियमित ढंग से जो दो दफ्तर चल रहे हैं उसको ठीक किया जाय। अगर जल्द चुनाव होने को हैं तो दो दफ्तर उस समय तक चाहे रखें लेकिन अगर देर है तो दोनों को एक कर दें ताकि पैसे का अपव्यय न हो।

इसके अलावा मैं सर्विसेज के बारे में थोड़ा-सा अर्ज करूंगा जैसा कि माननीय माता-प्रसाद जी ने कहा कि आज अन्तरिम परिषदों में जो १८ प्रतिशत हरिजनों का रिजर्वेशन है वह पूरा नहीं हो रहा है। इस विषय में मंत्री महोदय तत्काल आदेश भेजें, और वह रिजर्वेशन पूरा किया जाय। इसके अलावा इसमें जो बड़ी-बड़ी पोस्ट हैं उनका ट्रान्सफर जिलेवार होना चाहिए। अधिक दिन तक अगर कोई रह जाता है तो वह पार्टीबाजी करता है। अतः इन सब बातों पर मंत्री जी विचार करें।

मान्यवर, एक बात मुझे और कहना है और जैसा कि माननीय रामलक्षण जी ने कहा कि घाटों का प्रबन्ध और नावों के किराये वगैरह का नियंत्रण जिला-परिषदों के हाथ में देना चाहिए और उनको सब अधिकार देने चाहिए, वहां पर ठेकेदार मनमाना भाड़ा लेते हैं और बरसात में ४ आना, ६ आना और ८ आना तक लेते हैं। चेयरमैन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जुरमाना कर सके और निरीक्षण आदि कर सके। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कृपा करें और एक सुन्दर विधेयक प्रजातन्त्र के अधिकारों की रक्षा के लिये लाने की कृपा करें।

श्री उबैदुर्रहमान (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, जिला-परिषद् बिल पर आज दो रोज से डिबेट हो रहा है। तफसीली बातों के अलावा हमको इसमें तीन ऐसी बातें मिलती हैं कि जिन पर एक अच्छी खासी इख्तलाफ राय लोगों को है। एक तो यह कि इसमें एम० एल० ए०, एम० एल० सी० व एम० पी० साहबान भी हिस्सा ले सकें या न ले सकें, उसके मेम्बर हो सकें या न हो सकें, इस पर काफी इख्तलाफ राय है। दूसरे चुनाव के तरीके के बारे में भी काफी बहस दोनों तरफ से हो रही है।

एक पक्ष का कहना है कि यह चुनाव डाइरेक्ट इलेक्शन के जरिये से होना चाहिए और जाहिर है कि बिल में इन्डाइरेक्ट इलेक्शन रखा गया है। तीसरी चीज जो हमें मिलती है इख्तलाफ की वह यह है कि सरकारी अधिकारियों को जो इसमें भाग लेने का अवसर दिया गया है वह किस हद तक ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इन तीन इख्तलाफात के ऊपर जिस नुक्तेनजर से मैंने इस बिल को देखा है उसकी रोशनी में अपने खयालात इस आदरणीय सदन के सामने पेश कर सकूं।

जहां तक एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० साहबान के इसमें मेम्बर होने या न होने का सवाल है, उसके बारे में इस बिल में रेलेवेन्ट दफा ४ है। वह हमें बताती है कि वोट देने वाले कौन-कौन लोग होंगे और दफा ८ बतलाती है कि इसके

मेम्बर कौन लोग हो सकेंगे। दफा ८ हमारे एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० साहबान का दरवाजा चुनाव का बन्द नहीं करती। वह अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और मेम्बर बन सकते हैं। लेकिन अगर इसरार यह है कि हमें लंगड़ा, लूला क्यों नहीं समझा जाता है, बैशाखी क्यों नहीं दी जाती, बहैसियत एक्स-आफिशियो मेम्बर के हमे वोट का हक क्यों नहीं दिया जाता, तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है। अगर एक एम० एल० ए० या एम० एल० सी० असरन्दाज हो सकता है उस क्षेत्र पर जिसके दरम्यान वह रहता है तो इस चुनाव को न लड़कर भी वह असरन्दाज हो सकता है। वह यह देख सकता है कि कैसे आदमी को खड़ा करें? न उनको एलेक्शन लड़वाकर जिला-परिषद में ले आयें। अगर इसकी ताकत उसके अन्दर नहीं है तो वह खुद भी नहीं आ सकता है। तो इससे यह चीज हमें साफ मालूम होती है कि चुनाव में हिस्सा लेकर हम अगर आना चाहे तो आ सकते हैं बिल की प्रावीजन हमारा रास्ता नहीं रोकती। एक्स आफिशियो मेम्बर की हैसियत से हमें वोट का हक दिया जाय, यह हमारे शायाने शान नहीं है। इसमें कैसे लोग आएं, वह हमारे पक्ष के होंगे या नहीं, यह हम खुद बैठकर तय कर सकते हैं और अगर हमारे असरात इतने हैं कि हम गलत आदमियों को इसमें न आने दें तो यकीनन उसमें गलत आदमी नहीं आएंगे, सही आदमी ही आएंगे। फिर हमारा वहां पर होना या न होना, परिषद् के कमरे में बैठकर हिस्सा लेना या न लेना, कोई माने नहीं रखता है। हम अपने घर में बैठे रहेंगे और वोट उसी तरह से वहां होगा जिस तरीके से हम चाहेंगे अगर हमारे अन्दर ताकत है। और अगर यह ताकत हमारे अन्दर नहीं है तो जाहिर है कि हमारा वजूद और अदम वजूद बराबर है। तो यह कहना कि हम एक्स-आफिशियो मेम्बर नहीं है और हमें वोट का हक नहीं दिया गया है, यह फिजूल की बात है। लेकिन अगर हम आ जाते है इसमें बहैसियत मेम्बर के तो यह कहना सही है कि हम डैमोक्रेटिक वसूलों के ऊपर जिला-परिषद को चलने में बाधा डालेंगे। वहां जो लोग आएंगे उनका इन्टलैक्चुअल लेविल हमसे कमतर दर्जे का होगा। उन्हें गलती करनी है, सीखना है, इम्प्रूव करना है। उन्हें बोलने का मौका हम न देंगे, बीच-बीच में मदाखलत करेंगे, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर अपने असरात डालने की कोशिश करेंगे और जिस आजादी के साथ अंतरिम जिला-परिषद् की डिबेट्स में हिस्सा उनको लेना चाहिए हम नहीं लेने देंगे। तो यह साबित होता है कि एक तनावर दरख्त के नीचे छोटे-छोटे पौदे ठीक से नहीं पनप सकते। यह बहुत ही आवियस चीज है।

दूसरी खराबी का यह अंदेशा है हमारे दिल में एक चोर है और वह यह है कि हम परिषद् के जरिये से अपने छोटे-छोटे काम, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के तबादले २, ४ गज की सड़क किधर से निकले या न निकले, इमारत बने या न बने, इस तरीके से अपने छोटे-छोटे असरात डाल कर छोट-छोटे काम जो निकाल लेते हैं, हम यह सोचते हैं कि इसका मौका हमारे हाथ से जाता रहेगा और शायद आगे चुनाव में हम खुद न आ सकें। यह बहुत छोटा खयाल है। शायद यह काम हम ले सकें या न ले सकें लेकिन जाहिर है कि इतने छोटे-छोटे कामों को लेने के लिये हमें करना क्या पड़ता है? करना यह पड़ता है कि सरकारी नौकरों के पास जाना पड़ता है, और एक फरियादी की हैसियत से जाना पड़ता है कि इसका तबादला कर दीजिये डी० आई० साहब। दूसरे के पास किसी और चीज की अर्जी लेकर पहुंचे, ऐसे आदमी की जिसके वोट की हमें जरूरत है आइन्दा, वहां हमारा काम हो या न हो, तो इस तरह से हमारी शख्सियत में जो एक असर होता है, और होना चाहिए, उसे हम रफ्ता-रफ्ता खत्म करते जा रहे हैं। तो छोटे से फायदे के लिये एक बहुत बड़े फायदे से महरूम करते चले जा रहे हैं अपने आप को। यह बिल इसका रास्ता बन्द कर देता है। हम एक ऊंचे लेविल पर बैठें, यहां बहस करें और इस तरीके से हम असरंदाज हों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर और इस तरीके से हम काम ले सकें यह एक बेहतर तरीका है बनिस्बत इसके कि हम खुद उनमें बैठें। मतलब यह है कि एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे एम० एल० ए०, एम० एल० सी० या एम० पी० को अलग रहना चाहिये। उसमें हमें घुसना नहीं चाहिए। तो एक मंशा इस बिल का यह भी है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं।

[श्री उबैदुर्रहमान]

रही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव की बात। तो जाहिर है कि गांव पंचायतों के जो मेम्बर्स चुन करके आये हैं वे तो डायरेक्ट तरीके से ही चुन कर के आये हैं। अब या तो वे सही नुमाइन्दगी करते हैं या गलत करते हैं। अगर वे गलत करते हैं तो क्या गारन्टी है कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया जाय तो जिला-परिषद् में सही नुमाइन्दे आयेंगे? गलती यहां भी हो सकती है। तो क्यों हम एक बात को प्रिसपोज करके चलें कि इनडायरेक्ट इलेक्शन गलत होगा। अगर गांव पंचायत के सदस्य सही नुमाइन्दगी करते हैं जनता की तो जिला-परिषद् में वह सही नुमाइन्दे ही चुन कर भेजेंगे। इसलिये इस सवाल पर इख्तलाफ की मेरे ख्याल में कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती।

अब जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और और अधिकारियों के बारे में कहा गया। यह एक बड़ा पुराना दुखड़ा है, क्या बतायें, इसके लिये कुछ हमारा इतिहास हमें रोशनी देगा। अशिक्षा, जहालत, इगनोरेंस, नावाकफियत, जनरल नालेज की कमी यह इंतहा दर्जे पर मौजूद है। हमारी जनता, जिसके हम प्रतिनिधि हैं उस जनता का परसेंटेज अगर हम निकालें और दुनिया के दूसरे मुमालिक से उसका मुकाबला करें तो वाकई बात यह है कि शर्म से सर झुक जाता है। यह अशिक्षा बहुत हद तक जिम्मेदार है एक खास किस्म का काम्प्लेक्स हमारे अन्दर पदा करने के लिये। एक तरफ तो एक मखसूस सोचने का तरीका, मखसूस लिबास, मखसूस उठने-बैठने और मिलने-जुलने का तरीका है, दूसरी तरफ बिलकुल उसका उलटा है, दूसरा लिबास है और दूसरी पसन्द व नापसन्द है। तो उसके अन्दर एक अजीब क्लेश-सा पैदा हो गया है। एक इनफीरियारिटी काम्प्लेक्स पैदा हो गया है। हम अपनी अशिक्षा, अपनी जहालत और अपनी अदमवाकफियत की वजह से इनफीरियारिटी काम्प्लेक्स के शिकार हैं। एक डिप्टी कलेक्टर, एक इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हेल्थ आफिसर या किसी कलेक्टर को जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि यह हमसे कुछ मुख्तलिफ चीज है, इसके सोचने का तरीका कुछ अलग है, इसकी पसन्द व नापसन्द कुछ अलग है और एक खलिश उसकी तरफ से पैदा हो जाती है चाहे वह हमारे दर्मियान मशविरा देने के लिये ही क्यों न बैठे, हमारी मदद करने के लिये ही क्यों न बैठे, लेकिन खामख्वाह एक शह हमारे ऊपर पड़ने लगती है उसकी।

हममें मजबूती के साथ यह अहसास पैदा होना चाहिए कि हम नावाकिफ सही, जाहिल सही लेकिन हम मालिक हैं? ज्यादा किताबी इल्म जो है इसी से अन्दाजा इंसानी शख्सियत का नहीं हो सकता। हमारे अन्दर सच्चाई और बहादुरी है, निष्पक्ष होने की सलाहियत है तो उसकी अहमियत बी० ए०, एम० ए०, पी० एच० डी० की डिग्रीज से ज्यादा होगी। वह कर्मचारी जो कम्पेटीटिव एग्जामिनेशंस में बैठा है, कोट पतलून पहनता है, टाई लगाता है, कार पर चढ़ कर आता है और बंगले में रहता है। कतई जरूरत नहीं है कि उससे हम मरऊब हों और उसका रोब हम पर गालिब हो। अगर हम सच्चाई, बहादुरी व निष्पक्ष होने के सिद्धान्त पर कायम हैं तो हम उससे ऊपर हैं। हर वक्त यह शिकायत नौकरशाही-नौकरशाही की करना इससे एक गलत किस्म की आबोहवा पैदा होती है। बिल के अन्दर जो एक इंजीनियर को दिया गया है वह इसलिये कि वह हमारी मदद कर सके। हमें नहीं मालूम है कि सड़क कैसे बनती है। इसी तरह से एक डाक्टर मेडिसिन के बारे में हमारी मदद कर सकता है। वे हमारे नौकर हैं। उसे वोट का हक नहीं दिया गया है। उससे हम कंसल्ट कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके दिये हुए मशविरे पर अमल करें ही। तो फिर कहां हमारे ऊपर पाबन्दी आयद होती है, हम क्यों घबड़ाते हैं। ये सारी बातें बहुत तजुर्बे के बाद रखी गयी हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स काफी दिनों से हमारे सूबे के अन्दर कायम हैं। उनके जमाने में जो हालत सड़कों की, स्कूलों के इमारतों की थी, मवेशीखानों की थी वह हम और आप सभी जानते हैं। शायद ही कोई जिला हो जहां कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देर या सबेर सुपरसीड न हुआ हो और जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में जिला बोर्ड आया तो हालत दुरुस्त हो गयी, तो यह सवाल किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की यहां भी शह पड़ रही है

और यह गुलामी के जमाने की याद दिलाता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारा मुलाजिम है। ऐसा मुलाजिम है जिसको जिले के सारे अधिकार सौंप रखे हैं। हमें समझना चाहिए कि मुलाजिम मुलाजिम है और उसकी राय हमें लेना चाहिये, यह हमारा अख्तियार है कि उसकी राय व मशविरे पर हम अमल करें या न करें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर्स दी गयी हैं और उसके लिये इस बिल के अन्दर एक चेप्टर है—चेप्टर १० एक्सटर्नल कंट्रोल का जिसमें दफात २६९ से २७७ तक दी गयी हैं। हो सकता है कि हम किसी खास काम में कोई इतनी बड़ी गलती कर जायं कि जिससे एक क्लैश वाकय हो जाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जिले के ऐडमिनिस्ट्रेशन में और जिला-परिषद् वालों के ऐडमिनिस्ट्रेशन में। तो उस सूरत में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अख्तियार दे रखा है कि वह अपनी राय को हमारी राय के ऊपर चढ़ा सकता है, वह मामले को गवर्नमेंट को रेफर कर सकता है अगर बड़ा संगीन हो। तो इससे कोई खफगी की जरूरत नहीं है और न इसलिये खफगी की जरूरत है कि हमारे अख्तियारात कम हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ज्यादा हैं।

रहा ऐडल्ट सफरेज। तो ऐडल्ट सफरेज पर हम लोग भी यहां आये हैं। उसका भी एक्सपीरियन्स हमें हो चुका है। करीब-करीब ११ साल हो रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की वर्किंग का भी तजुर्बा है। १०–११ साल से गांव सभाओं और गांव पंचायतों की वर्किंग का भी तजुर्बा है। तो इन सारे तजुर्बों को सामने रख कर यह बिल ड्राफ्ट किया गया है। हां, इसको रिजिड नहीं रखा गया है जिसके लिये मैं मंत्री जी को मुबारकबाद दूंगा। इसको लचकदार रखा गया है, फ्लेक्सिबिल रखा गया है। जब यह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो वहां पर फिर खयालात का तबादला होगा और जो चीजें जरूरी समझी जायंगी वे शामिल कर दी जायंगी या उसमें से निकाल दी जायंगी। तो कोई वजह नहीं है कि हम इसको शक की निगाह से देखें।

हमारे विरोधी दल के भाई जरगाम हैदर साहब ने मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड और मारले-मिन्टो रिफार्म्स का हवाला देते हुये यह साबित करने की कोशिश की कि यह तो एक रेट्रोग्रेड स्टेप है और उदयशंकर साहब ने भी उनकी हां में हां मिलाई जिसका मुझे अफसोस है। बहरहाल, यह उनकी राय थी और उसका इजहार करने की उनको आजादी थी। मैं यह अर्ज करूंगा कि मारले-मिन्टो रिफार्म्स या मान्टेग्यू–चेम्सफोर्ड रिफार्म्स का आप जरूर हवाला दें और अगर मेरे भाई इनका हवाला न भी देते तो मैं यकीनन कयास करता कि मारले-मिन्टो और मान्टेग्यू–चेम्सफोर्ड रिफार्म्स का मुताला मेरे भाई ने किया है और उनको अच्छी खासी वाकफियत उनको हासिल है। लेकिन सवाल यह है कि इससे कम्पेयर कर के इस बिल को यह कह देना कि यह एक रेट्रोग्रेड स्टेप है यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो कहूंगा कि यह एक इम्प्रूवमेंट है। हां, इसमें चेक्स और बैलेन्सेज हैं और वह इसलिये, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि जब हमारी नालेज का स्तर इतना ऊंचा हो जायगा तो हो सकता है कि इसमें से बहुत-सी दफात जिनकी बिना पर आप कह रहे हैं कि यह एक रेट्रोग्रेड स्टेप है इसमें से अलाहिदा कर दी जायं। तो आन दि होल मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बिल हमारे जज बात की तर्जुमानी करता है और यह एक खासा डेमोक्रेटिक स्टेप है, डिसेन्ट्रलाइजेशन भी इसमें काफी है मगर उन्हीं चेक्स और बैलेन्सेज के साथ जिनकी इसमें जरूरत है। इन अल्फाज के साथ मैं माननीय मंत्री जी की ताईद करते हुये इस प्रस्ताव के पक्ष में हूं कि यह बिल एक ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय।

श्री राम शरण यादव (जिला लखनऊ)—मान्यवर, मुझे स्मरण आता है कि गत वर्ष जब अन्तरिम जिला-परिषद् ऐक्ट इस माननीय सदन के समक्ष विचाराधीन था उस समय जब विरोधी पक्ष के खयालात जाहिर किये गये थे तो बड़े गर्व के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हम बहुत थोड़ा समय ले रहे हैं और हम वह बिल लायेंगे जिसमें सभी प्रकार के खयालात रहेंगे, सभी सज्जनों को उससे संतोष होगा। हमारे देहाती क्षेत्र

[श्री रामशरण यादव]

की जनता में एक जीवन आयेगा, एक नई स्फूर्ति पैदा होगी। इस बिल में जनतंत्रात्मक प्राविधान किया जायगा, ऐसी घोषणा की गई थी। यह भी घोषणा की गई थी कि आगे आने वाले डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स बिल का इंगलैंड के काउन्टी कौंसिल बिल के आधार पर निर्माण किया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब इंगलैंड के काउन्टी कौंसिल बिल का नाम लिया गया तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता हुई कि इसमें जरूर कुछ न कुछ आकर्षण होगा और उस समय जब कि हमारे देश में प्लानिंग के युग में और वयस्क मताधिकार के आधार पर जिला-परिषद बिल लाया जायगा तो जरूर उसमें कुछ न कुछ आकर्षण होगा इसलिये हमने उस बिल को पढ़ा भी और मेरे सामने मौजूद भी है।

इसके साथ ही साथ यह भी उम्मीद थी कि जब यह बिल आयेगा तो वह हमारे सदन का एक जुबली सेशन होगा। किन्तु हमारी आशा निराशा में परिणत हुई। इसका एक कारण और भी है कि मंत्री जी जो इस बिल के इंचार्ज हैं वह बड़े डेमोक्रेटिक हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें गर्व करना चाहिये कि वह जनतंत्र में विश्वास करने वालों में से एक हैं। हम लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा थी और हम उम्मीद करते थे कि मंत्री जी कम से कम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो भारतीय जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध होगी और जो अधिकार नेशन की इकाइयों को मिले हुये हैं, उसके ऊपर आघात और प्रतिघात होगा।

मान्यवर, बड़े दुख की बात है और इस बिल को पढ़कर हृदय बैठ गया। इसके संबंध में १९३७ में खेर कमेटी बैठी थी अंग्रेजी राज्य में और उस समय हम स्वतंत्रता के संग्राम में लगे हुये थे। उस समय जो उसने सिफारिश की थी उनको देखते हैं तो और भी निराशा होती है। हमें बड़ी उम्मीद थी लेकिन स्वतंत्र होने के बाद जो अधिकार अंग्रेजों के राज्य में मिले हुये थे, वह भी छीन लिये गये। खेर कमेटी की जो सिफारिशें थीं उनकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुराने ऐक्ट में मान्यवर, यह प्राविधान था कि जिला परिषदों को अपने बजट का पूरा अधिकार था। जितना भी वह बजट बनाता था वह घटाया जा सकता था लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह भी अधिकार था कि किसी गवर्नमेंट आफिसर को सहायता के लिये चेयरमैन या कोई भी कमेटी बुला सकते थे। इस का विकेन्द्रीकरण इतना था कि चेयरमैन को अकेले कोई भी अधिकार नहीं था। वहां पर सब कमेटी का रूल था और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पुराने ऐक्ट में यह प्राविजन था कि उसका कार्य एक सब कमेटी द्वारा होता था और जितने भी विभाग थे उनसे संबंधित कमेटियां बनाई गई थीं जिसमें कम से कम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हर सदस्य किसी न किसी कमेटी का मेम्बर होता था। और वह उस विभाग से संबंधित सारे कार्य को जो फैसला जिला बोर्ड से होता था उसको चलाया करता था। अगर कहा जाय कि वह विभागीय एक्जिक्यूटिव थी तो सही होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जिला बोर्ड अपने अधिकारियों को स्वयं नियुक्त करता था। केवल कुछ अधिकार लिये गये थे जैसे सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गवर्नमेंट नियुक्त करती थी। लेकिन सुपरविजन पूरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का था। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अंग्रेजी जमाने में जिस वक्त हमारे देश के कर्णधारों ने इस बात की जोर से मांग की कि प्लानिंग के युग में देहात की जनता को सुख पहुंचाने के लिए जनता को ज्यादा से ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है और उसके लिए एक ही साधन है कि ज्यादा से ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व हो, रूरल एरिया की हर एक इकाई की नुमाइन्दगी होनी चाहिए, उसका मत होना चाहिए, उस समय जब कि हमारा सारा पब्लिक एक्सचेकर अंग्रेज के हाथ में था उस समय हमने मांग की थी कि अडल्ट सफरेज के आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव किया जाय और चुनाव किया गया। केवल सदस्यों का नहीं, चेयरमैन का चुनाव किया गया। लाखों वोटर थे। उनके द्वारा सीधा चुनाव किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, उसूलों के लिए हम मरते और जीते हैं। किसी भी किस्म की आपत्ति हो उसूलों से हटा नहीं जा सकता। इस बिल के उद्देश्य और कारणों में भी साफ-

साफ दिया गया है कि जब कि वयस्क मताधिकार के ऊपर हमारा सारा राज्य चल रहा है तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जिले के स्तर पर एक आटोनामस बाडी का निर्माण करना आवश्यक था और सरकार का ध्यान स्वाभाविक रूप से उधर जाना आवश्यक था। यही प्लानिंग कमीशन की सिफारिश थी। इस बिल में अप्रत्यक्ष चुनाव रखा गया है, बिल को पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि पैसे की मजबूरी के कारण ऐसा किया गया। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इस पर कहीं और भी उसूलों से हटे हैं? केवल जो जनता को बालिग मताधिकार का अधिकार अमूल्य रत्न था उसको छीनने के लिए उतारू हुए हैं केवल रुपये की कमी के कारण जब कि इस सदन में बार-बार आवाज आती है कि रिश्वत पर, करप्शन पर, रोक लगाइये। अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन बालिग मताधिकार का जो अमूल्य रत्न जनता को दिया गया है उसको छीनने के लिए वह डटे हुए हैं। इसका विरोध इधर से ही नहीं है उधर से भी है। केवल एक माननीय सदस्य जो अभी-अभी मुझ से पहले बोले पता नहीं उनका क्या पैटर्न है, किस दृष्टिकोण से इस बिल को देखा मैं नहीं कह सकता। कौन-सी पालिसी, कौन-सा नक्शा उनके दिमाग में था। गांधी जी का नक्शा तो था नहीं। तो कहां तक इस बिल को डेमोक्रेटिक मानें, रैडिकल मानें, ज्यादा शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया हो, अगर हम इसका १९२२ के ऐक्ट से मुकाबला करें तो उससे नीचे छिप जाता है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो इंगलैंड के काउंटी काउंसिल पर आधारित नीति को उस वक्त जिस वक्त उन्होंने घोषणा की थी यह कोई नहीं कह सकता कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बिना किसी कांउटी कौंसिल ऐक्ट के पढ़े हुए, क्या उसका नक्शा होगा, क्या उसमें असमर्थता होगी, बिना उसको जाने बूझे हुए उसकी घोषणा कर दी होगी कि उसके आधार पर हम जिला-परिषद् बिल बनायेंगे। जरूर उनको ध्यान होगा। हमारे माननीय सदस्य ने तो ऐसी वकालत की कि मालूम यह होता है कि ऐसा प्रिजम्पशन उन्होंने लिया है कि जो भी जिला परिषद में चुनाव होगा वह सब नाकाबिल आदमी चुने जायेंगे, नावाकिफ, इल्लिटरेट, अनएजूकेटेड चुने जायेंगे।

(इस समय ४ बज कर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह तमाम क्वालीफिकेशंस उन्होंने दे डाली उस एलेक्टर को जो कि आपको यहां भेजता है, माननीय मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द को भेजता है, माननीय विचित्रनारायण शर्मा को भेजता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजता है। मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि क्या यह पहले से प्रिज्यूम कर लिया जाय कि वह वोटर ऐसे नालायकों को भेजेगा? क्या वह अपने ऊपर ऐसी सत्ता कायम करेगा जो बिलकुल नालायकों की होगी? जिस देहात के वोटर से हम आये हैं, आप आये हैं, बड़े-बड़े बी० ए०, एल-एल० बी०, मिनिस्टर, और गवर्नर आये हैं क्या वह चेयरमैन और सदस्य को नहीं चुन सकता है? और, अगर आपको यही प्रिजम्पशन लेना था तो आपने जो उद्देश्य घोषित किया है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा वह सत्ता का विकेन्द्रीकरण किसको करने जा रहे हैं? क्या उस बेपढ़े लिखे नालायक को? अगर आपका यह ख्याल था कि वह बिलकुल नालायक आदमी है, वह नालायकों को चुनेंगे नालायकों का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनेगा तो क्यों आपने सत्ता के विकेन्द्रीकरण की आवाज उठायी थी? ऐसा कहना आपको वाजिब नहीं था और वह भी उस वोटर के लिये जो कि पब्लिक एक्सचेकर का एक अंग है। आपको उसके प्रति गद्दार कहा जायगा, क्योंकि आपने उसके बालिग मताधिकार का हनन किया है यह आवाज इस सदन में उठाकर। बड़ा दुख होता है अध्यक्ष महोदय! मैं कहने जा रहा था कि बिल को जब हम काउंटी कौंसिल के आधार पर तौलते हैं, उस तराजू पर तौलते हैं जो हमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी थी तो हमको इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है। बहुत बड़ा पासंग इसमें मिलता है। मैं चाहता था कि इस मानसून सेशन को एक जुबिली सेशन करार देता लेकिन दुख है कि ऐसा करने में मजबूर हूं और वह इसलिये आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का न्याय इस बिल में जो प्राविधान किये गये हैं, जो उसूल हैं उनको कार्यान्वित करने के लिये

[श्री रामशरण यादव]

जो प्राविधान किये गये हैं केवल उन्हीं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक एलेक्शन कमीशन बिलकुल एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, हाई पावर कमीशन बना हुआ है और हम लोगों को चुनकर के, पार्लियामेंट को चुन कर के भेजता है, संसद् के सदस्यों को चुनकर के भेजता है और उसमें जो सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के उसूल माने गये थे उनका भी हनन किया गया है।

मान्यवर, इसमें एक प्राविधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह २१ वर्ष का हो गया हो लेकिन अगर वह किसी जुर्म में सजा पा गया हो और उसको पांच वर्ष न बीत चुके हों तो वह वोट नहीं दे सकता है न वोट ले सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्राविधान और है इसी सिलसिले में कि जो राज्य-विरोधी हो वह भी नहीं दे सकता है। लेकिन उसकी परिभाषा कहीं नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, अब राज्य विरोधी किसे कहा जाय यह बड़ा भयंकर प्राविधान है और डर यह लगता है कि पता नहीं इसका तर्जुमा कैसे लगाया जाय और कौन तर्जुमा लगाने वाला हो। भिन्न-भिन्न इसके अर्थ लगाये जा सकते हैं। न जाने कितनी रिट्स इसके ऊपर आ सकती हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि जो एंटी नेशन हो जरूर उसका गार्ड किया जाय। लेकिन इसको डिफाइन्ड होना चाहिये कि कौन राज्य-विरोधी कहलायेगा। या तो ताजीरात हिन्द में जो दफा दी गई है दफा १२० आदि, वह रख दिया जाय कि उसके अन्दर जो आयेगा वह कहलायेगा राज्य-विरोधी, वरना बड़ा भारी खतरा है इसके अलग अलग माने लगाये जा सकते हैं। इसके लिये दूसरा प्राविजन नहीं है चाहे वह कोई भी जुर्म में सजा पाये हो। कैटिल ट्रेसपास के केस दफा २४ के अनुसार आये दिन होते रहते हैं और न्याय पंचायत उनके ऊपर जुरमाना करती रहती है। तो फिर इसके माने क्या होंगे जुरमाना होगा या सजा होगी। अगर इसको बहुत ही माइन्यूटली इन्टरप्रेट किया जाय तो ला कोर्ट और हाईकोर्ट इसको भिन्न-भिन्न इन्टरप्रेट करेंगे और भिन्न व्यू ले सकते हैं। मंत्री जी की बहस इस पर और हो सकती है लेकिन मैं तो इस प्राविजन के ही खिलाफ हूं। यह सही है कि ऐन्टी सोशल एक्टीविटीज के जो काम है जिसमें उसको सजा हुई हो चाहे वह एक साल की हो या दो साल की जब तक उसके चालचलन संबंधित कोई भी प्रतिबन्ध यदि हो, नहीं हटा दिया जाता तब तक उसको अनर्हता प्राप्त नहीं होनीचाहिये। वह शब्द यहां पर नहीं है। जो एलेक्शन के लिये मोरल टरपीट्यूट कहा गया है। वह यहां पर भी होना चाहिये। विरोधी पार्टी रोज एजीटेशन करेंगी और जेल जायगी। इसके यह माने नहीं निकलते हैं कि वह ऐन्टी सोशल होंगे क्योंकि आपका प्राविजन इस प्रकार है। यह बालिग मताधिकार के उसूलों का हनन है। इसके यह साफ माने हैं कि सरकार यह चाहती है कि विरोधीदल को दबा दिया जाय और इस तरह का कोई भी आदमी एलेक्शन में खड़ा न हो सके। इसके यह साफ माने निकलते हैं और मंत्री जी के खिलाफ हमारा चार्ज है कि सत्ताधारी पार्टी अपनी पार्टी को बदस्तूर कायम रखने के लिये इस तरह से कर रही है और उसी नीति को सारे इस ऐक्ट में निर्धारित किया गया।

हमारे लायक दोस्त उधर से यह फरमा रहे थे कि साहब चूंकि वहां पर बगैर पढ़े-लिखे लोग आयेंगे और यहां पर सब इंगलैन्ड रिटर्न लोग आते हैं वहां पर ऐसे लोग नहीं आयेंगे, बेवकूफ लोग आयेंगे तो उनकी नाकाबिलियत को, उनकी गलती का चेक करने के लिये यह रखा गया है। एक तरफ तो यहां पर विकेन्द्रीकरण की घोषणा करें और आटोनामस बाडी बनाने की घोषणा करें और दूसरी तरफ चेक करें और लिमिटेशन रखने की बात सोचें हालांकि आप लिमिटेशन रखकर भी यह समझते हैं कि वह आटोनामस बाडी है लेकिन मैं कहता हूं कि हरगिज नहीं। मैं समझता हूं कि मेरे लायक दोस्त सही नहीं फरमा रहे थे और वह अपने को दुरुस्त कर लें।

मान्यवर, इस बिल में ३, ४ उसूल की बातें हैं जिनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस बिल में यह रखा है कि जो ५० के ऊपर के एप्वाइन्टमेंट होंगे उनकी नियुक्ति यू० पी० सरकार करेगी चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनकी नौकरियों को माने या नहीं। अगर २ साल से जगह खाली पड़ी है तो यहां से आदमी सरकार भेज सकती है बिला पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐप्रूवल के भी। इसी तरह से परिषद्

अगर बजट को पास नहीं करती है एक निहित तारीख के अन्दर तो कमिश्नर उस बजट को बना देंगे। इस तरह से अगर परिषद् बना दे तो कमिश्नर उसको चेक कर सकता है और कमिश्नर सुपरवाइज करेगा और घटा और बढ़ा भी सकता है। इसी तरीके से अगर कोई कार्य परिषद् न करे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कार्य को करा लेंगे। उनको पूरा अधिकार है और जिला परिषद् के किसी भी मेम्बर की अनुमति के बिना वह उसके फंड को आसानी से खर्च कर सकते हैं। कोई भी चेक उनके ऊपर किसी किस्म का नहीं है चाहे वह जायज करें या नाजायज करें। इसी प्रकार से सरकार अपना एक एक्जीक्यूटिव अफसर रखेगी और वह सब अधिकारियों के ऊपर रहेगा। एक्स-आफिशियो मेम्बर रख दिये और कहा यह गया कि मदद करने के लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले जब हम कम पढ़े लिखे थे तब हमको अधिकारियों की सहायता नहीं दी गयी थी। उस समय हमको उस सहायता की जरूरत थी। १९३७ में आपकी कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि यहां किसी तरह की एक्स-आफिशियो मेम्बर या गवर्नमेंट के लोगों की दस्तन्दाजी न हो तो लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। उनका रहना ही हमारे राइट्स में इंटरफियरेंस होना है। उनकी जरूरत नहीं है। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब हमको जरूरत थी तब हमको कोई सहायता नहीं दी गयी से उस समय अधिकार दिया गया था कि अगर जरूरत पड़े तो आप अधिकारियों को सूचना या सहायता के लिये बुला सकते हैं। आज जब हम इतने काबिल हो गये हैं कि हमने अंग्रेजों को हटा कर राष्ट्र की लगाम अपने हाथ में ले ली तो उस समय हमको सहूलियत के रूप में हमको यह बात कही जा रही है कि वहां अधिकारियों का होना जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी क्या आवश्यकता है। जिस विभाग के मुताल्लिक चर्चा चल रही होगी उस पर वह अपनी राय दे सकते हैं, तो उनको पदेन सदस्य बनाकर उनकी उपस्थिति अनिवार्य क्यों कर दी गयी। एक ही बात एक ही कारण इसके लिये समझ में आता है, कि सरकार की दस्तन्दाजी इन एजेन्ट्स के द्वारा हो।

इसी प्रकार आपने जब बालिग मताधिकार की बात कही तो फिर कोआप्ट करने की बात हटा देनी चाहिये। इसकी आवश्यकता नहीं है। हर आदमी चुन कर आता है और चुना जा सकता है। कमेटियों के द्वारा आपने सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया। जब डाइरेक्ट एलेक्शन की बात है और मेरे ख्याल से तीन-चौथाई हाउस का उसमें विश्वास है तो कम से कम परिषद् के सदस्यों का चुनाव अवश्य ही इसी प्रकार होना चाहिये और मंत्री जी को यह बात मान लेनी चाहिये वरना बड़े भयंकर परिणाम होंगे और विरोधी दल को न मालूम क्या-क्या इसके लिये सोचना पड़ेगा। जब बालिग मताधिकार की बात है, तो टाउन एरिया भी चुनेंगे और वहां के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। गांव पंचायतें, न्याय पंचायतें और कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर्स, सभी उसके मतदाता होंगे, तो कोई वजह नहीं है कि किसी स्पेशल क्लास का प्रतिनिधित्व अलग से रखा जाय। डाइरेक्ट एलेक्शन होना चाहिये जिला-परिषद् के सदस्यों का और यही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मांग है और पालिसी है। जिला लेविल पर जो अटोनामस बाडी बन रही है उसको प्रत्यक्ष चुनाव करा कर बनाना चाहिये वरना वह अटोनामस बाडी नहीं कही जा सकती।

मान्यवर, इसी प्रकार से मैं आपके जरिये मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिला-परिषदों की जो नियुक्तियां हों उनमें सरकार का कतई हाथ न होना चाहिये। इंगलैण्ड की काउन्टी काउन्सिल्स, जिसको पैटर्न चुना गया है, मैंने उसके बारे में पढ़ा कि सिवाय जस्टिस आफ पीस, जो न्याय करे किसी प्रकार का उस रूरल एरिया में किसी ने कोई जुर्म कर दिया हो तो १५ शिलिंग तक वह जुर्माना कर सकती है। किसी भी दूसरे क्षेत्र में न तो कोई नामजद अधिकारी रहता है और न एप्वाइंटेड अधिकारी का प्रावीजन है और काउंटी कौंसिल जब अपने बजट को कंट्रोल करेगी तो वहां वह अपने टर्म्स आफ कंडीशंस को गाइड करेगी। आपने २,००० रुपये की तनख्वाह का एग्जिक्यूटिव आफिसर वहां पर भेज दिया, एक वित्त अधिकारी आई० ए० एस० रैंक का भेज दिया और सारे परिषद् के बजट को हड़प कर लिया।

[श्री रामशरण यादव]

यहां एक छोटी सी मांग थी कि हमारे सेक्रेटेरियट के जो अधिकारी हैं, आफिसर्स हैं, उनका स्केल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के स्केल के बराबर क्यों न किया जाय, तो कहा जाता है कि उनके और हमारे रिसोर्सेज आफ इनकम अलग-अलग हैं इसलिए यह सम्भव नहीं है। यह चीज आप जिला परिषद् पर क्यों नहीं लागू करते हैं? आप चाहते हैं कि अपने ढंग से खर्च करें और मनी मैटर्स में उनको कोई अधिकार न दें। आफिसर्स के सुपरवीजन में सारे अधिकार देना चाहते हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जैसा कंट्रोल होना चाहिए वह वैसा नहीं है। नतीजा यह है कि वह निरंकुश है, चाहे पार्टी-बन्दी करे, चाहे उल्टम-सुल्टम करे। क्योंकि वह समझता है कि हम तो परमानेंट हैं, जब तक गवर्नमेंट कोई ऐक्शन न ले तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से वहां का काम कैसे चल सकता है। हरगिज नहीं चल सकता। दस्तन्दाजियां अब भी हो रही हैं। आपने प्लानिंग के ए० डी० एम० कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किये हैं, उनके जो रिजोल्यूशन पास होते हैं उनका पता भी नहीं रहता। लिखित रिजोल्यूशन जो पास हुआ उसके जब मिनिट्स सुनाये जाते हैं, तो बदले हुए फैसले सुनाये जाते हैं, जिसे कहना चाहिए "फोर्ज्ड", और जब एतराज करते हैं तो एतराज तक लिखने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ए० डी० एम० प्लानिंग जो हैं उन पर परिषद् का अधिकार नहीं है वरना उसकी हिम्मत न पड़ती कि इस प्रकार के डाक्यूमेंट को फोर्ज करें।

हमारे माननीय सदस्य एटा ने अपने यहां की बात बतलाई। यह कितनी गलत बात है कि ये आपके कार्यकारी अधिकारी व्यवस्था के लिये जायंगे या अव्यवस्था के लिए? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कौंसिल को अपने ढंग से अधिकारी नियुक्त करने की पावर्स आपने नहीं दी और यह किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल मांगे। हमको जो हमारे जिले की परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अपने ढंग के नौकर चाहिए और कमीशन अपने ढंग से भेज रहा है, तो यह जो डयूअल कंट्रोल है इसको हटा देना चाहिए, यह डेमोक्रेसी है।

ठीक इसी प्रकार मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के पद के उधर माननीय सदस्यों ने बड़ी वकालत की। मेरी समझ में नहीं आया कि यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर का पद क्यों है। कमिश्नर के लिये यह बात कही जा सकती है कि उसके पास रेवेन्यू केसेज की कुछ अपीलें जाती हैं। कुछ देर के लिये, बहस के लिये मान लेता हूं कि सही है लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या काम करता है। अब तो बहुत से जिलों में ए० डी० एम० (जुडिशल) नियुक्त हो गये हैं और ए०डी० एम० (प्लानिंग) और ए० डी० एम० (एक्जीक्यूटिव) भी अलग से नियुक्त हो गये हैं, फिर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कायम है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस सुपरिन्टेंडेंट अलग से है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर अलग है, डिस्ट्रिक्ट पंचायतराज आफिसर अलग है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर अलग है, एनिमल हस्बैंड्री आफिसर अलग है, इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स अलग है, हर विभाग से सम्बन्धित जिले के स्तर पर मुकम्मिल आपका अधिकारी मौजूद है। क्या यहां पर लखनऊ में सेक्रेटेरियट के जो डिपार्टमेंट्स हैं सम्बन्धित क्या वे सीधे उन अफसरों की कनपकड़ी नहीं कर सकते, क्या सीधे उससे सूचना नहीं मंगा सकते, बेकार में वहां पर एक अहलमद, फार्वडिंग आफिसर क्यों बना रखा है? क्या जरूरत है कि पुलिस की सूचना डी० एम० के द्वारा आवे, १५ दिन तो उसके आफिस में ही लग जाते हैं इसलिये क्यों न ६-६ महीने के बाद हमारे प्रश्न यहां असेम्बली में दिये जायं। वहां पर जितने भी आफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, हेल्थ आफिसर वगैरह उनसे सीधे सूचना क्यों न आये। दो घंटे में पूरी सूचना आपको उनके द्वारा मिल सकती है, उनके पास सब रिकर्ड्स रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह डबल सिस्टम क्यों कायम है। आज डी० एम० एक्जीक्यूटिव हेड भी बना हुआ है, कस्टोडियन भी है और फार्वडिंग आफिसर भी है, मैं कहता हूं कि डी० एम० को वहां रखने की क्या आवश्यकता है। जुर्मों से सम्बन्धित सूचना एस० पी० के यहां से मिलती है फिर डी० एम० की क्या आवश्यकता है। फिर जेड० ए०

ऐक्ट में बहुत से अधिकार मुंसिफों को और जजों को दे दिये गये हैं, रेवेन्यू केसेज भी मुंसिफों को दिये जा सकते हैं। मुंसिफों के यहां, चूंकि अब ५०० रुपये तक के दावे पंचायतों के यहां चले गये, अब काम नहीं रह गया है। और आज जो लेजिस्लेशन का ट्रेन्ड है वह सिविल वर्क को कम करता चला जा रहा है और ट्रेड यूनियन और लेबर लाज की तरफ ज्यादा जा रहा है जहां पर न वकीलों की ज्यादा जरूरत है और न कदाचित् मुंसिफ और लीगल कोर्ट्स की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर आपने इनको मान्यता नहीं दी है। तो अब काम कम हुआ, जो रेवेन्यू केसेज कमिश्नर के यहां होते हैं उसके लिये इनको क्या आप नाकाबिल समझते हैं। तो आप जो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बनाने जा रहे हैं उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रखने की। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा सवाल है, पालिसी से सम्बन्धित है और शासन व्यवस्था से भी इसका सम्बन्ध है। बड़ी देरी होती है और फिजूल तमाम रुपया खर्च होता है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी की काबिलियत की सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल में एक प्राविजन रखा है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको एक्सआफिसिओ मेम्बर रखा है अगर वह उस जिले के किसी भी एरिया का रहने वाला हो, बाई वर्चू आफ हिज परमानेन्ट रेजिडेन्स। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि लेजिस्लेटर्स को प्लानिंग में लेना चाहिये, वह अपनी काबिलियत से वहां पर मदद करेंगे, जिले की प्लानिंग कराने में और ऊपर से बंदिश लगाई जाती है कि वह उस जिले का रहने वाला हो। अध्यक्ष महोदय, बहुत से एम० पी० हैं जिनके क्षेत्र एक जिले से दूसरे जिले में पड़ते हैं। इसलिये अगर उनको उसमें नहीं लिया जाता है तो क्या उनसे जनता नहीं मांग करेगी कि आपने हमारे इलाके में क्या काम किया। अध्यक्ष महोदय, कानून है कि यू० पी० का रहने वाला असेम्बली के लिये कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अगर अपने जिले को छोड़ कर दूसरे जिले से चुन कर आवें तो वहां की जनता को अधिकार नहीं है कि उन एम० एल० ए० से कह सके कि तुमने हमारे क्षेत्र के विकास में क्या हाथ बटाया। अगर मंत्री जी की कोई दूरंदेशी लेजिस्लेटर को कायम रखने की थी तो यह बंदिश क्यों लगाई? कांस्टीटयूएंसी या पार्ट आफ कांस्टीटयूएंसी रखना चाहिये था। निवासस्थान को क्यों नियत किया गया? असेम्बली और पार्लियामेंट के मतदाताओं के लिये रखा है कि इलेक्शन से ६ महीने पहले जहां कहीं आर्डिनरिली रहता हो या बिजिनेस करता हो, लेकिन यहां परमानेंट रेजीडेंस कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन ने माना है उसके भी विरुद्ध इसमें प्रावीजन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह उचित ही होगा कि मंत्री जी से यह भी निवेदन कर दूं कि इलेक्शन पेटीशन के साथ इसमें करप्ट प्रैक्टिस का प्रावीजन कहीं नहीं है। इनको कहीं दिमाग खर्च करने की या इंगलैण्ड के किसी एक्सपर्ट से पूछने की आवश्यकता नहीं थी, हमारे यहां रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में करप्ट प्रैक्टिस अच्छी तरह दी हुई है। उनको केवल १ या २ रुपया छपाई की कंजूसी के कारण यहां न रख कर कह दिया गया कि रूल्स में रहेंगे। ये बहुत ही मौलिक सिद्धान्त की बात है, जो एक मतदाता के नागरिक अधिकारों का हनन करती है और मानमर्दन करती है।

मंत्री जी बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब यहां नो-कान्फिडेंस मोशन पर विचार हो रहा था तो हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल ने पार्टी नीति, बड़ी हिम्मत से और अपनी सरकार बनाने पर, पहला काम बताया था कि हम पुलिस को भी जिला-परिषद् के अधिकार में दे देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री महोदय लोकल पुलिस, जिले के स्तर पर पुलिस को, उसके ऊपर कंट्रोल बिलकुल इन जिला-परिषदों को दे दें, उन्हें सौंप दें, ताकि शासन में सुविधा आवे। इसके बिना पुलिस का करप्शन दूर नहीं हो सकता है और एफीशेंसी असम्भव है। जब तक जिले के स्तर पर विकेन्द्रीकरण नहीं किया जायगा, यानी जितनी भी जिले के ऊपर शक्ति केन्द्रित हो, वह पूरी की पूरी विकेन्द्रित की जाय तभी जिले के शासन में एफीशेंसी और मितव्यता आ सकती है। जिले के स्तर पर जिला-परिषद को बिल्कुल एब्सोल्यूट

[श्री रामशरण यादव]

आटोनोमी देने की आवश्यकता है। अंग्रेज यह कह सकते थे कि तुम नालायक हो लेकिन यह बात हम आपके मुंह से नहीं सुन सकते। जिस मतदाता ने आप को चुना है उसी को आप नालायक बताते हैं।

मान्यवर, एक बड़ा भारी प्रश्न गांव पंचायत और टाउन एरिया के संबंध का है। प्रश्न यह है कि ये दोनों जिला-परिषद् के साथ कोआर्डिनेट बेसिस पर काम करें या सबार्डिनेट बेसिस पर काम करें। राय भिन्न है और भी राय हो सकती हैं। इस बिल के द्वारा उनको सबार्डिनेट बना दिया गया है। हम लोग जो चौखंभा राज्य के हामी हैं, इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि उनके रिलेशन्स कोआर्डिनेटेड बेसिस पर हों। उनके काम को आपस में बांट दिया जाना चाहिये और कोई किसी के काम में दस्तन्दाजी न करे। इसके अलावा गांव पंचायतों को कम से कम प्राइमरी एजूकेशन का सुपरविजन तो दे ही देना चाहिये। मैं यह जानता हूं कि गांव सभायें फाइनेन्सेज की पूरी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती हैं, लेकिन सुपरविजन उनको अवश्य दे दिया जाना चाहिये, उससे जनता को बड़ी सहूलियत होगी। आजकल गांव पंचायत में जो स्कूल्स हैं, उनमें गांव पंचायत के फंड से कुछ रुपया भी लगता है। एक मास्टर है। अगर वह छुट्टी जाना चाहता है तो किससे छुट्टी ले कर जाय। यदि बिना छुट्टी जाये उस बीच में कोई इंसपेक्टर आ जाता है तो अगर वह चापलूसी करने वाला हुआ तब तो बच गया नहीं तो उससे एक्सप्लेनेशन मांग लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपकी कमेटी ने उस वक्त मांग की थी कि उनको कुछ काम दिया जाय क्योंकि उसके कारण दिलचस्पी रहती है। जब तक अधिकार न हो, कुछ फंड न हो तब तक निष्क्रियता ही रहती है। इसलिये प्राइमरी एजूकेशन का सुपरविजन उनको मिलना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल के फंड में से भी उनको कुछ औसत धन मिलना चाहिये। गोविन्दसहाय जी की कमेटी ने भी कहा है कि गांव पंचायतों के कोआपरेशन को हासिल करना चाहिये, बिना उसके प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती। उसके लिये उनको २५ प्रतिशत फंड भी मिलना चाहिये। मैं एक रिजिड कोटा तो नहीं बता सकता क्योंकि सब स्थानों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं लेकिन उसके लिये कुछ मिनिमम अवश्य होना चाहिये। अन्तरिम जिला-परिषदों को गवर्नमेंट लोन देती है लेकिन डिस्क्रिशन सरकार का ही रहता है। जिले ने एक करोड़ की प्लानिंग मंजूर की, लेकिन उसके पास ५० लाख रुपये ही हैं। बस उसकी वह प्लानिंग ठप्प हो जायेगी। और मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अभी जो प्लानिंग कमीशन ने थर्ड फाइव ईयर्स प्लान का प्रिन्सपुल अख्तियार किया है वह मूल प्रिंसिपिल यह है कि अब तक तो वह प्लानिंग ऊपर से नीचे का करते थे लेकिन अब जनता के सहयोग को लेकर नीचे से प्लानिंग करेंगे। तब तो मान्यवर यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ रेट मुकर्रर करे, अपनी आमदनी का कुछ परसेंटज मुकर्रर करे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने इंगलैंड की काउंटी कौंसिल के पैटर्न को स्वीकार किया है तो मैं याद दिलाऊं, मैं कह नहीं सकता कि हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति उसी तरह की है जैसी कि वहां है, लेकिन जो उसूल उन्होंने बनाया है। उसमें है कि ४० फीसदी काउंटी कौंसिल को अवश्य दिया जायगा। क्योंकि सारा काउंटी एरिया का काम उन्हीं को दिया जाता है। मैं भी इस बात की सिफारिश करने के लिये तैयार हूं और हिम्मत के साथ कहने को तैयार हूं कि कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी क्योंकि जब आप उनको पैसा अधिक देंगे तो काम करने का उनका क्षेत्र भी बढ़ जायगा और इधर आपका फाइनेन्स भी सरप्लस पड़ जायगा। जैसे ४० मील रोड बनाने की बात है, अगर परिषद् ने उसे बना दिया तो खर्चा तो उसी के ऊपर जायगा और जो उसके लिये आपके बजट में रखा हुआ है वह सरप्लस पड़ जायगा। इसलिये इसका वहां जाना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, मैं बहुत सोच समझ कर, आंकड़े देख कर, दो चार रिपोर्ट्स का अध्ययन करके तथा टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी वगैरह की रिपोर्ट को देख कर इस राय का हूं, मैं नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी मेरी इस राय की होगी या नहीं, लेकिन मैं यह अवश्य सिफारिश करता हूं कि

२५ प्रतिशत से लेकर ४० प्रतिशत तक जैसी भी जिले की परिस्थिति हो, कम से कम मिनिमम कोटा २५ प्रतिशत यहां के स्टेट बजट से हर डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहिये। इससे उनका फाइनेन्स भी बहुत तगड़ा होगा और किसी भी काम को करने के लिये उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि उनको कह दिया जाय कि तुमने फलां काम नहीं किया इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वह परिषद् को सुपरसीड कर सकेगा। इसमें मान्यवर यह तय है कि अगर विरोधी दल के आदमियों ने सत्तारूढ़ दल के चेयरमैन के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव पास किया तो वह चेयरमैन यह कभी भी सिफारिश नहीं भेजेगा गवर्नमेंट के पास कि मेरे ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास करके हटा दिया गया है। बल्कि वह तो यही लिखेगा कि इस प्रस्ताव को पास कराने वाले इस काबिल नहीं हैं कि इनमें से किसी को चेयरमैन चुना जा सके इसलिये इसे सुपरसीड कर दिया जाय, खतम कर दिया जाय। मान्यवर, आपकी सूचना के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इंगलैंड के काउंटी कौंसिल ऐक्ट में कहीं भी उसके डिजाल्यूशन, सुपरसेशन या सुपरवीजन का जिक्र नहीं है। सुपरवीजन के सम्बन्ध में केवल यह जिक्र है कि अगर डिपार्टमेंट के मुताल्लिक कोई कमेटी किसी कार्य को कराने में असमर्थ हो और किसी गलत कारण से, किसी पार्टीबन्दी की वजह से तो स्टेट का मिनिस्टर इन्चार्ज जो होगा वह उस काम को अपने हाथ में लेकर एक्जीक्यूट करा सकेगा। वह बजट को घटा बढ़ा नहीं सकता है, बजट तो वही रहेगा। अगर खुद नहीं करा सकेगा तो दूसरी कमेटी मुकर्रर करा कर उससे वह काम करा सकेगा। श्रीमन्, इसमें यह बड़ा भारी अन्देशा दिखाया गया है कि इससे काम बढ़ जायगा। लेकिन मैं समझता हूं कि यह अन्देशा गलत है, हमेशा काम नहीं बढ़ सकता। माननीय मिनिस्टर साहब को मालूम होना चाहिये कि जो हमको यहां बैठाने वाले हैं वह हमसे ज्यादा विद्वान हैं। वह लोग भले ही पढ़े लिखे न हों लेकिन वह इस अर्थ में अवश्य योग्य है कि वे जिले की परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। श्री गोविन्दसहाय कमेटी की भी सिफारिश है और फाइन्डिंग आफ फैक्ट्स में दिया हुआ है कि जिले की परिस्थितियों से उस जिले के और उस क्षेत्र के आदमी ही अधिक वाकिफकार हैं और जिले की प्लानिंग सफल नहीं हो सकती जब तक कि हम उन की राय न लेंगे। हम को क्या मालूम कि लखनऊ जिले के निगोहां क्षेत्र में कहां अस्पताल की जरूरत है? यह तो वहां की जनता ही बता सकती है यानी जिला स्तर पर ही हमें ठीक सलाह मिल सकती है। इस तरह से जब जिले जिले में प्लानिंग का काम बट जायगा तो अलग से स्टेट प्लानिंग की जरूरत न होगी लेकिन अगर ऊपर से ही प्लानिंग करना है तो हमें एतराज नहीं है, पहले दिल्ली में प्लानिंग हो फिर नीचे एग्जिक्यूटिव बाडी हो, जनता की या उस के सहयोग की फिर कोई आवश्यकता ही न होगी, अगर ऐसी बात हो तो मैं अपना सुझाव वापस ले सकता हूं लेकिन अगर नीचे से प्लानिंग करना है तो नितान्त आवश्यक है कि नीचे से प्लानिंग जनता की राय से किया जाय। अगर ऐसा करना है तो जिला-परिषदों को पूरा अधिकार देना चाहिये प्लानिंग करने के लिये और उसकी सही रूपरेखा बनाने के लिये।

श्रीमन् यह एक कनफ्यूज्ड बिल है अर्थात् सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं लेकिन बजट का विकेन्द्रीकरण नहीं कर रहे हैं, सारे प्लानिंग के अधिकार सरकारी अधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। जब कोई अधिकार नहीं हैं तो जिला परिषद् के सदस्य क्या भाड़ भूनने के लिये चुने जा रहे हैं। एग्जिक्यूटिव नामिनेट कर रहे हैं लेकिन अगर कोई एम० ए० है, लन्दन रिटर्न है या डाक्टर है तो उसकी कोई राय नहीं। यह कमेटी रूल उस वक्त हटा था जब कांग्रेस पार्टी पर हमला हुआ था और जिला बोर्डों में तमाम दूसरे विरोधी दल आने लगे थे। पहले कमेटी रूल था। इंगलैंड में काउन्टी कौंसिल हैं उनको सारे अधिकार हैं, वहां चेयरमैन को तमाम अधिकार हैं मगर कमेटी द्वारा, अगर कमेटी रूल हो जाय जैसा कि पहले था तो कोई आशंका ही नहीं रह जाती कि चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़े या बजट के मिस ऐप्रोप्रियेशन की कोई आशंका हो सके, जो कमेटी हो उनमें सदस्य अलग-अलग रख दिये जायं परन्तु एक से ज्यादा कमेटी का एक सदस्य मेम्बर न हो ताकि सब लोग कहीं न कहीं जिम्मेदार हो जायं। कोई प्लानिंग में दिलचस्पी रखता है तो उस को प्लानिंग में या कोई डाक्टर है, उस

[श्री रामशरण यादव]

को मेडिकल प्रोफेशन में या कोई एजूकेशनिस्ट है तो उसे शिक्षा कमेटी में रख दिया जाय । फिर क्या आवश्यकता है एग्जिक्यूटिव कमेटी को नामिनेट करने की ? अतः मैं आपके द्वारा सुझाव देना चाहता हूं कि देश की जनता और खास कर देहात की जनता के भले के लिये आप जिला परिषदों में स्टेचुटरी प्राविजन करें । मैं जानता हूं कि मंत्री जी जवाब देंगे कि हमने तो अब पूरे अधिकार दे दिये हैं कि आप चाहे जिस परपज के लिये कमेटियां बना लें लेकिन इसके जरिये से होगा यह कि जो बहुमत दल होगा , चाहे जरूरत हो या न हो वह अपने साथियों और सदस्यों को ओबलाइज करने की कोशिश करेगा, इस तरह से अनेक कमेटियां बनेंगी और नये नये टी० ए० आदि के बिल्स बनेंगे । इस प्रकार से जनता पर भार बढ़ता जायेगा । मैं यह नहीं चाहता। मैं माननीय मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि स्टेटुटरी प्रावीजन करिये कि जिला स्तर पर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के मुताल्लिक वहां पर कमेटी बनें । जैसे हेल्थ कमेटी, एजूकेशन कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, प्लानिंग कमेटी आदि । कोई आवश्यकता नहीं है लेजिस्लेचर्स के रहने की । लेजिस्लेटर अगर चाहें तो राय दे दें । जो भी सुझाव होंगे प्लानिंग कमेटी देख लेगी । हम चाहते हैं कि अमुक काम हो और अगर वहां बजट है ही नहीं तो कैसे होगा। हर एम० एल० ए० इस बात में दिलचस्पी रखेगा कि उसके क्षेत्र में प्लानिंग का काम जरूर किया जाय । इससे बड़ी भारी अराजकता होगी। इसलिये मैं कहता हूं कि लेजिस्लेटर्स को ज्यादा अधिकार न दिया जाय केवल यह हो कि वह अपने सुझाव चाहे तो भेज दें और अगर मुनासिब समझें तो प्लानिंग वगैरह के काम का निरीक्षण कर लें । इससे ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है ।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं मंत्री जी का ध्यान दो बातों की ओर और दिलाना चाहता हूं । वे ये हैं कि आपकी अध्यक्षता में मान्यवर जो कमेटी बनी थी उसमें यह उसूल निर्धारित किया गया था कि सिंगिल कांस्टीटुएन्सी बनाई जाय । यह नहीं कि तोड़-मरोड़ करें और ब्लाक के अन्दर ही करें । पापुलेशन का आधार माना गया था । मेरे खयाल से आपका नोट है कि हम सिफारिश करते हैं कि १२ हजार की आबादी पर एक प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आना चाहिये । मान्यवर, आज आबादी सन् १९३७ से बढ़ गई है । इसके माने यह कदापि नहीं कि शहर में ही आबादी बढ़ी,देहात में भी बढ़ी है और जब देहात की आबादी बढ़ी तो एक राय यह हो सकती है कि एक कांस्टीटुएंसी की आबादी बढ़ा दी जाय,मिसाल के तौर पर २० हजार कर दी जाय । मान्यवर, जब हम एक उसूल को मानते हैं कि अधिक से अधिक जनता का सहयोग, हो अधिक से अधिक राष्ट्र की इकाई का हिस्सा अपने क्षेत्र के कामों में ले सकें तो यह आवश्यक हो जाता है कि इस पापुलेशन के आधार को और घटाया जाय । मैं नहीं कह सकता कि इस प्वाइंट पर हमारे और माननीय सदस्यों की क्या राय होगी लेकिन मेरी यह राय है कि १२ हजार से घटाकर १० हजार की पापुलेशन पर एक कांस्टीटुएन्सी बननी चाहिये । जहां सुरक्षित सीट्स हैं, अनुसूचित जाति की सीट है, जो डबल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी हैं, वहां तो यह लागू नहीं हो सकता ।

एक हमारी टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी है उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी । रूरल एरिया सर्वे नाम ठीक याद नहीं है, उसने भी वहां की एकोनामिक कन्डीशन्स को अच्छी तरह से देखा और फाइंडिंग दी हैं । अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो रूरल एकानामिक कमेटी बनी थी जिसने रूरल सर्वे किया, उसने भी सिफारिश की है कि देहात के नागरिकों की पर कैपिटा आमदनी घटी है । और जब पर कैपिटा आमदनी घटी है तो टैक्स लगाते वक्त हमें जरूर ध्यान रखना चाहिये । मान्यवर, टैक्स का जो क्षेत्र है वह ऐसा नहीं है कि जिला-परिषदों तक ही निहित है । यह विषय जिला बोर्ड का है, जिला-परिषदों का है, गांव समाजों, गांव पंचायतों का है, सूबे की सरकार का है और हमारी केन्द्रीय सरकार का भी है । मान्यवर, कैसे ? इन्कम टैक्स लगता है, स्टेट सरकार संविधान के अन्दर जो चाहे टैक्स लगाये, जिला-परिषद् भी टैक्स लगायेगी, गांव पंचायत भी लगायेगी । और मान्यवर, अगर इंगलैंड या अमेरिका जैसा देश होता, इंडस्ट्रियल देश होता तो मैं मान सकता था कि भिन्न-भिन्न कालिंग्स और प्रोफेशन्स पर टैक्स लगाये जायेंगे । मल्टिपिल

टैक्स नहीं होगा । अभी एक कांग्रेसी भाई श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी ने कहा था कि देहात में बड़ा भारी भय फैला हुआ है कि टैक्स पर टैक्स । यह सही है । आपने भी सिफारिश की थी कि सरकमस्टांसेज और प्रापर्टी टैक्स हटा दिया जाय । इस पर हाईकोर्ट में एक मुकद्दमा गया था और उसकी रूलिंग है कि यह विषय फेडरल गवर्नमेंट का भी विषय हो सकता है । और मिसाल दूं जैसे इन्कम टैक्स । जब हमारी हैसियत आंकी जाती है, यह सही है कि लिमिट हो सकती है कि २,००० रुपये के ऊपर इन्कम टैक्स लगाया जायगा लेकिन यह भी तो है कि उससे नीचे वाली आय की भी तो गिनती की जायगी और जिला बोर्ड २,००० रुपये तक टैक्स लगायेगी। तो क्या यह मल्टीपिल टैक्स नहीं है । जनता टैक्स के मारे दबी हुई है, मैं भी इस राय का हूं कि वास्तव में सरकमस्टांसेज और प्रापर्टी टैक्स हटाया जाय । मैं तो इस राय का भी हूं देहात में ज्यादातर किसान हैं और किसान पर ३१ नये पैसे पर एकड़ का रेट रख दिया गया है । मैं चाहूंगा ३१ नये पैसे से अगर कम कहीं संख्या बनती हो. . . . . .

श्री अध्यक्ष--अभी आप और बोलेंगे ?

श्री रामशरण यादव--५ मिनट और लेना चाहता था, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--तो ठीक है ५ मिनट हम और बैठ लेंगे ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--मान्यवर, १९ तारीख की छुट्टी के बारे में जो कहा गया था, मैं जानना चाहता हूं कि छुट्टी होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--मैं सूचना दे रहा हूं ।

(माननीय रामशरण यादव से) मैं समझता हूं आप कल भाषण जारी रखें ।

मैं दो, एक सूचना दे देना चाहता हूं ।

कार्य-क्रम के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--एक तो माननीय पालीवाल जी ने यह कहा था उपनेता सदन से कि क्या यह सम्भव है कि १९ तारीख को भी यह सदन बन्द रहे क्योंकि १४ से १८ तो बन्द होने ही वाला था। इस पर उपनेता सदन ने मुझे यह लिख कर भेजा है और वह राजी हैं कि १९ तारीख को भी सदन नहीं बैठे २० तारीख से बैठेगा । १३ तारीख को काम हो कर १४ तारीख से बन्द हो जायगा ।

दूसरी सूचना यह है । मैंने रखा था इलाहाबाद और गोरखपुर विश्वविद्यालयों की कोर्ट की सदस्यता के लिये ५, ५ सदस्यों का चुनाव और प्रदेश शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में १७ तारीख रखी थी तो अब २० तारीख रहेगी ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--हमारी यह विश्वस्त सूत्र से सूचना है कि यह सदन जब उठेगा १३ को तो फिर महीने दो महीने के बाद बैठेगा ।

श्री अध्यक्ष--यह आपकी सूचना है ।

श्री राजनारायण--विश्वस्त सूत्र से सूचना है और मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा. . . . . .

श्री अध्यक्ष--बहुत से नवयुवकों को खुशी होगी कि उन्हें छुट्टी मिली ।

श्री राजनारायण--उनकी खुशी के लिये सारे प्रदेश की जनता को न डुबोया जाय । ऐसा होना नहीं चाहिये । आप जरा इसका पता लगा लें । मेरी जो सूचना है वह इधर उधर से नहीं है । मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं विश्वस्त सूत्र से सूचना है कि यह सदन १३ को

[श्री राजनारायण]

उठेगा तो शायद महीने दो महीने के लिये उठेगा और २० को बैठने वाला नहीं है। आप इसका पता लगा लें। चौधरी चरण सिंह जी का बयान होना जरूरी है वरना हम लोगों को मायूसी होगी।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
१० अगस्त, १९५९।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर।)

U. P. FOODGRAINS (RESTRICTIONS ON BORDER MOVEMENT) ORDER, 1959 के अंतर्गत जिले तथा उनकी आबादी

जिलों के नाम	आबादी	जिलों के नाम	आबादी
१—बलिया	५,६७,४३०	१०—जालौन	४०,००० (लगभग)
२—गाजीपुर	१,२९,९९०	११—इटावा	६०,०००
३—देवरिया	६,५८,२००	१२—आगरा	४९,१९१
४—मिर्जापुर	४२,०००	१३—बुलन्दशहर	२०,२५०
५—वाराणसी	१३,०००	१४—मथुरा	३५,६८६ (लगभग)
६—इलाहाबाद	५,००० (लगभग)	१५—मुजफ्फरनगर	२८,४३३
७—बांदा	९२,०५६ (लगभग)	१६—देहरादून	५,८६७
८—झांसी	१०,१७,८०० (लगभग)	१७—मेरठ	२५,६५५
९—हमीरपुर	१८,००० (लगभग)	१८—सहारनपुर	३,६७८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

उत्तर प्रदेश में भेड़ा केन्द्रों की सूची

१—गोवालदम, जिला गढ़वाल
२—पीपलकोटी, जिला गढ़वाल
३—सूपीफ, जिला अलमोड़ा
४—बदिया क्रोट, जिला अलमोड़ा
५—दार, जिला अलमोड़ा
६—गिरिया, जिला गढ़वाल
७—गंगोरी, जिला गढ़वाल
८—मस्क, जिला देहरादून
९—कुनेन, जिला देहरादून
१०—बड़ागांव, जिला गढ़वाल
११—अमरसर, जिला गढ़वाल
१२—मंडोली, जिला गढ़वाल
१३—लीती, जिला अल्मोड़ा
१४—अखोरी, जिला टेहरी
१५—चोराधानी, जिला देहरादून
१६—मनोरा, जिला गढ़वाल
१७—गोगीना, जिला अलमोड़ा
१८—लहूर, जिला नैनीताल
१९—चकराता, जिला देहरादून
२०—डुगरी, जिला गढ़वाल
२१—मछवा, जिला देहरादून
२२—पूना पोखरी, जिला देहरादून
२३—सामकोट, जिला अलमोड़ा
२४—थालकुंडी, जिला टेहरी
२५—भटवारी, जिला नैनीताल
२६—मुंसियारी, जिला अलमोड़ा
२७—डुंडा, जिला टेहरी
२८—फुलही, जिला इलाहाबाद
२९—रतनपुर, जिला फतेहपुर
३०—मोठ, जिला झांसी
३१—मौरानीपुर, जिला झांसी
३२—चिलबिला, जिला इलाहाबाद
३३—फूलपूर, जिला इलाहाबाद
३४—गुरसराय, जिला झांसी
३५—हंडिया, जिला इलाहाबाद
३६—बोधपुरा, जिला जालौन
३७—सेवापुरी, जिला गोरखपुर
३८—गुलवां, जिला गोरखपुर
३९—घोसी, जिला आजमगढ़
४०—कासिमाबाद, जिला गाजीपुर
४१—कसिया, जिला देवरिया
४२—दुद्धी, जिला मिर्जापुर
४३—रतनपुर, जिला बलिया
४४—गिरधरपुर, जिला वाराणसी
४५—पंडरी, जिला मिर्जापुर
४६—मदोही, जिला वाराणसी
४७—बीकापुर, जिला फैजाबाद
४८—कूरेमार, जिला सुल्तानपुर
४९—जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर
५०—सुलतानगंज, जिला मैनपुरी
५१—ऊसावान, जिला बदायूं

उत्तर प्रदेश में भेड़ तथा ऊन विकास विस्तार केंद्रों की सूची

१—लखीमपुर, जिला प्रतापगढ़
२—कुलवापुर, जिला प्रतापगढ़
३—मुजई बाजार, जिला प्रतापगढ़
४—मजरोरा, जिला सुल्तानपुर
५—गौरी बीबी का पुरवा, जिला सुल्तानपुर
६—मिसरोली, जिला सुल्तानपुर
७—लालगंज, जिला रायबरेली
८—ऊंचाहार, जिला रायबरेली
९—मोरना, जिला मुजफ्फरनगर
१०—मीरनपुर, जिला मुजफ्फरनगर
११—खतोली, जिला मुजफ्फरनगर
१२—शाहपुर, ,, ,,
१३—बुधाना, ,, ,,
१४—राजपुर, ,, ,,
१५—सादाबाद, जिला मथुरा
१६—अरिंग, ,, ,,
१७—भौंरी, ,, ,,
१८—समरदहा, जिला बांदा
१९—बरहा माफी, जिला बांदा
२०—गोहन्ड, जिला हमीरपुर
२१—बेलाताल, जिला हमीरपुर
२२—डकोर, जिला जालौन
२३—आटा, जिला जालौन
२४—खुलण्ड, जिला जालौन
२५—सिरसी गरहवाल, जिला मिर्जापुर
२६—समोगरा, ,, ,,
२७—हरगढ़, ,, ,,
२८—इमरती, ,, ,,

उत्तर प्रदेश पशुधन एवं

नत्थी 'म'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर।)

लोहा तथा इस्पात का कोटा जो जिलों को १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में निर्धारित किया गया

क्रम-संख्या	जिले का नाम	पब्लिक कोटा (टनों में) १९५७-५८	१९५८-५९
१	देहरादून	६६	६६
२	सहारनपुर	१३२	१३२
३	मुजफ्फरनगर	८८	८८
४	मेरठ	२२०	२२०
५	बुलन्दशहर	११०	११०
६	मथुरा	८८	८८
७	आगरा	२२०	२२०
८	बिजनौर	८८	८८
९	मुरादाबाद	१५४	१५४
१०	रामपुर	६६	६६
११	गढ़वाल	२२	२२
१२	टेहरी-गढ़वाल	२२	२२
१३	अलीगढ़	१३२	१३२
१४	मैनपुरी	४४	४४
१५	एटा	६६	६६
१६	बदायूं	८८	८८
१७	नैनीताल	८८	८८
१८	बरेली	११०	११०
१९	पीलीभीत	४४	४४
२०	अलमोड़ा	२२	२२
२१	शाहजहांपुर	६६	६६
२२	फर्रुखाबाद	६६	६६
२३	इटावा	६६	६६
२४	कानपुर	४४०	४४०
२५	फतेहपुर	४४	४४
२६	इलाहाबाद	१९८	१९८
२७	बांदा	४४	४४
२८	हमीरपुर	४४	४४
२९	झांसी	८८	८८
३०	जालौन	४४	४४
३१	वाराणसी	२२०	२२०
३२	मिर्जापुर	६६	६६
३३	जौनपुर	६६	६६

क्रम-संख्या	जिले का नाम			पब्लिक कोटा (टनों में) १९५७–५८	१९५८–५९
३४	गाजीपुर	..	..	६६	६६
३५	बलिया	..	..	६६	६६
३६	गोरखपुर	..	..	११०	११०
३७	देवरिया	..	..	८८	८८
३८	बस्ती	..	..	८८	८८
३९	आजमगढ़	..	..	८८	८८
४०	लखनऊ	..	..	२८२	२८२
४१	उन्नाव	..	..	४४	४४
४२	रायबरेली	..	..	४४	४४
४३	सीतापुर	..	..	६६	६६
४४	हरदोई	..	..	६६	६६
४५	खीरी	..	..	४४	४४
४६	फैजाबाद	..	..	८८	८८
४७	गोंडा	..	..	८८	८८
४८	बहराइच	..	..	६६	६६
४९	प्रतापगढ़	..	..	४४	४४
५०	सुल्तानपुर	..	..	४४	४४
५१	बाराबंकी	..	..	६६	६६
	योग	..		४,७७०	४,७७०

उदय विद्यालय सहर्षा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

सूची

उत्तर प्रदेश में सरकारी मुर्गी पालन विकास केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित कर दिये गये

१९५६–५७

१—भोजीपुरा (बरेली)।
२—काढ़ (शाहजहांपुर)।
३—चैल (इलाहाबाद)।
४—कल्यानपुर (कानपुर)।
५—वाराणसी।
६—रावर्ट्सगंज (मिर्जापुर)।
७—मसौली (बाराबंकी)।
८—बिचपुरी (आगरा)।

१९५७–५८

१—एग्रीकल्चर फार्म (गोरखपुर)।
२—माझरा (मेरठ)।
३—शाहाबाद (हरदोई)।
४—सफीपुर (उन्नाव)।
५—कायमगंज (फर्रुखाबाद)।

इनके अतिरिक्त ८ और ऐसे केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर खोले जा रहे हैं—

१—आसफपुर (बदायूं)।
२—मोहसिन बाग (मैनपुरी)।
३—रामपुर-मनिहारन (सहारनपुर)।
४—अफजलगढ़ (बिजनौर)।
५—हवालबाग (अलमोड़ा)।
६—रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (गाजीपुर)।
७—सैदनगर (रामपुर)।
८—कैसरगंज (बहराइच)।

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

नवम्बर, सन् १९५८ में Livestock Supervisers के चुनाव में बुलाये गये व्यक्तियों की योग्यता तथा डिवीजन

योग्यता		डिवीजन	प्रार्थियों की संख्या जो इंटरव्यू के लिये बुलाये गये	प्रार्थियों की संख्या जो इंटरव्यू के हेतु प्रस्तुत हुए	प्रार्थियों की संख्या जो चुने गये
हाई स्कूल (विज्ञान अथवा कृषि के साथ)	..	प्रथम	३२	२१	२
	..	द्वितीय	७२९	५२८	२३
	..	तृतीय	७१३	४९५	५
			१,४७४	१,०४४	३०
इंटरमीडिएट	..	प्रथम	१	१	१
		द्वितीय	१८०	११८	३१
		तृतीय	३०५	२७१	१७
			४८६	३२०	४९
बी० ए० या बी० एस-सी० ..		द्वितीय	१	१	—
		तृतीय	१४	६	१
			१५	७	१
बाहरी व्यक्तियों में से चुने गये प्रार्थियों की संख्या					८०

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

सूची 'अ'

नाम व्यक्ति अथवा संस्था		रुपया			जिस वर्ष का बाकी है
		रु०	आ०	पा०	
१—श्री रुद्रनारायणसिंह, झांसी	..	१२५	६	३	१९४७–४८
२—श्री शफी मुहम्मद	..	२०	१	०	१९४९–५०
३—श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, झांसी	..	२,८०५	१	०	१९४९–५०
४—श्री एम० आर० डोनेरिया, डी० एल० ओ०, झांसी	..	११	०	०	१९५१–५२
५—डेबरा शुगर फैक्ट्री	..	२,२२६	१	३	१९५२–५३
६—कृषि तथा पशु पालन विभाग	..	२,४९२	०१ नय पैसे		१९५६–५९

नोट 'ब'

श्री रुद्रनारायण सिंह के जिम्मे ३२२ रु० ८ आ० बाकी था जिसमें से १९७ रु० १ आ० ९ पा० वसूल हो चुका है, बाकी १२५ रु० ६ आ० ३ पाई के लिय आफीशियल लिक्वीडेटर ज्वाला बैंक हाई कोर्ट इलाहाबाद ने लिखा है कि जब उनकी कोई और सम्पत्ति बिकेगी तो रुपया मिल जायेगा।

२—श्री शफी मुहम्मद का रुपया सन् १९४९–५० से बाकी है। उस समय वे फार्म पर काम करते थे। उनकी काफी खोज कर ली गई है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है।

३—लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, झांसी व डबरा शुगर फैक्ट्री के संबंध में सरकारी वकील से मुकदमा दीवानी चलाने के लिये राय मांगी गई है और वह उचित कार्यवाही के लिये विचार कर रहे हैं।

४—कृषि तथा पशु-पालन विभाग के अधिकारी बकाया रुपये की अदायगी के लिये लिखे जा रहे हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २९ पर)

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिये

ऐक्ट, संख्या ७, १८७०।

विधेयक

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ गवर्नर द्वारा २ जुलाई, १९५९ को कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त प्रख्यापित किया गया था;

उ०प्र० अध्यादेश संख्या २, १९५९ ऐक्ट संख्या ७, १८७०।

और 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३(२) (क) के अनुसार उक्त अध्यादेश विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह व्यतीत होने पर प्रवर्त्तन में न रहेगा, और यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि वह विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—(१) यह अधिनियम कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

२—उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की धारा ४ में:

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की धारा ४ का संशोधन।

(१) शब्द "any of the said High Courts" के स्थान पर शब्द "the High Court of Judicature at Allahabad" रख दिये जायं;

(२) शब्द "in the exercise of its" तथा शब्द "extraordinary original civil jurisdiction" के बीच में शब्द "ordinary or" बढ़ा दिये जायं;

(३) शब्द "in the exercise of its" तथा शब्द "extraordinary original criminal jurisdiction" के बीच में शब्द "ordinary or" बढ़ा दिये जायं, तथा

(४) उपपैरा "or in the exercise of its jurisdiction as a court of reference or revision" के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा बढ़ा दिये जायं:

"or in the exercise of its jurisdiction to issue directions, orders or writs under the Constitution of India ;
or in the exercise of its jurisdiction in any other matter."

३—कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ निरस्त किया जाता है तथा यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त कोई अधिनियमित (enactment) हो, जो पुनः अधिनियमित कर दी गई हो।

निरसन उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५९, यू०पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

उद्देश्य तथा कारण

जदुनन्दन प्रसाद बनाम जनरल मैनेजर, नार्थ ईस्टर्न रेलवे, गोरखपुर, दीवानी प्रकीर्ण 'रिट' के मुकद्दमे में अपना निर्णय देते हुए इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय लेख-याचिकायें (Writ petitions) अपने "असाधारण प्रारम्भिक दीवानी क्षेत्राधिकार" का प्रयोग करके ग्रहण नहीं करता, बल्कि अपने "साधारण प्रारम्भिक दीवानी क्षेत्राधिकार" के अधीन ग्रहण करता है, और क्योंकि कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की धारा ४ में उच्च न्यायालय के समक्ष उसके "साधारण प्रारम्भिक दीवानी क्षेत्राधिकार" के अन्तर्गत दाखिल किये गये कागजों पर कोर्ट फीस लिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ के द्वारा कोर्ट फीस ऐक्ट की अनुसूची २ के अनुच्छेद १(ई) में संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन लेख याचिकाओं पर पचास रुपया की कोर्ट फीस लेने की जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर उक्त याचिकाओं पर ५० रुपया का शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता है।

२—उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर हर दृष्टिकोण से विचार किया गया और यह अनुभव किया गया कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील दायर करने के अतिरिक्त कोर्ट फीस ऐक्ट की धारा ४ के क्षेत्र का भी विस्तार कर दिया जाय जिससे ऐसे आवेदन-पत्र भी उसके अन्तर्गत आ जायं जो उच्च न्यायालय के समक्ष उसके साधारण प्रारम्भिक दीवानी और फौजदारी क्षेत्राधिकारों के अधीन दायर किये जाते हैं।

३—क्योंकि यह विषय तुरन्त आवश्यकता का था और राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था और क्योंकि लेख-याचिकाओं पर कोर्ट फीस की दर में वृद्धि करने में निहित सिद्धांत को उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ को अधिनियमित करते समय विधान मंडल ने अनुमोदित कर दिया था अतः उक्त धारा ४ को २ जुलाई, १९५९ को कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित कर के संशोधित कर दिया गया।

४—'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३(२) (क) के अनुसार उक्त अध्यादेश विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह व्यतीत होने पर प्रवर्तन में न रहेगा। अतएव इस अध्यादेश को विधान मंडल के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक है।

५—तदनुसार इस विधेयक द्वारा कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ को प्रतिस्थापित करना अभिप्रेत है।

६—कोर्ट फीस ऐक्ट की धारा ४ के क्षेत्र के संबंध में किसी सम्भाव्य संदेह को दूर करने के लिये भी इस अवसर का उपयोग करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष 'भारत का संविधान' के अधीन 'रिट' जारी करने के उसके क्षेत्राधिकार के प्रयोग में या किसी अन्य विषय में उसके क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आने वाले समस्त विषय उक्त धारा के अन्तर्गत आयेंगे।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री।

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ का व्याख्यात्मक विवरण

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १२३(३) के अधीन तैयार किया गया।]

जदुनन्दन प्रसाद बनाम जनरल मैनेजर, नार्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, दीवानी प्रकीर्ण 'रिट' के मुकद्दमे में अपना निर्णय देते हुए इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय लेख याचिकायें (Writ petitions) अपने "असाधारण प्रारम्भिक दीवानी क्षेत्राधिकार" का प्रयोग करके ग्रहण नहीं करता, बल्कि अपने "साधारण प्रारम्भिक दीवानी क्षेत्राधिकार" के अधीन ग्रहण करता है; और क्योंकि कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की धारा ४ में, जो उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये गये कागजों के संबंध में कोर्ट फीस लेने का अधिकार देने वाली एकमात्र धारा है, उच्च न्यायालयों के समक्ष उनके "साधारण प्रारम्भिक दीवानी क्षेत्राधिकार" के अन्तर्गत दाखिल किये गये कागजों पर कोर्ट फीस लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये लेख-याचिकाओं पर ५० रु० कोर्ट फीस लेने की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ द्वारा कोर्ट फीस ऐक्ट की अनुसूची २ के अनुच्छेद १(ई) में की गई ह, वह वसूली का अधिकार देने वाली उक्त धारा के क्षेत्र के बाहर हो जाती है।

२—उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर हर दृष्टि कोण से विचार किया गया तथा कोर्ट फीस ऐक्ट की धारा ४ के क्षेत्र में विस्तार करने के लिये, जिससे कि उच्च न्यायालय के समक्ष उसके साधारण प्रारम्भिक दीवानी और फौजदारी क्षेत्राधिकार के अधीन दायर किये जाने वाले आवेदन पत्र भी उसके अन्तर्गत आ जायं, एक अध्यादेश (संख्या २, १९५९) २ जुलाई, १९५९ को प्रख्यापित किया गया था।

३—तदुपरान्त उपर्युक्त अध्यादेश की वैधता पर आपत्ति करते हुए एक लेख याचिका भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा चुकी है। लेख याचिका में दिये गये कारणों में एक यह भी है कि लेख-याचिकायें उच्च न्यायालय द्वारा अपने "साधारण या असाधारण प्रारम्भिक दीवानी क्षेत्राधिकार" या अपने "साधारण या असाधारण प्रारम्भिक फौजदारी क्षेत्राधिकार" का प्रयोग करके ग्रहण नहीं की जाती है। कोर्ट फीस ऐक्ट की धारा ४ के क्षेत्र के संबंध में किसी संदेह को दूर करने के उद्देश्य से कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ में, जिसका उद्देश्य पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है, इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि उसके अन्तर्गत ऐसे समस्त मामले आ जायं जो उच्च न्यायालय के समक्ष "भारत का संविधान" के अधीन निदेशों, आदेशों या लेखों (रिट) को जारी करने के उसके क्षेत्राधिकार के प्रयोग में या किसी अन्य मामले में उसके क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आयें।

४—इस अवसर का उपयोग करके एक और त्रुटि भी दूर की जारी रही है, जो अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित ऐक्ट की धारा ४ में रह गयी है। उक्त धारा में शब्द "any of the said High Courts" आये हैं। इन शब्दों का निर्देश स्पष्ट रूप से, उसी ऐक्ट की धारा ३ में आये हुए शब्द "the High Courts other than those of Kerala, Mysore and Rajasthan" से है। चूंकि धारा ४ के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अनिवार्य रूप से "the High Court of Judicature at Allahaba" तक सीमित रखना है, इसलिये इन शब्दों को उक्त धारा में आये हुये शब्द "any of the said High Courts" के स्थान पर रखा जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११५ एल० ए०—१९५९—८४५।